लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची—CONTENTS

अंक 14—शुक्रवार, 3 सितम्बर, 1965/12 भाद्र, 1887(शक)

No. 14—*Friday, September* 3, 1965/*Bhadra* 12, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० स० *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
389	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant	1431–35
390	शिशु भोजन (बेबी फूड)	Baby Food	1435–37
391	फार्म की उपज	Farm Production . . .	1437–39
392	खेतरी तांबा खानों का विकास	Development of Khetri Copper Mines	1439–40
393	इस्पात संयन्त्रों में कोयले का स्टाक	Stock of Coal at Steel Plants .	1440–42
394	निषिद्ध इस्पात का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Steel .	1442–43
395	तेज गाड़ियां	Faster Trains . .	1443–48
396	हार्ड कोक का मूल्य	Price of Hard Coke . . .	1448–49
397	इस्पात कारखाने के लिये जापानी सहायता	Japanese Offer for Steel Plant .	1450–51
398	कोयले का निर्यात	Export of Coal	1451–53

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
399	निर्यात संवर्धन परिषदें	Export Promotion Councils .	1454
400	रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons .	1454
401	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper . . .	1455
402	इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Products .	1455
403	आयात तथा निर्यात विनियम	Import and Export Regulations .	1456
404	खनिजों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण	Aeromagnetic Survey of Minerals	1456
405	छोटे इस्पात संयंत्र	Small Steel Plants . . .	1456–57
406	राष्ट्रमण्डल व्यापार सम्मेलन	Commonwealth Trade Conference	1457
407	कोयले के नमूने लेना तथा उसका वर्गीकरण करना	Sampling and Grading of Coal	1457
408	कपास के मूल्य	Prices of Cotton . . .	1458

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that question was actually asked on the floor of the House by that member.

1—27 Lok Sabha/65

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
409	काफी का निर्यात	Export of Coffee . . .	1458
410	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	1458–59
411	उत्पादिता वर्ष	Productivity Year . . .	1459
412	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1459–60
413	माल यातायात में वृद्धि तथा डाक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना	Increase in Goods Traffic and Speeding up of Mail Trains .	1460
414	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets . .	1461
415	रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	1461
416	निर्यातकर्ताओं का संघ	Consortia of Exporters . .	1462
417	रेलवे में घर पर सामान पहुंचाने की योजना	Home Delivery Scheme on Railways	1462
418	नया रेलवे जोन	New Railway Zone . . .	1462–63

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
1392	बम्बई उपनगरीय गाड़ी की दुर्घटना	Accident on Bombay Suburban Train Section . . .	1463
1393	दिल्ली-मुगलसराय लाईन को दोहरा करना	Doubling of Delhi-Mughal Sarai Track	1463–64
1394	छुट्टियों में गाड़ियों में भीड़भाड़	Holiday Rush in Trains . .	1464
1395	भुवनेश्वर स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना	Railway Accident near Bhubaneshwar Station . . .	1465
1396	पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र में कोयला धोने का कारखाना	Coal Washery in West Bokaro Coalfields	1465
1397	केरल में रेल का विस्तार	Railway Expansion in Kerala .	1465–66
1398	मद्रास में बौक्साईड के निक्षेप	Bauxite Deposits in Madras .	1466
1399	केरल में एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये टिकट देने की सुविधायें	Booking Facilities for Express Trains in Kerala . . .	1466
1400	अलवाई रेलवे स्टेशन पर ऊपरी-पुल	Over-bridge near Alwaye Railway Station	1467
1401	राजस्थान में दरीबा तांबा के निक्षेपों का शोषण	Exploitation of Dariba Copper Deposits in Rajasthan . .	1467
1402	बिकानेर और दिल्ली के बीच एक और रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of an Additional Train between Bikaner-Delhi .	1467
1403	उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelting Plant at Udaipur	1467–68
1404	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों की मरम्मत	Repair of Watches by H. M. T.	1468

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1405	दिल्ली और रोहतक के बीच रेल सेवा	Train between Delhi and Rohtak	1468
1406	भारत-इथोपियाई सहयोग	Indo-Ethopian Collaboration	1468–69
1407	फालतू भण्डार	Surplus Stores . . .	1469
1408	कारखानों में शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण	Training of apprentices in Factories	1470
1409	उत्तर प्रदेश के लिये कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw materials to U. P.	1470
1410	बम्बई आक्सिजन कारपोरेशन लिमिटेड	Bombay Oxygen Corporation Ltd.	1470–71
1411	सीमेंट का मूल्य	Price of Cement . . .	1471–72
1412	हवाईपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर रेलगाड़ी की टक्कर	Train Collision at Hawaipur Station (N. F. Rly.) . . .	1472
1413	पश्चिम रेलवे की एक्सप्रेस गाड़ियों में कण्डक्टर	Conductors on Western Railway Express Trains . . .	1472
1414	जामनगर में सैनिक गाड़ी को शंट करने से इन्कार करने वाला ड्राइवर	Train Driver refusing to shunt Military Train at Jamnagar .	1473
1415	जवानवाला शहर-गूलर रेलवे लाइन	Jawanwala-Shahar Gulan Railway line	1473
1416	दीवा-पनवेल रेलवे लाइन	Diva-Panvel Rail Line . .	1473
1417	पठानकोट में स्त्री के शव का पाया जाना	Recovery of Dead Body of Woman at Pathankot . . .	1474
1418	वेल्लारी-होस्पेट की लौह अयस्क की खानें	Bellary-Hospet Iron Ore Mines .	1474
1419	क्षेत्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान केन्द्र	Regional Sericulture Research Centre	1474–75
1420	कोयले के स्थान पर काम आने वाले तेल के प्रयोग सम्बन्धी विश्व बैंक का अध्ययन	World Bank Study regarding substitution of Oil for Coal . .	1475
1421	फरुख नगर (पंजाब) में नमक का उत्पादन	Manufacture of Salt at Farukh Nagar (Punjab) . . .	1475
1422	पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Plant in Punjab . .	1475–76
1423	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का निम्न कोटि का कोयला	N. C. D. C. Low-grade Coal .	1476
1424	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिये राष्ट्रपति का पुरस्कार	President's Awards to Public Sector Industrial Undertakings .	1476
1425	रक्सौल में रेलवे भूमि	Railway Land at Raxaul . .	2476
1426	नया इस्पात संयंत्र	New Steel Plant . . .	1477

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1427	उत्तर-पूर्व रेलवे पर खोमचे के ठेके	Vending Contracts on North-Eastern Railway	1477
1428	पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें	Passenger Amenities on N. E. Railway	1477
1429	पूर्वोत्तर रेलवे के डिब्बों में लाशों का पाया जाना	Dead Bodies Found in N. E. Railway Compartments	1478
1430	पूर्वोत्तर रेलवे में सहकारी ऋण संस्थायें और उपभोक्ता स्टोर	Co-operative Credit Societies and Consumer Stores on N. E. Railway	1478
1431	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	1479
1432	अरब देशों से आयात	Imports from Arab Countries	1479
1433	चाय, पटसन और रूई का निर्यात	Export of Tea, Jute and Cotton	1479–80
1434	अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of non-traditional Items	1480
1435	सिगनल-व्यवस्था के आधुनिक तरीके	Modern Signalling Techniques	1481
1436	आयात	Imports	1481
1437	पटना के निकट गंगा पर रेल-एवं सड़क पुल	Rail-*Cum*-road Bridge over the Ganga near Patna	1482
1438	ढलाई कारखानों को कच्चे लोहे का आवंटन	Allocation of Pig Iron to Foundries	1482
1439	केरल में मेल्लूत्तर-फरोक रेलवे लाइन	Melattur-Ferok Railway Line in Kerala	1482
1440	विकासोन्मुख देशों के बीच व्यापार के लिये पैकज प्रोग्राम	Package Programme for Trade among Developing Countries.	1483
1441	रूसी सहायता प्राप्त इस्पात कारखानों में भारतीय तकनीशियनों का प्रशिक्षण	Training to Indian Technicians in Soviet Aided Steel Plants	1483
1442	मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास	Development of Machine Building Industries	1483
1443	नंगल बांध रेलवे स्टेशन पर सुविधायें	Amenities at Nangal Dam Railway Station	1484
1444	पंजाब को सीमेन्ट का सम्भरण	Supply of Cement to Punjab	1484
1445	आसाम में चाय के बाग	Tea Plantatiods Assam	1484
1446	पूर्वी अफ्रीका को रेल कारों का संभरण	Supply of Rail Cars to East Africa	1485
1447	दक्षिण में हथकरघे के कपड़े और रेशम का इकट्ठा होना	Accumulation of Handloom Cloth and Silk in the South	1485
1448	पूर्वोत्तर रेलवे पर सुविधायें	Facilities on N. E. Railway	1485–86
1449	दिल्ली में "निर्जल बन्दरगाह" (ड्राई पोर्ट)	Dry Port in Delhi	1486

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1450	पटियाला स्टेशन पर पानी की व्यवस्था	Water Supply at Patiala Station	1486–87
1451	शाहगंज क्षेत्र (दिल्ली) में फैक्टरियां	Factories in Shahganj Area (Delhi)	1487
1452	कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण	Production of Textile Machinery	1487–88
1453	रेलवे के लोअर डिवीजन क्लर्क	L. D. C.s on Railways . . .	1488
1454	सरकारी क्षेत्र में उपक्रम	Public Sector Undertakings	1488–89
1455	जैगाधरी स्टेशन का पार्सल कार्यालय	Parcel Office, Jagadhri Station .	1489
1456	केरल में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Kerala .	1490
1457	जई का आयात	Import of Oats	1490
1458	बाल तथा बेलन (रोलर) बेयरियों का निर्माण	Manufacture of Ball and Roller Bearings	1490–91
1459	कारों और स्कूटरों की खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for purchase of Cars and Scooters	1491
1460	दक्षिण रेलवे पर यात्री सुविधायें	Passenger Amenities on Southern Railway	1491
1461	पश्चिमी जर्मनी को इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods to West Germany . . .	1492
1462	कपड़े का निर्यात	Textile Exports . .	1492
1463	ट्रैक्टरों और शक्तिशाली हलों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Power Tillers . . .	1492–93
1464	मध्य प्रदेश के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences for Madhya Pradesh	1493
1465	झींगों का निर्यात	Export of Prawns . . .	1493
1466	रेलवे के विद्युतीकरण में लगे हुए मजदूर	Railway Electrification Workers	1494
1467	लखनऊ-गौहाटी सेक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Lucknow-Gauhati Section	1494
1468	पूर्वोत्तर रेलवे में रेल सुविधायें	Railway Amenities on N. E. Railway	1494
1469	गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफार्म	Platforms at Gorakhpur Station.	1494
1470	गुजरात में माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons in Gujarat .	1495
1471	इस्पात कारखाने	Steel Plants	1495
1472	टमाटर तथा फलों के रस का निर्यात	Export of Tomato and Fruit Juices	1496
1473	बिहार में गुआ-जामदा क्षेत्र में खान मजदूर	Mine Labourers in Gua-Jamda Sector in Bihar . . .	1496
1474	ई० ई० सी० आयोग	E. E. C. Commission . . .	1496–97
1475	महाराष्ट्र में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Maharashtra	1497

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1476	बम्बई-दिल्ली मार्ग (मध्य रेलवे) पर अधिक भीड़	Overcrowding on Bombay-Delhi Central Railway route	1497
1477	हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of H. P.	1498
1478	इंडोनेशिया भेजा जाने वाला पटसन का माल	Shipment of Jute Goods to Indonesia	1498
1479	होस्पेट में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Hospet	1498
1480	मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाना	Steel Plant in M. P.	1499
1481	चौथी योजना में कोयले का उत्पादन	Production of Coal in Fourth Plan	1499
1482	भिलाई की छठी धमन-भट्टी के लिये तकनीकी सहायता	Technical Assistance for Sixth Blast Furnace at Bhilai	1499–1500
1483	छठी धमन भट्टी के लिये पुर्जों का आयात	Import of Components for Sixth Blast Furnace	1500
1484	झरंढल्ली खाने	Jharandhalli Mines	1500–01
1485	किस्म नियन्त्रण	Quality Control	1501–02
1486	निर्यात के लिये प्रचार	Publicity for Exports	1502–03
1487	कच्चा लोहा	Pig Iron	1503
1488	आन्ध्र प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Andhra Pradesh	1503–04
1489	दिल्ली स्टेशन के माल/पार्सल क्लर्क	Goods/Parcel Clerks of Delhi Station	1504
1490	पुस्तकों का आयात	Import of Books	1504–05
1491	रेलवे में प्रयोग में लाये जाने वाली हिन्दी की नियम पुस्तक तथा प्रपत्र	Manuals and Forms in Hindi used on Railways	1505
1492	आसाम मेल में डाइनिंग कार	Dining cars on the Assam Mail	1505
1493	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on North-East Frontier Railway	1505–06
1494	त्रुटिहीन सूती कपड़े का उत्पादन	Production of Faultless Cotton Cloth	1506
1495	फ्लाई ऐश सीमेंट	Fly-Ash Cement	1506
1496	बिहार के लिये कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw Materials to Bihar	1506–0
1497	बिहार के लिये निकल का नियतन	Allotment of Nickel to Bihar	1507
1498	रांची के पास तातीसिलवाई में बिजली के सामान का कारखाना	Electric Equipment Factory at Tatisilwai near Ranchi	1508
1499	मध्य प्रदेश में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Madhya Pradesh	1508
1500	केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन	Central Small Industries Organisation	1509

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1501	केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन	Central Small Industries Organisation	1509
1502	मसूर में रेशम उद्योग	Silk Industry in Mysore	1509–10
1503	श्रीनगर में रेलवे का हालीडे होम (अवकाश गृह)	Railways' Holiday Home, Srinagar	1510
1504	मैत्तूर अलमीनियम कारखाना	Mettur Aluminimum Factory	1510–11
1506	इन्डोनेशिया में भारतीय चलचित्रों का बहिष्कार	Boycott of Indian Films in Indonesia	1511
1507	व्यापार सम्बन्धी जानकारी	Commercial Intelligence	1511
1508	रेलवे में हिन्दी के टाइप का प्रशिक्षण	Training in Hindi Typewriting on Railways	1512
1509	रेलवे प्रतिवेदन	Railway reports	1512
1510	नियमों तथा आदेशों की पुस्तिका का अनुवाद	Translations of Manual of Rules and Orders	1512–13
1511	रेलवे द्वारा अंग्रेजी में जारी किये गये परिपत्र	Circulars Issued by Railways in English	1513
1512	माड़ी का उत्पादन	Production of Starch	1513
1513	दूसरा केबल कारखाना	Second Cable Factory	1513–14
1514	मलयेशिया से रबड़ पौद का आयात	Import of Rubber Seedlings from Malayasia	1514
1515	सरकारी डाक्टरों को स्कूटर तथा कारों का अलाट किया जाना	Allotment of Scooters and Cars to Government Doctors	1514
1516	भारी मशीन निर्माण परियोजना, रांची	Heavy Machine Building Project, Ranchi	1514–15
1517	उत्तर-पूर्व फ्रान्टियर रेलवे के गाड़ी-चालकों के लिये क्वार्टर	Quarters for Train Drivers on North-East Frontier Railway.	1515
1518	उद्योगों का विकास	Development of Industries	1515
1519	नई गाड़ियां	New Trains	1515
1520	इस्पात उद्योग का लागत ढांचा	Cost Structure of Steel Industry	1516
1521	कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन	Flag Station at Kalyanpur	1516
1522	सूरत में कृत्रिम रेशम के कारखाने	Art Silk Factories in Surat	1516
1523	रेलवे में भोजन व्यवस्था	Food served on Railways	1516–17
1524	चाय वित्त समिति	Tea Finance Committee	1517
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	1517–18
	सभा का कार्य	Business of the House	1518–23
	मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में वक्तव्य श्री हुमायून कबिर	Statement Re : Allegations against Minister —Shri Humayan Kabir	1523–26

विषय	Subjects	Pages
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill—	
खण्ड 2 से 11 और 1—	Clauses 2 to 11 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	1526-35
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन	Sixty-ninth Report . . .	1535
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	Sikh Gurdwaras Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने और परिचालित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत—	Motion (i) to refer to Joint Committee, and (ii) to circulate (adopted)—	
श्री हेम राज	Shri Hem Raj . . .	1536
श्री जगन्नाथ राव	„ Jaganatha Rao . .	1536
श्री अ० सि० सहगल	„ A. S. Saigal . .	1536
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—	Delhi Rent Control (Amendment) Bill—Negatived.	
(धारा 14 का संशोधन)—(श्री नि० रं० लास्कर का)—अस्वीकृत	(*Amendment of Section* 14) by Shri N. R. Laskar—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री नि० रं० लास्कर	Shri N. R. Laskar .	1537
श्री वारियर	„ Warior . . .	1537-38
श्री बाल्मीकी	„ Balmiki . . .	1538
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	„ Narendra Singh Mahida	1538-39
श्री अ० ना० विद्यालंकार	„ A. N. Vidyalankar .	1539
श्री हुकम चन्द कछवाय	„ Hukam Chand Kachhavaiya . . .	1539
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	„ P. R. Chakraverti .	1539-40
श्री क० ना० तिवारी	„ K. N. Tiwary .	1540
श्री यशपाल सिंह	„ Yashpal Singh . .	1540
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	„ Vishwanath Pandey .	1540-41
श्री ल० ना० मिश्र	„ L. N. Mishra . .	1541-42
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—	Motor Vehicles (Amendment) Bill —Negatived.	1543
(धारा 24 का संशोधन)—(श्री यशपाल सिंह का)—अस्वीकृत	(*Amendment of Section* 24) by Shri Yashpal Singh.—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh. .	1543
श्री दी० चं० शर्मा	„ D. C. Sharma . .	1543-44

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1544
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	,, Vishwanath Pandey .	1544
श्री बाल्मीकी	,, Balmiki .	1544–45
श्री रणंजय सिंह	,, Ranajay Singh . .	1545
श्री गो० ना० दीक्षित	,, G. N. Dixit .	1545
श्री हुकम चन्द कछवाय	,, Hukam Chand Kachhavaiya . . .	1545-46
श्री बड़े	,, Bade . . .	1546
श्री गौरी शंकर कक्कड़	,, Gauri Shankar Kakkar	1546
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney .	1546–47
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	1547
संविधान (संशोधन) विधेयक—	Constitution (Amendment) Bill—	
(अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	(Amendment of articles 1, 2, 3, 4, etc.) by Shri Prakash Vir Shastri.	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	1548
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	Thirty-ninth Report . .	1549

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 3 सितम्बर, 1965/12 भाद्र, 1887 (शक)
Friday, September 3, 1965/Bhadra 12, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवां इस्पात कारखाना

+

*389. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री बड़े :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :
श्री सेझियान :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बासप्पा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दे० जी० नायक :
श्री किन्दर लाल :
श्री वारियर :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मि० सु० मूर्ति :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री फ० गो० सेन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती मैमना सुलतान :
श्री मुथिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये आंग्ल-अमरीकी इस्पात कन्सरटियम से हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिए कौन सा स्थान चुना गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : वर्तमान करार की शर्तों के अनुसार ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इंडिया कंसार्टियम ने स्थलों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें उन्होंने पांचवे इस्पात कारखाने के लिए दो स्थलों विशाखापत्तनम और होस्पेट को उपयुक्ततम बताया है परन्तु आंग्ल-अमरीकी विशेषज्ञों ने इन दोनों में विशाखापत्तनम को निश्चित रूप से श्रेष्ठ माना है। सरकार पांचवे इस्पात कारखाने का स्थान-निर्धारण करने के लिए इन सिफारिशों पर आजकल विचार कर रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि इस कंसार्टियम ने कहा है कि इस कारखाने के डिज़ाइन, इंजीनियरी तथा निर्माण में भारत उतना ही योग दे सकेगा जितना कि सम्भव होगा, और यदि हां, तो उनसे इस बारे में क्या गारंटी ली गई है कि वह बोकारो कारखाने में की गई बात को पुनः तो नहीं दोहरायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी, हां। वे भारतीयों का उतना ही सहयोग प्राप्त करेंगे जितना कि सम्भव होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : किस हद तक ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह बताना कठिन है। वर्तमान अवस्था में यही उत्तर पर्याप्त है।

श्री प्र० चं० बरुआ : बोकारो कारखाने के मामले में भी यही बात हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछना है ?

श्री प्र० चं० बरुआ : कारखाने का पूंजीगत ढांचा क्या है जैसाकि आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम ने सुझाव दिया है और क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही पूंजीगत ढांचे के सही आंकड़ों का पता लग सकेगा।

Shri Yashpal Singh : What would be the cost of production of the Plant ?

Shri P. C. Sethi : So far as cost of production is concerned, there will be no much difference at Hospet or Visakhapatnam. It would be about Rs. 264.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चौथी योजना में पांचवे इस्पात कारखाने के चालू हो जाने के पश्चात हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे तथा कुछ इस्पात का निर्यात भी कर सकेंगे ; और यदि हां, तो हमारी अन्तर्देशीय आवश्यकताओं तथा निर्यात में क्या अनुपात होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : चौथी योजना सम्बन्धी आंकड़े योजना आयोग के विचाराधीन हैं तथा इनका पता लगने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा सकेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, इसका तो सभी को पता है परन्तु हम इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात जानना चाहते हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ? निर्यात तथा हमारी आवश्यकतायें दोनों हमेशा बढ़ती रहती हैं। उदाहरणार्थ इस समय भी हम लगभग एक लाख टन इस्पात का आयात कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि चौथी योजना के पश्चात भी यदि हम 165 लाख टन इस्पात का उत्पादन करेंगे तब भी हमें कुछ इस्पात का आयात कर रहे होंगे। परन्तु निर्यात में वृद्धि भी हो सकती है। पिछले वर्ष हमने 1 लाख टन इस्पात का निर्यात किया था परन्तु इस वर्ष 3 लाख टन इस्पात का निर्यात किया है। यदि हमारे पास फालतू इस्पात होगा तो हम इससे भी कहीं अधिक इस्पात का निर्यात कर सकेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात पर भी कभी विचार किया गया है कि पंजाब में एक इस्पात कारखाना अथवा कोई अन्य भारी उद्योग स्थापित किया जाये ; और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं अन्य उद्योगों के बारे में उत्तर देने की स्थिति में नही हूं । हम चौथी योजना में एक कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने जा रही है ।

श्री मुथिया : क्या कंसार्टियम ने पांचवां कारखाना स्थापित करने के लिये सलेम के गुण-दोष पर विचार किया था ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, कंसार्टियम को इस के बारे में भी उल्लेख किया गया था । वे लोग सलेम गये थे तथा इस सम्बन्ध में विचार किया था । उन्होंने अत्यधिक उपयुक्त दो स्थानों की ही सिफारीश की है ।

श्री मुथिया : इसको रद्द करने का क्या कारण था ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है अत: वह उसे पढ़ सकते हैं ।

श्री बड़े : क्या आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम ने बेलाडिला के सम्बन्ध में विचार किया था---जहां के कच्चे लौह में 50 से 60 प्रतिशत से भी अधिक लोहा है---और क्या राज्य सरकार ने अपना मामला सरकार के विचारार्थ रखा था अथवा नहीं ? पांचवे इस्पात कारखाने के लिये विशाखापटनम को चुनने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रतिवेदन की पांच प्रतिलिपियां पहले ही पुस्तकालय में रख दी गई हैं । माननीय सदस्य प्रतिवेदन को पढ़ सकते हैं और कारण जान सकते हैं ।

श्री बासप्पा : दस्तूर समिति तथा आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम ने इसके लिये होस्पेट को अत्यधिक उपयुक्त स्थान बताया है और विश्खापटनम को अधिमान देने के तर्क वित्त की उपलब्धता, पूंजीगत लागत, तथा निर्यात-प्रधानता पर आधारित हैं । यदि इन कारणों पर पूर्णतया विचार किया जाये तो यह कारण गलत सिद्ध होंग । इस देश की आर्थिक नीति अन्य देशों द्वारा गिर्धारित नहीं की जानी चाहिये.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक तर्क दे रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री बासप्पा : मैं यह बताना चाहता हूं कि विदेशी हमले की दृष्टि से विशाखापटनम एक कमज़ोर स्थान है तथा इससे सरकार का यह निर्णय भी कमज़ोर हो जाता है कि उद्योगों का विकेंन्द्रीकरण किया जाये । यदि इन सभी बातों पर पूर्णतया विचार किया जाये तो उक्त कारण सब गलत-सिद्ध होंगे । यह है मेरा प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में बेलाडिला में एक इस्पात कारखाना लगाने के लिये आग्रह किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रत्येक मुख्य मंत्री ने, अपने अपने राज्य के मामले पर बल दिया है । गोआ के राज्यपाल ने भी गोआ के बारे में आग्रह किया है । जब मंत्रिमण्डल द्वारा इस मामले पर विचार किया जायेगा तब सभी मुख्य मंत्रियों की मांगों को उसके समक्ष रखा जायेगा ।

श्री वारियर : क्या इसका डिज़ाईन हमारे अपने इंजीनियर तैयार करेंगे तथा क्या परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन पर भी हमारे इंजीनियर ही विचार करेंगे अथवा सारी बातें विदेशियों पर ही छोड़ दी जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : हमारा ठेका यह है कि वे परियोजना पर प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इसके पश्चात यह भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा कि उनमें से किन किन बातों पर भारतीय तकनीशन विचार करें ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या गोआ में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की सुकरता पर विचार किया गया था ?

श्री संजीव रेड्डी : समिति को गोआ के बारे में भी कहा गया था तथा उसने इस पर भी विचार किया था । प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में भी एक कंडिका है ।

डा० मा० श्री० अणे : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि इससे पहले कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जाये, क्या उन क्षेत्रों के दावों पर विचार किया जायेगा जिनमें कोई भी भारी उद्योग विशेषकर इस्पात उद्योग स्थापित नहीं किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम : क्या सरकार होस्पेट के संसाधनों का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्यों कि यह उन स्थानों में से एक है जो अपने स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं अपने माननीय मित्र से पूर्णतया सहमत हूं कि होस्पेट में पानी और बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कि आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम के अनुसार यह एक बहुत अच्छा स्थल है । सरकार निश्चय ही इस बात पर विचार करेगी कि सरकार वहां पर एक धमन भट्टी स्थापित करने के लिये क्या कुछ कर सकती है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : औद्योगिक कारखाने के लिये स्थान चुनने के सम्बन्ध में क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि इस सम्बन्ध में केवल आर्थिक महत्व को ही ध्यान में रखा जायेगा तथा निर्णय करने में क्षेत्रीय दावों तथा मांगों को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं ऐसा सभा में कई बार कह चुका हूं । मेरे माननीय मित्र उसी आधार पर अग्रेतर और आश्वासन देने के लिये कह रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : चूकि पांचवें इस्पात कारखाने को आन्ध्र प्रदेश में पोत्त -प्रांगन के निकट स्थापित किया जा रहा है और चुंकि इस समय हम सभी फौलादी प्लेटें विदेशों से मंगा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने में फौलादी प्लेटों का भी निर्माण किया जायेगा जिससे भारतीय पोत्त-प्रांगण में भारतीय प्लेटों का उपयोग किया जा सके ?

श्री संजीव रेड्डी : कई परियोजनाओं में चपटे उत्पादों के लिये विस्तार किया जायेगा । उदाहरणार्थ दुर्गापुर, राऊरकेला तथा बोकारो में भी चपटे उत्पादों के लिये विस्तार किया जायेगा । मुझे आशा है कि हम भारत में चपटे उत्पादों की मांग को पूरा कर सकेंगे ।

श्री अल्वारेस : क्या यह सच नहीं है कि दस्तुर एण्ड कम्पनी ने सिफारिश की थी कि पांचवे इस्पात कारखाने को स्थापित करने में सामरिक तथा विपणन सम्बन्धी कारणों की दृष्टि से होस्पेट क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां । दस्तुर एण्ड कम्पनी ने न ही केवल गोआ तथा होस्पेट पर ही विचार किया था परन्तु सलेम पर भी विचार किया था । उन्होंने महसूस किया था कि इस्पात के उत्पादन के लिये यह सभी स्थान बहुत ही उपयुक्त हैं । इसी कारण से ही तो एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा । उन्होंने केवल विशेष स्थलों के सम्बन्धों में विचार किया तथा बताया कि यह स्थान उपयुक्त हैं । परन्तु हमें इनका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस्पात के उत्पादन के विषय पर योजना आयोग के नवीनतम विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या यह सम्भव है कि इस परियोजना को चौथी योजना में शायद आरम्भ न किया जा सके ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। हम इसे आरम्भ करेंगे । चौथी योजना में पांचवें इस्पात कारखाने को शामिल किया जायेगा परन्तु हम इसके लिये कितने धन की व्यवस्था कर सकते है तथा किस प्रकार का इस्पात तैयार किया जायेगा यह एक ऐसी बात है जो कि विचाराधीन है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : सरकार पांचवें इस्पात कारखाने के लिये स्थल के बारे में कब तक अन्तिम निष्कर्ष तक पहुंच जायेगी तथा क्या वह आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम की सिफारिशों के साथ साथ दस्तुर एण्ड कम्पनी की सिफारिशों पर भी विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। हम उन सिफारिशों पर अब कैसे विचार कर सकते हैं ? पांचवें इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या योजना आयोग इस्पात सम्बन्धी लक्ष्य को तथा इस्पात सम्बन्धी विस्तार कार्यक्रम के लिये वित्तीय नियतन को कम किया जा रहा है, और यदि हां, तो क्या इस्पात के उत्पाद कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम अभी इस प्रश्न पर योजना आयोग से विचार-विमर्श कर रहे हैं। हो सकता है इसके लिये राशि में कुछ कमी करनी पड़े । फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस्पात के उत्पादन में कोई कमी की जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आंग्ल-अमरीकी कंसार्टियम कहीं बाद में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई झगड़ा खड़ा करके इस प्रबन्ध से कहीं मुकर न जाये ?

श्री संजीव रेड्डी : समझौता केवल स्थल का निश्चय करने तथा प्रतिवेदन लिखने के बारे में है। अतः इससे मुकरने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने स्थल का तो चुनाव कर ही लिया है और यदि हम उन्हें प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहेंगे तो वे इसे तैयार कर देंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सारे उत्पादन कार्यक्रम पर इस तरह से नियंत्रण रखने के लिये कोई उचित आयोजन किया गया है जिससे नये कारखानों में उत्पादन आरम्भ करने में उन किस्मों के उत्पादन को उच्चतम प्राथमिकता दी जा सके जिनकी भारत में कमी है ?

श्री संजीव रेड्डी : इसी बात पर अब हम विचार कर रहे हैं। मेरा विचार है कि जब तक मेरे माननीय मित्र कनाडा से लौट कर आयेंगे तब तक हम इस्पात सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे चुके होंगे।

शिशु भोजन (बेबी फूड)

* 390. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिशु भोजन (बेबी फूड) की मांग तथा पूर्ति की स्थिति का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुमान का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बेबी फूड का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख): तीसरी योजना के अन्त तक बेबी फूड की मांग का अनुमान लगभग 12,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष लगाया गया है ।

(ग) उत्पादन के आधार में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं । बेबी फूड का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस शुदा कारखानों में शीघ्र ही उत्पादन शुरू कर देने के लिये उन्हें सभी सम्भव सुविधाएं दी जा रही हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : बेबी फूड के उत्पादन में लगे एककों की वर्तमान क्षमता क्या है और इससे कहां तक हमारी आवश्यकतायें पूरी होती हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस समय लाइसेंस शुदा क्षमता 11,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है (चार एकक हाल ही में खोले गये हैं) जबकि मांग 12,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस प्रयोजन के लिये निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र में भी एक एकक खोलने का विचार है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । आवश्यकता पड़ी तो ऐसा किया जायेगा । हम इसे उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं । परन्तु यह गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में भी हो सकता है ।

Shri Bagri : Will any arrangement be made to provide baby food in rural areas also ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : It is for all.

Shri Yashpal Singh : What arrangements are made to ensure that baby food should only be consumed by children and not by young and old people?

Shri T. N. Singh : The young and old people should exercise some restraint.

Shri Sheo Narain : Has any complaint been received about blackmarketing in baby food; and if so the action taken in regard thereto?

Shri T. N. Singh : There are complaints about blackmarketing and action has also been taken.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दुग्ध पदार्थों से न केवल बेबी फूड ही तैयार करने परन्तु अन्य लोगों के लिये भी भोजन तैयार करने के लिये क्या कोई संगठित कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि बेबी फूड उन चीजों में से एक है जिनका उत्पादन सामान्यता गैर-सरकारी क्षेत्र में ही किया जाता है । उनका अपना कार्यक्रम है । तदनुसार ऐसे दुग्ध पदार्थों की कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शिशुओं तथा अन्य लोगों दोनों द्वारा किया जा सकता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस देश में सभी प्रकार की बेबी फूड की व्यवस्था करने के मामले में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है कि इस का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाना चाहिये और हम यह सब कुछ कर रहे हैं । शायद इस मामले में काफ़ी सहकारी समितियां आगे आ रही हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने के कारण बेबी फूड को काले बाज़ार में बेचा जाता है और काफी मुनाफा कमाया जाता है। इस प्रकार की जालसाज़ी को समाप्त करने के लिये सरकार कौनसी विशिष्ट कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : बेबी फूड के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु जहां कही भी इस बुराई का पता लगता है तो कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष में ने इस सम्बन्ध में की गई कई गिरफ्तारियों का उल्लेख किया था।

\+ **फार्म की उपज**

*391. **श्री सुरेंद्रपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री कर्णी सिंहजी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में फार्म की उपज को बढ़ाने में सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने अब एक कृषि उत्पादिता भाग खोला है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के इस नये कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इसकी कार्य-प्रणाली क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख): एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद कृषि के क्षेत्र में उत्पादिता को बढ़ाने के लिए तरीके मालूम करने के वास्ते कृषि उत्पादिता विभाग खोलने का सुझाव दे रही है।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के विचार के हेतु प्रस्तावित की गई प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

(i) कृषि सम्बंधित व्यक्तियों की प्रशिक्षण तकनीकों तथा कृषि विश्वविद्यालयों और उत्पादिता तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने वाले अन्य प्रतिक्षण प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करना।

(ii) उत्पादिता तकनीकों के अभिप्रेरण क्रियान्वन तथा प्रोत्साहन पर खेतों के आकार के कारण पड़ने वाले असर पर अनुसंधान कार्यक्रम।

(iii) हाट व्यवस्था की प्रयोजनाओं (फसल की कटाई से उपभोक्ता को वितरण तक) और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन।

(iv) कृषि से सम्बन्धित उद्योगों, निर्माण उद्योगों तथा सहायक उद्योगों में उत्पादित का अध्ययन।

(v) कुछ विशिष्ट फसलों जैसे जूट, गन्ना तथा कपास इत्यादि का उत्पादिता तकनीकों के कार्य-क्षेत्रको निश्चित करने के लिए विशेष सर्वेक्षण करना।

इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के दोबारा हो जाने की वर्तमान प्रवृति को मिटाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिए सभी कार्य राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद विभिन्न संगठनों, संस्थानों तथा एजेन्सियों के सहयोग समन्वय से करेगी। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद सीधे रूप से केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करेगी जिनमें इस समय संगठनों संस्थानों का कार्य करने का विचार नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कृषि के विकास के लिये अच्छी योजनायें तो बनी है परन्तु उनको ठीक और कारबार ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने समस्या के इस पहलू पर भी विचार किया है; यदि हां, तो इसने वतमान योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने और सुधार करने के लिये क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद का कार्य तो वैज्ञानिक प्रकार का है। यह समस्याओं का अध्ययन और सर्वेक्षण करती है। उसका काम वास्तविक उत्पादन कार्यक्रम का नहीं है। यह तो सम्बध्द मंत्रालय का काम है। यह कृषि के लिये सामान्य उत्पादिता तकनीकों को लोकप्रिय बनाने और उनका अध्ययन करने का काम करती है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के कुछ विशषज्ञों ने राय प्रकट की है कि कृषि के क्षेत्र में प्रगति न होने का मुख्य कारण सरकार-भूमि सम्बन्धी नीति है जिसके कारण उद्यमी लोग खेती से हटते जा रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के विभाग को बहुत काम सौंपा गया है। इस में कमचारियों की इस समय क्या संख्या है ? क्या राज्यों में भी ऐसी संस्थायें बनायी जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : यह संगठन अभी स्थापित नहीं हुआ यदि आवश्यक हुआ तो इसे सुदृढ़ किया जायगा। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने भी यही कहा है।

श्री श्रीनारायण दास : मैं इस कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या जानना चाहता था।

श्री त्रि०ना० सिंह : पूर्व सूचना के बिना अनुमानित संख्या बताना कठिन है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विवरण में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के समक्ष रखी जाने वाली सिफारिशें भी दिखायी गई ह। चौथी योजना-काल में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में क्या निर्णय किये गय है ? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद एक विशेषज्ञ संगठन है। यह उत्पादिता के आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाने का कार्य करता है। यह महसूस किया गया था कि इन तकनीकों को कृषि के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाये। इस उद्देश्य के लिये हमने कृषि मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों तथा कुछ किसानों का एक सम्मेलन भी बुलाया था और किये जाने वाले कार्य पर विचार किया था। यदि माननीय मंत्री को और जानकारी चाहिय तो वह दी जा सकती है।

Shri Gulshan : I want to know whether this Council is considering to give relief to scheduled caste agricultural labour, so that unemployment among them may be ended.

Mr. Speaker : That is a separate question.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether Agricultural Production Division has brought to the notice of Ministry that obstruction in the way of food production is the shortage of water and it is only in 5 crores of acres out of total of 31 crores acres of land that water is available.

Shri T. N. Singh : Perhaps the hon. Member is not aware of the scope of activities of this Council. How can we do the work of Agriculture Department? We advise on the technique of agriculture.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को उनकी योजनाओं को पूरा करने दिया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : देश में कृषि सब से बड़ा गैर-सरकारी क्षेत्र है और इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने सरकार के कृषि फार्मों में प्रयोग को जाने वाली प्रणालियों पर भी गौर किया है और क्या उन को उत्पादिता पर विचार किया है और देखा है कि वे क्यों लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इन सब बातों का अध्ययन आरंभ कर दिया गया है।

श्रीमती रेणुका राय : सिफारिशों में पट्टेदारी प्रणाली के बारे में कुछ नहीं है। इसको लैंगिसकी रिपोर्ट से लिया गया है। क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद इस पर भी विचार करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह हमारा इरादा नहीं कि यह परिषद अपना कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ा ले, हम इसबात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह परिषद कृषि की उत्पादिता की तकनीकों तक ही सीमित रखे।

श्री बड़े : इस विवरण में एक ओर तो यह कहा गया है कि परिषद कृषि उत्पादिता सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करेगी और दूसरी ओर कहा गया है कि परिषद केवल उन विषयों पर विचार करेगी जिनपर अन्य संगठन नहीं करते हों। इन दोनों बातों में कौन सी ठीक है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : दोनों में कोई भेद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य सदस्य को बता दूं कि एक नियम के अनुसार कि किसी सदस्य को पीठ और बोल रहे सदस्य के बीच से नहीं जाना चाहिये। मैंने देखा है कि इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा करने से अन्तर्बाधा हो जाती है। इससे अध्यक्ष और वक्ता के बीच का सम्बन्ध टूट जाता है। जिन माननीय सदस्य को मैं यह बात कह रहा हूं वह मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे।

Shri Muzaffar Husain : I want to bring it to your notice. Why you were coming while, an hon. Member was speaking behind you. You came between me and Shri Bade. It is not proper. I have said this for all members, but now it is because of you.

श्री श्यामलाल सर्राफ : जहां तक में उत्पादिता का सम्बन्ध है यह तो देश में औद्योगिक गतिनिधियों का भाग रहेगी। क्या उद्योग मंत्रालय कृषि पदार्थों की कुल उत्पादिता में वृद्धि में सहायता करेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कृषि मंत्रालय की मन्त्रणा से एक बैठक हुई थी। यह महसूस किया गया था कि उद्योग में प्रयोग मे लाये जाने वाले तरीके शायद कृषि में लाभदायक हों, इस बारे में सम्भव बातों में जांच की जा रही है।

खेतरी तांबा खानों का विकास

\+

*392. **श्री वारीयर** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा खानों के विकास के लिए अमरीकी सहायता के लिए की गई प्रार्थना वापिस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस खान के विकास के लिये सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसी अन्य देश से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) खेतरी तांबा योजना के लिये वित्तीय सहायता देने की हमारी प्रार्थना पर अमरीकी एड ने कोई निणय नहीं लिया था इसी बीच तकनीकी तथा वित्तीय सहायता का एक और प्रस्ताव फ्रांसीसी कम्पनियों से प्राप्त हुआ जिनकी मुखिया मैसर्स वैनाट एण्ड कम्पनी थी। फ्रांसीसी सरकार ने भी इस योजना के लिये ऋण देना स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के आने पर, जिसे स्वीकार किया जा चुका है, अमरीकी एड का प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है।

(ग) और (घ) : ऊपर (ख) के अन्तर्गत जो कहा जा चुका है उसे ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री वारियर : अमरीका सरकार ने क्या शर्तें रखी थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : अमरीकी एड इस परियोजना के लिये उधार की व्यवस्था करने की थी उनकी बहुत-सी शर्तें थी। इसी कारण विलम्ब हो रहा था इस बीच में हमें यह पेशकश आया और इसे हमने स्वीकार कर लिया।

श्री वारियर : सरकार का तांबा खानों के बनाने का कब का विचार है और यह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमें आशा है कि इस परियोजना में 1969 तक उत्पादन आरंभ हो जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस परियोजना के रास्ते में बहुत कठिनाइयां आयीं हैं। क्या सरकार इन खानों के विकास के बारे में मुख्य योजनाओं की बड़ी बड़ी बातों का ब्यौरा देगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : सभी बातें तय हो चुकी हैं। हम उर्वरक और सलफेरिक एसिड भी बनोयेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरीका द्वारा सहायता की पेशकश वापिस लिये जाने में राजनैतिक चाल थी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं।

इस्पात संयंत्रों में कोयले का स्टाक

+

*393 **श्री बगडी** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न इस्पात संयन्त्रों में कोयले का स्टाक कम रहता है अर्थात् स्टाक 6 से 12 दिन की आवश्यकता पूरी करने योग्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के राउरकेला इस्पात कारखाने और निजी क्षेत्र के बर्नपुर के इंडियन आयरन एण्ड स्टील कारखाने को छोड़ कर दूसरे इस्पात कारखानों में स्टाक की स्थिति सामान्यतः सन्तोषजनक रही है। राउरकेला को अपर्याप्त संग्रह-स्थान के कारण इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कारखानों में हाल में होने वाली अस्ताई कठिनाई के मुख्य कारण इस कारखाने से सम्बन्धित कोयला खानों में उत्पादन की कमी तथा दूसरे स्त्रोतों से उपलब्ध कोयला लाने में कठिनाई हैं। राउरकेला में इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विस्तार-कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त माल स्टोर करने की सुविधाओं की व्यवस्था

की जा रही है जबकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कारखाने में इस कठिनाई को दूर करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से पुनर्विचार किया जा रहा है और कोयले की पर्याप्त सप्लाई के स्थानों का पता लगाना और उसे ढोने की व्यवस्था करना संभव हो गया है।

Shri Yashpal Singh : What was the shortfall in production at the places mentioned by the hon. Minister, as a result of shortage of coal?

Shri P. C. Sethi : The work did not stop, but supply position was not comfortable. Its arrangements are being made.

Shri Yashpal Singh : When will this shortage be removed and they will have full capacity?

Shri P. C. Sethi : I have said that at Rourkela facility for further stock is being provided. 18 thousand tons of grade 'E' coal from Bagaband colliery and 16 thousand tons from Ghashtend colliery has been supplied to Indian Iron to make good the shortage in storage.

Shri Bagri : Government say that production is less due to shortage of coal. According to the hon. Minister the shortage has been removed and surplus stock has been set up. The shortage was made good by importing coal and there was shortage in production. I want to know the causes of shortage.

Shri P. C. Sethi : There was no shortfall in production. One reason was the rainy season and secondly casting capacity at Rourkela was less. Indian Iron are not able to cope with coal supplied to them, as they do not have tippler. They have been asked to arrange it. Railways have been asked to give wagons. They have acceded to our request. It will be for two months, thereafter they will have to arrange themselves.

श्री रंगा : श्रीमन, यह कैसे हुआ ? खाने और इस्पात संयन्त्र एक दूसरे के समीप ही हैं। रेलवे को 200 या 300 मील से अधिक दूर नहीं ले जाना पड़ता। कोयले सदैव फालतू उत्पादन होता है। यह कुप्रबन्ध क्यों हो गया है ? यह किसकी गलती है ? क्या रेलवे की थी ? क्या कोई जांच हुई है। ऐसे स्थिति के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मूल उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रुरकेला की स्टाक करने की क्षमता सीमित है। यह आरंभ की योजना में ही ऐसा था। 10 लाख टन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 18 लाख टन किया जा रहा है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारें में टिप्रलर्ज एक कारण था। इस बारे में उन से तरीका बदलने को कह दिया गया है। कोयले की कोई कमी नहीं है। यही बात मेरे सहयोगी ने हिन्दी में कही है। शायद माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। रुरकेला में क्षमता की कठिनाई को दूर किया जा रहा है।

Shri Bade : I want a clarification.....

Mr. Speaker : No. You sit down.

Shri Bade : We are in the dark. I request that.....

Mr. Speaker : You want to speak without any permission. You do not want to accept my request.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को मालुम है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी कोयला खानों में स्थित है ? इस लिये थोड़ी दूरी होन के कारण कमी नहीं हो सकती और मालगाड़ी के डिब्बों और ट्रकों वहां भेजा जा सकता है। इस प्रकार इस कम्पनी के लिये कोयले की कमी नहीं हो सकती। रुरकेला में भी कोयले की कमी के कारण काम को कभी हानि नहीं हुई।

श्री संजीव रेड्डी : यह ठीक होता है कि 15 दिन के लिये स्टाक रखा जाये। काम की हानि नहीं हुई है। परन्तु क्षमता पहले केवल 3 या 4 दिन के लिये ही थी। यह संतोषजनक नहीं थी। यदि कोई नहीं मिल तो संयन्त्र बन्द हो जाता था। इस लिये 10 या 15 दिन का स्टाक नहीं रहेगा। आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में टिप्लर्ज की बात थी। इसे ठीक किया जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या कोयला धोने के कारखानों को स्थापित किये जाने से आवश्यक कोयले की मांग की पूर्ति नहीं हो जायगी ? यदि हां, तो इस बारे में ऐसे कितने कारखाने स्थापित हो चुके है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा इस काम को लिये जाने का इस बारे में क्या कायक्रम है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक् प्रश्न है।

Shri Bade : It has been said in reply to questions of Shri Bagri and Shri Ranga that staff is not adequate because there has been expansion. If there was going to be expansion, they should have increased the staff. Why this was not tackled?

Shri P. C. Sethi : The hon. Member has not heard the answer aright. It was said that efforts were being made to increase as a result of expansion programme.

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has said that coal could not be sent for want of wagons. In this emergency there is great responsibility on Railways. Will the hon. Minister ensure that there is no dislocation in the working of Railways?

Shri Radheylal Vyas : There is always the difficulty about shortage of coal and Railway wagons. I want to know whether proper care would be taken in regard to the fourth steel plant to be set up in Fourth Plan? Is it a fact that coal would be imported from Australia for this plant in order to save coal ?

Shri P. C. Sethi : It is a question regarding shortage of coal. The fact is that Railways have stopped manufacture of four wheelers and coal is taken in box wagons. There is no arrangement of tapplers at present. Hence the present difficulty.

Seizure of Contraband Steel

*394. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 294 on the 5th March, 1965 and state :

(a) Whether the investigation into the seizure of contraband steel has since been completed;

(b) If not, the time likely to be taken; and

(c) The action so far taken in the matter?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : जांच पड़ताल का काम तेजी से हो रहा है और इस के शीघ्र ही पूरे होने की संभावना है।

Shri Bagri : When it will be completed? Can he give some assurance in this regard?

Shri P. C. Sethi : The Delhi Administration has stated that investigation is going to be completed. They want to take decision quickly.

Shri Bagri : Is this investigation being done departmentally or it would by a magistrate?

Shri P. C. Sethi : Delhi Administration is doing at present. When the chalan takes place, the Magistrate will investigate.

श्री रंगा : यह बहुत तेज़ हिन्दी बोलते हैं। द्विभाषीया भी इस के साथ नहीं चल पा रहा है।

Faster Trains

+
*395. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bagri :
Shri Basappa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The progress made in the implementation of the scheme to run faster and longer trains on the Main railway lines and the names of the trains being run at faster speeds at present along with the consequential difference in their timings in each case;

(b) The time by which all the mail and express trains will start running at faster speeds and the nature of the special arrangement being made for the purpose; and

(c) Whether any arrangement has been made for the training of the concerned officers and staff in the matter of safety and efficient running of trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A special 'cell' has been set up in Research, Designs & Standards Organisation of the Ministry of Railways to carry out investigations on raising train-speeds. The first substantial step will be a speed of 120 kmph (75 mph). A section of the railway track is being got ready for field tests at higher speeds, which are expected to commence in 1966.

As regards the scheme for running longer trains, it is proposed to increase the loads of important main line trains by progressive dieselisation and electrification. From 1-10-1965, the Howrah-Delhi-Kalka Mails will be hauled from Howrah to Asansol with diesel locomotives and from Asansol to Mughal-Sarai with electric locomotives and loads of these trains will be increased by two additional third class bogies between Howrah and Mughalsarai. Similarly, from the same date, the loads of the Howrah-Madras Mails will be augmented by four third class bogies by dieselisation.

(b) It is not possible to say when all the mail and express trains would start running at faster speeds. This will be a progressive development. The speed of Taj Express is proposed to be increased to 105 kmph (65 mph) from 1-10-65. Thereafter, some more trains will be accelerated to 105 kmph (65 mph) on the Broad Gauge. The necessary investigations will be carried out from the point of view of safety and riding comfort before increasing the speeds.

(c) No special training is considered necessary, but selected staff will operate high-speed trains.

Shri M. L. Dwivedi : It is given in the statement which is laid on the Table of the House that the trains would be running at the speed of 120 kilometres per hour in the first instance. But there is no mention of the trains which would be running at this speed and their timings. May I know to which institution this work has been entrusted and what action is being taken by that institution.

Shri Sham Nath : This information is there that first of all speed of the Taj Express is to be increased to 65 mph. from lst October, 1965.

Shri M. L. Dwivedi : I meant about 120 kilometres. The Hon. Minister perhaps, do not read the question before coming to the House.

Mr. Speaker : It is given in that, he has not read it so far. There is a mention in it about Taj Express also.

Shri Sham Nath : There is a mention of Taj Express also.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the trains which are being run at the speed of 120 kilometers per hour.

Shri Sham Nath : It will take some time to run them at the speed of 120 kilometres per hour. First we could raise their speed from 60 miles to 65 miles and then from 65 miles to 75 miles.

Shri M. L. Dwivedi : On a point of order. The statement says:

: "पहली महत्वपूर्ण कार्रवाई 120 किलोमिटर प्रति घंटा की होगी" यह पहला कदम कब उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न।

Shri M. L. Dwivedi : My next question is this. It is given in the statement.

"ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाने का परीक्षण करने के उद्देश्य से रेल-पथ का एक खण्ड तैयार किया जा रहा है"।

May I know where this track is being laid, what will be its length and when the work on it will be started.

Shri Sham Nath : First of all rail track between Delhi and Agra will be taken up.

Shri A. S. Saigal : May I know what suggestions have been received by you about the running of the fast trains on long routes. What action is being taken to raise the speed of the train which runs from Vijiyanagaram to Delhi.

Mr. Speaker : How information can be given for each and every train.

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानती हूं कि रेलवे में एक विभाग ऐसा है जिस का काम दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिये गाड़ियों की गति को कम करना है। क्या मैं जान सकती हूं कि इस विभाग में और उस विभाग में जिस का काम गाड़ी की गति को तेज करना है, में क्या सम्बन्ध होगा ?

अध्यक्ष महोदय : गति को कम करने और तेज करने में कैसे सम्बन्ध हो सकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : तेज गति के कुछ विशेष मामलों को छोड़ कर जिनका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है आम गाड़ियां विशेष कर छोटी लाईन पर चलने वाली गाड़ियों की गति धीमीही चल रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार छोटी लाईन पर चलने वाली गाड़ियों की गति को बढ़ाने का या छोटी लाइनों को बड़ी लाईनों में बदलने का या उन को सदा पिछड़ा हुआ रखने का, ईरादा रखती है।

श्री श्यामनाथ : अभी बड़ी लाईन पर अधिक से अधिक 60 मील प्रति घंटा की गति से तथा छोटी लाईन पर 45 मील प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने की इजाजत है। पहले हम बड़ी लाइनों के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं यदि हमारा तजुर्बा कामयाब होता है तो तब हम फिर छोटी लाईन की ओर ध्यान देंगे।

श्री सिंघवी : मैं नियम जानना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटी लाईन पर सरकार क्या करना चाहती है।

श्री श्यामनाथ : अभी कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि पहले वह बड़ी लाईन पर परीक्षण करेंगे और बाद में वह छोटी लाईन पर ध्यान देंगे।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : प्रश्न यह नहीं था कि छोटी लाइन पर काम कब तेज किया जायगा अपितु यह कि इस सम्बन्ध में क्या काम किया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि गाड़ियों की गति को बढ़ाने से पहले रेल पटरीओं में क्या सुधार आवश्यक होंगे।

श्री श्यामनाथ : रेल गाड़ियों को तेज गति से चलाने के लिये बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है। उदाहरणत: बिजली का काफी होना, रेल इंजनों की कार्य-क्षमता, विभिन्न मौसमी हालतों में रेल पथों और पुलों की मजबती, समपोरा पर सुरक्षा, सिगनल व्यवस्था की सुदृढ़ता और ब्रेक लगाने की शक्ति की पर्याप्तता।

श्री सुबोध हंसदा : सरकार कुछ गाड़ियों की गति को बढ़ाना चाहती है । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा करने से सरकार यात्रियों का किराया भी बढ़ाना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है ।

Shri Bagri : Will the hon. Minister be pleased to tell that when the trains can be run on a maximum speed of 60-65 miles per hour then what will be the minimum speed of the trains.

Shri Sham Nath : Whereas the maximum speed is concerned, if it is 60-65 miles then the minimum speed can be from 15 to 20 miles per hour. It depends upon the section of the track.

Shri Bagri : I rise on the point of order. I mean to say .....

Mr. Speaker : I am asking for the same what hon. Member wants to ask. Bagriji wants to know that when the maximum speed of the trains will go up from 60 miles per hour than the minimum speed of the trains which at present are being run at the speed of 15-20 miles should also go up. In this connection he wants to know what will now be the minimum speed of the trains.

Shri Sham Nath : There is more speed on the metre-gauge than on the narrow-gauge, and it is still more on the broad-gauge. It will be tried to increase the speed of all the trains but first of all we will try to increase the speed of those trains which are being run on the broad gauge.

श्री बासप्पा : जब लम्बी गाड़ियां चालू कि जाती है तो प्लेटफार्म की लम्बाई के बारे में कठिनाई होती है । क्या प्लाटफार्मों की हालत सुधारने और उनको लम्बा करने के लिये कुछ किया जा रहा है जिस से कि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो । यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि जहां आवश्यक है वहां प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का अनुमानित परिव्यय क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी गाड़ियों के तेज चलने के साथ सम्बन्धित है ।

श्री श्यामनाथ : जो कुछ भी आवश्यक होगा किया जायेगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अधिक तेज चलने वाली गाड़ियों को चालू करने के लिये क्या मैं जान सकता हूं कि दूर-संचार और स्वचल सिगनल का काम कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री शामनाथ : यह एक अलग प्रश्न है और इसके लिये मुझे सूचना चाहिए ।

श्री म० र० कृष्ण : जब कभी भी तेज चलने वाली गाड़ियों को चालू करने और सीधे डब्बों का प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो सदा मद्रास के अंतिम स्टेशन को ध्यान में रखा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब दक्षिण प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण राजधानी को तेज चलने वाली गाड़ियों और सीधे डब्बों के लिय ध्यान में रखा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Hon. Minister has just now told that the speed of the Taj Express is likely to be increased. I would like to know whether the speed of the other trains which also run on this track and particularly the trains which cover long distance will also be increased or specially the speed of the Taj Express alone is being increased. If yes, why?

Shri Sham Nath : First of all the speed of the Taj Express will be increased from the lst October. Afterwards we will try to increase the speed of the other trains.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने तेज चलने वाली गाड़ियों को चालू करने के सराहनीय काम को हाथ में लेने से पहले उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया है जहां गाड़ियां तो चलती हैं, परन्तु यात्रियों को खड़ा होने का स्थान नहीं मिलता। यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker. I thank you for the opportunity afforded to me by you for asking the question on this matter. It is good to raise the speed the trains but I tell you, that the train which should have reached at New Delhi at 8.15 P.M. has actually reached at 11P.M. Will the hon. Minister of Railways will look into and make necessary arrangements so that the trains may reach in times.

Shri M. L. Dwivedi : This question is worth replying. Every body has got complaints against this.

Shri Rameshwaranand : This question must be replied.

Shri Sham Nath : I assure Swamiji for his complaint against the late running of certain trains that efforts are being made to make the trains more punctual.

Mr. Speaker : I am hearing laud voices. All are supporting Swamiji on this matter.

Shri Rameshwaranand : The nature of the question is as such.

Shri K. N. Tiwary : May I know whether any arrangements are being considered to man the unmanned crossings on the tracks on which faster trains will run.

Mr. Speaker : That is separate question. It has been replied many times.

Shri K. N. Tiwary : My question has not been replied.

Mr. Speaker : That will be replied separately.

Shri D. N. Tiwary : According to the present Capacity of the tracks and engines already more time has been given in the time-table. Any train which shall take 12 hours to reach a place has been given 14 hours. May I know, why.

Mr. Speaker : It is a different question.

Shri Kashi Ram Gupta : Hon. Minister has said that the case of the metre gauge will be taken up afterwards. May I know after how long it will be taken up and which tracks will be given priority.

Shri Sham Nath : As I have already said that we will try to increase the speed of the trains on broad gauge which will be taken up first. Thereafter we will come to the metre gauge.

Shri Kashi Ram Gupta : After how long it will be taken up.

Shri Sham Nath : The question of metre gauge will be taken after the successful completion of the experiment which is being made on the broad gauge.

Mr. Speaker : Let this experiment be over whether it is a success or not.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know how much time will be saved in the longest routes with the implementations of this scheme. Only then we will be able to appreciate the benefit of this scheme.

Shri : Sham Nath : Due to the dieselisation and electrification 40 minuts will be saved by Delhi-Howrah mail and 4 hours by Howrah-Madras Mail.

Shri A. P. Sharma : Mr. Speaker. Timings of the Delhi-Howrah delux train have been increased by 2 hours since its start. May I know that from lst October these two hour will be reduced in its timings.

Shri Sham Nath : There is no such proposal.

Mr. Speaker : I can not discuss the whole timetables.

हार्ड कोक का मूल्य

+

*396. **श्री भरंडी :**
श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 26 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हार्ड कोक क मूल्य ढाचे के बारे में अब निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शीघ्र ही निर्णय लिया जाने की आशा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि हार्ड कोक की कोई राशि भारत से निर्यात कि जाती है । यदि हां तो वह कौन कौन से देश हैं और इस का मूल्य ढांचा क्या है ।

श्री प्र० चं० सेठी : नहीं महोदय, हम हार्ड कोक निर्यात नहीं कर रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्यों को नियत करने से पहले उपभोक्ताओं और उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर लिया जाता है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मूल्य समय समय पर नियत होते रहते हैं। अब भी इनको फिर से नियत करने की मांग है। मूल्य नियत करने से पहले हम सब पहलूओं पर विचार करेंगे।

श्री सुबोध हंसदा : जबकि अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात कारखानों को हानि उठानी पड़ रही है यदि हां तो वह प्रति टन क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस्पात कारखाने अपनी जरूरत के कोक का ही उत्पादन करते हैं यदि कहीं कुछ बच जाता है तो उस को बाजार में बेच दिया जाता है। अब जबकि कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा दिया गया है तो हम विचार कर रहे हैं कि क्या हार्ड कोक पर से भी नियंत्रण हटाया जा सकता है। यदि हम इस पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय नहीं करते तब हमें इसके मूल्य में वृद्धि करना होगी।

Shri M. L. Dwivedi : May I know what were the reasons last time when price was increased of this type of coke.

Shri P. C. Sethi : Last time price was increased on the demand of the Bengal Government coke plant. They still demand to increase the price because their cost of production is high which is not met with the present prices.

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : क्या सरकार का ध्यान इस सचाई की ओर गया है कि देश में बिजली के उपक्रम अवर श्रेणी का कोयला प्रयोग में लाते हैं और उन को उच्च श्रेणी के कोयले के दाम देने को कहा जाता है यह शायद इस लिये है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में है।

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रश्न कोयले के बारे में नहीं अपितु कोक के बारे में है। इस की कोई बात नहीं वह मांग कर सकते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्पादन की दृष्टि से हार्ड कोक के मूल्यों के बारे में प्रश्न की जांच करने के लिये कोई कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है। यदि हां तो क्या इस कार्यकारी दल ने कोई रिपोर्ट दी है।

श्री संजीव रेड्डी : हां महोदय, उस ने एक रिपोर्ट दी है। सरकार विचार कर रही है कि क्या मूल्यों में वृद्धि की जाये।

Shri Bhagwat Jha Azad : Although the prices of all the things have increased in the country yet keeping in view the rise in the price of hard coke and its level which is going up when the Government is considering to reconsider the price structure.

श्री संजीव रेड्डी : हम इस पहलू पर भी विचार करेंगे महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ही मैं सोचूंगा—सरकार इस बारे में निर्णय करेगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर लेगी। क्या इस की कोई समय सीमा है।

श्री संजीव रेड्डी : जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ ही दिनों में।

इस्पात कारखाने के लिये जापानी सहायता

+

*397. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 5 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जापानी पार्टियों ने सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग देने का, अपना प्रस्ताव भजा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कोई करार हुआ है और यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं; और

(घ) कारखाना कब तक स्थापित हो जायगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : आज कल एक जापानी सर्वेक्षण दल भारत आया हुआ है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में मद्रास राज्य के नवेली-सेलम क्षेत्र में साधारण कोटि के मिश्र इस्पात का एक छोटा कारखाना स्थापित करने की शक्यता की जांच कर रहा है। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दल ने पहले उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाये जाने के लिये कहा था जहां कि कच्चा लोहा बहुत मिलता है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मेरा विचार नहीं कि किसीने इस्पात कारखाने के लिये उड़ीसा का सुझाव दिया हो, हमारी जानकारी में ऐंसा नही है।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether the Government has recommended that this party should give its views about few places only whether or this party has been given the right to see other appropriate places, also which could be discussed.

Shri P. C. Sethi : As far as this party is concerned it has shown its interest only in Salem and Neyveli and it has gone to examine and select the places.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि जापान के इस्पात निर्माता कम लागत पर इस्पात का उत्पादन करते हैं। क्या इस को ध्यान में रखते हुये सरकार के पास ऐसा कोई सुझाव है कि जापान के इस्पात निर्माताओं को इस देश में इस्पात के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

श्री संजीव रेड्डी : मेरा विचार नहीं कि वह कोई बड़ा इस्पात कारखाना हाथ में लेने को तैयार है जबकि उन के वित्तीय प्रस्ताव सीमित हैं। हम विचार कर रहे हैं कि क्या उनकी सहायता से कोई मिश्र इस्पात का कारखाना लगाया जा सकता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जापानी सर्वेक्षण टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

श्री संजीव रेड्डी : वह अभी उस क्षेत्र में हैं और संम्भव है कि उन को वापिस आने में दस दिन लग जाये।

श्री मुथिया : क्या जापानी सर्वेक्षण टीम ने मध्यम श्रेणी के मिश्र इस्पात के कारखाना को सालेम में लगाने की संम्भवत: को मंजूर कर लिया है।

श्री संजीव रेड्डी : वह अब भी सालेम में हैं : वह एक सप्ताह में वापिस आयेंगे। सम्भवत: व रिपोर्ट देने के लिये कुछ और समय मांगेंगे।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि सालेम में बढ़े इस्पात कारखाने की बजाय मिश्र इस्पात का कारखाना, जिस के बारे में सरकार इस सभा में वादा कर रही है, लगाया जायगा।

श्री संजीव रेड्डी : यहां पर कि बजाये का कोई प्रश्न नहीं। सरकार एक मिश्र इस्पात का कारखाना लगाने का विचार कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : तृतीय पंच वर्षीय योजना में मिश्र इस्पात की क्या आवश्यकतायें हैं और हम उन को कहां तक पूरा करने के योग्य हैं।

श्री संजीव रेड्डी : चौथी योजना के अन्त तक 5,00,000 की आवश्यकता का अनुमान है। और हम उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कृ० च० पन्त : क्या यह सच नहीं है कि हमारे अपने विशेषज्ञ पहले ही सालेम में मिश्र इस्पात कारखाना स्थापित करने के विषय में गये हैं। यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना की जांच में हमारे विशेषज्ञ जापानी टीम से सम्बन्धित हैं।

श्री संजीव रेड्डी : मैंने पहले प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया है। हमारे विशेषज्ञों ने हासपत, सालेम और गोआ के क्षेत्र को बहुत अच्छा होने की सिफारिश की है। प्रत्येक स्थान के गुणों को सरकार के सामने रखा गया है। सरकार इस बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहती है। सम्भवत: जापानी हमें कारखाना स्थापित करने में सहायता करेंगे।

श्री हेम बरुआ : यदि हम अध्यक्षपीठ की ओर नहीं देखते तो आप हमें दंड देते हैं परन्तु मंत्री महोदय हर बार पीछे देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन को पीछे नहीं देखना चाहिये। मैं उन को यह बताने जा रहा था कि जबकि पीछे से कोई प्रश्न पूछा जाये तब ही वह पीछ देखे।

कोयले का निर्यात

+

*398. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री ब०कु० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्ययन दल ने जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक है, कोयला निर्यात के बारे में नीति की घोषणा करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अध्ययन दल ने दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया के देशों में कोयले की आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्रित की है; और

(घ) क्या अध्ययन दल ने भारतीय कोयले को विदेशी बाज़ारों में होड़ करने योग्य बनाने के लिये जहाजों तथा नौपरिवहन का किराया घटाने तथा किस्म-नियंत्रण करने की सिफारिश की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : सदन की मेज़पर पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । इस मंत्रालय ने 18 जनवरी 1965 को एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी जिस के अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के महा-निदेशक डा० लोकनाथन हैं, अध्ययन दल में मंत्रालयों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उद्योग की ओर से भारतीय खनन संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष भी शामिल हैं ।

(ख) नीति की घोषणा का प्रश्न अध्ययन दल द्वारा की जा चुकने वाली अन्तरीम सिफारिशों का एक अंग है । सामान्य निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में सरकार कोयले का निर्यात बढ़ाना चाहती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अध्ययन दल की जिन अन्तरिम सिफारिशों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन पर अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही विस्तार से विचार किया जा चुका है । अन्तिम रिपोर्ट लगभग अक्टूबर के अन्त तक मिल जाने की आशा है । भारतीय कोयले को विदेशी बाज़ारों में सफल प्रतियोगी बनाने के लिये कुछ निर्णय भी किए गए हैं । उचित भाड़े पर भारतीय जहाजों के तलों का उपयोग इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । सभी मंत्रालयों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों के परामर्श से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 1 सितम्बर 1965 से स्टीमरों से किए जाने वाले कोयले के निर्यात, खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किये जाने लगे हैं । कोयला निर्यात को उन मदों में भी शामिल कर लिया गया है जिन्हें कर में छूट के प्रमाण-पत्र मिलते हैं । इस की दर 10 प्रतिशत है । जहां तक नये निर्यात संविदाओं का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड ने भी निर्यात के लिये खिदिरपुर जहाजघाट तक ल जाये जाने वाले कोयले पर रेल भाड़े में 20 प्रतिशत की छूट दी है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोयले के निर्यात की प्रत्याशताओं का निर्धारण कर लिया है ।

श्री मनुभाई शाह : कोयल का वर्तमान निर्यात 15 लाख टन का है । इस को 35 लाख टन तक बढ़ाने का हमारा विचार है ।

श्री प्र० रं चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों के संदर्भ में क्या कदम उठाय हैं ।

श्री मनुभाई शाह : हम ने कोयले के निर्यात पर 10 प्रतिशत का कर-समंजन दिया है । परसों से कोयले की निर्यात का सारा व्यापार हमने खान तथा खनिज पदार्थ व्यापार निगम से अपने हाथ में ले लिया है । रेलवे बोर्ड ने भी कोयले पर 20 प्रतिशत की कटौती की है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जब कि कोयले का उत्पादन मांग से अधिक हो जायेगा तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार भारतीय कोयले के लिये विदेशी मण्डीयों की खोज के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री मनुभाई शाह : चालू वर्ष में कोयले के निर्यात में वृद्धि हुई है और हम ने इस से 5½ करोड़ रुपये कमाये हैं। अगले दो वर्षों में इससे 11 करोड़ रुपये कमाने का हमारा विचार है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन देशों में भारतीय कोयला प्रतियोगी मूल्यों पर लोकप्रिय हैं।

श्री मनुभाई शाह : श्रीलंका, जापान, सिंगापूर, पाकिस्तान, बर्मा और अफ़गानिस्तान।

Shri Yashpal Singh : I would like to know from the hon. Minister that when there is emergency in our Country and we need maximum of coal and any eventuality can happen any time then why we are exporting such huge quantity of coal for the source of earning small amount of foreign exchange.

Shri Manubhai Shah : This coal is surplus. We do not export that quality of coal in which we are deficient. We export only that quality of coal which we have got in surplus.

Shri Bagri : I would like to know the production as well as consumption of coal in our Country. I would also like to know the quantity of export and import of coal.

Shri Manubhai Shah : Our total consumption of coal is about 135 million ton and we are exporting 3½ million ton—only four per cent.

Shri Bagri : How much we are importing ?

Shri Manubhai Shah : No quantity of coal is imported. We import little quantity of hard coke.

Shri Bhagwat Jha Azad : In reply to part (c) of the question the hon. Minister has said 'yes Sir'. I would like to know what has been said in the report of the Study Group regarding the prospects of exporting coal, and what are the prospects of exporting coal to those countries which have just been mentioned by the hon. Minister.

Shri Manubhai Shah : That Committee has made no assessment. They have left this on us. They have said that keeping in view the Indian economy. Coal will be surplus with us in the next 80 years and Government should try to earn some foreign exchange by exporting it. This was the basic recommendation of that Committee. We have granted some concessions and have taken the exports from M.M.T.C.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात संवर्धन परिषदें

*399. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बासप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने काजू, अभ्रक, चमड़ा, मसाले तथा तम्बाकू सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषदों को सांविधिक पण्य बोर्डों में बदलने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। प्रतिवेदन की एक प्रति 1 सितम्बर, 1965 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी।

(ख) सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है। सरकार अभ्रक, चमड़ा, मसाले तथा तम्बाकू के लिये अलग अलग पण्य बोर्डों का गठन करना आवश्यक नहीं समझती। हां, काजू के लिये एक बोर्ड बनाने के लिये सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

रेल के माल डिब्बों का निर्यात

*400. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोप के कुछ देशों ने बड़ी संख्या में भारतीय रेल के माल डिब्बे खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में बने रेल के माल डिब्बों का मूल्य अन्य देशों के माल डिब्बों के मूल्य की अपेक्षा अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। हंगेरी ने भारतीय माल डिब्बों का आयात करने के लिये दिलचस्पी प्रकट की है।

(ग) भारत में बने रेल के डिब्बों के जहाज पर निःशुल्क पहुंचाने तक के मूल्य अच्छी प्रतिस्पर्धा करने वाले होते हैं।

काली मिर्च का निर्यात

*401. श्री मुहम्मद कोया :
श्री हेडा :
श्री मणियंगाडन :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटा प्रणाली लागू करके काली मिर्च के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस से केरल में काली मिर्च के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : सरकार का काली मिर्चों के निर्यात के सम्बन्ध में कोई व्यापक आधार की कोटा प्रणाली लागू न करने सम्बन्धी निर्णय, 11 अगस्त, 1965 के एक नोट में घोषित किया गया था। उस प्रेस नोट का सारांश इस प्रकार है।

भारत सरकार, काली मिर्च के निर्यात के सम्बन्ध में दो प्रमुख काली मिर्च उत्पादक एवं निर्यातक देशों से, इसके मूल्य स्थिरीकरण और इस उत्पाद की बिक्री में तीव्रता तथा विविधीकरण करने के लिये परस्पर सहमति के आधार पर बहुमुखी व्यवस्था करने के हेतु वार्ता कर रही थी। चूंकि अभी इस वार्ता में उस आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हो पायी है जैसी कि कुछ माह पहले की गयी थी, और इस वस्तु के विषय में किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हाल ही में हो जाने की कोई आशा नहीं है, अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसके लिये मूल्य विनियमन अथवा निर्यात कोटा प्रणाली को किसी व्यापक आधार पर अपनाने और अन्य सम्बद्ध निर्यात कदम उठाने का कार्य अभी आरम्भ न किया जाय। इस लिये काली मिर्च के निर्यात के लाइसेंस किसी भी लदान करने वाले को अपने लदान पत्र सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष पेश करने पर पहले की भांति ही स्वतन्त्रतापूर्वक दिये जाते रहेंगे।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

*402. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पश्चिम एशिया के देशों को भेजे गये व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने यह सूचना दी है कि भारत इस क्षेत्र को काफ़ी इंजीनियरी सामान का निर्यात कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेंज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4734/65]**

आयात तथा निर्यात विनियम

*403. **श्री मे० रं कृष्ण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 तथा 1965 में अब तक आयात तथा निर्यात विनियमों के उल्लंघन के कुल कितने मामलों का सरकार को पता लगा है; और

(ख) उनमें से कितने मामलों की जांच कर ली गई है और उपरोक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4735/65 ।**]

खनिजों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण

*404. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री कनकसबै : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत में खनिजों का वायु–चुम्बकीय सर्वेक्षण कराने के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो रूस ने किस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है ?

इस्पात और **खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :** (क) जी, महोदय । रूसी सरकार ने देश के कुछ खनिजयुक्त क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण करने के लिये सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) इस कार्यक्रम द्वारा 8 खनिज युक्त क्षेत्रों में 5,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूभौतिकी सर्वेक्षण करने का विचार है । यह भी सोचा गया है कि एक वायु सर्वेक्षण एकक भारतीय भौमिकी विभाग में स्थापित किया जायगा जिसे रूसी उपक्रम की सहायता तथा भारतीय सेवीवर्ग की, जिन्हें इस परियोजना के निष्पादन करने के कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त होगा, सहायता होगी । इस विषय पर रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है ।

छोटे इस्पात संयंत्र

*405. **श्री दे० जी० नायक :** **श्री सुधांशु दास :**
श्री कपूर सिंह : **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री गुलशन : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सोलंकी : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० के० देव : **श्री मधु लिमये :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री राम सेवक :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े इस्पात संयंत्रों को बजाये 30 से 50 लाख टन इस्पात तैयार करने वाल छोटे मितव्ययी संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्रों को कहां कहां लगाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : देश में इस्पात के छोटे कारखाने स्थापित करने के लिए इस प्रकार के कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं हैं।

राष्ट्रमण्डल व्यापार सम्मेलन

***406. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर में राष्ट्रमण्डल व्यापार सम्मेलन बुलाने का ब्रिटिश सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) उस सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा होगी; और

(ग) क्या महत्वपूर्ण वस्तुओं का संयुक्त (पूल्ड) उत्पादन कार्यक्रम बनाने के बारे में भी कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : राष्ट्रमण्डल व्यापार मंत्री सम्मेलन, 1966 के आरम्भ में बुलाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया है और इसकी कार्यसूची तथा अन्य विवरणों के विषय में सदस्य सरकारों से अनौपचारिक वार्ता चल रही है।

कोयले के नमूने लेना तथा उसका वर्गीकरण करना

***407. श्री सुधांशु दास :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के नमूने लेने तथा उसका वर्गीकरण करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा अगस्त, 1962 में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ख) क्या इस संबन्ध में सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये सरकार ने कोई समय अनुसूची तैयार की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नमूनों के विषय में विशषज्ञ समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिये, जैसे कि वें सरकार को मंजूर हैं, कोयला बोर्ड ने कदम उठाने आरम्भ कर दिये हैं। श्रेणीकरण करने के विषय में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिन पर और उन को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। जिन में ये सम्मिलित हैं :—

1. ऊष्मा मूल्य के आधार पर वर्तमान कीमतों के ढांचे में कीमतों को निश्चित करना;

2. आवश्यक व्यवस्था की स्थापना और जरूरी उपक्रम को हासिल करना, जिसका अधिकांश विदेशों से मंगवाना होगा।

(ख) कोई समय सारिणी नहीं बनाई गई है। तथापि जांच को यथा शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कपास के मूल्य

*408. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न किस्म की कपास के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कपास के मूल्यों में वृध्दि होने के परिणामस्वरूप नियंत्रित तथा अनियंत्रित कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (घ) : रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास के न्यूनतम मूल्यों में 21 रु० से लेकर 28 रु० प्रति क्विण्टल (75 रु० से 100 रु० तक प्रति खण्डी) तक की और अधिकतम मूल्यों में 14 रु० से 21 रु० प्रति क्विण्टल (50 रु० से 75 रु० प्रति खण्डी) तक की वृद्धि हुई है। कपास उपजाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसा किया गया है क्यों कि वे अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य चढ़ जाने के कारण कपास के मूल्यों में भी वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। यह वृद्धि 1-9-1965 से की गई है। इसके कारण बाजार में कपास के मूल्यों में यदि कोई वृद्धि हुई तो कपड़े के भावी मूल्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि इसके कारण कपड़े के मूल्यों में जो वृद्धि होगी उसके 1 से 4 प्र० श० से अधिक होने की संभावना नहीं है।

काफी का निर्यात

*409. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के तकनीकी मिशन ने, जो इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत आया था, काफी के निर्यात के अधिक कोटे की भारत की मांग का समर्थन किया है परन्तु भारतीय काफी बोर्ड निर्यात बढ़ाने में असमर्थ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) भारत द्वारा काफी के निर्यात के कोटे में वृद्धि करने की मांग को, तकनीकी मिशन द्वारा दिये गये अपने प्रतिवेदन में कुछ समर्थन प्राप्त हुआ है। कोटे में वृद्धि केवल अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद द्वारा ही की जा सकती है, परन्तु इसने अभी प्रतिवेदन पर विचार करना आरम्भ नहीं किया है। परन्तु वार्षिक निर्यात कोटे पूर्ण कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*410. **श्री हेडा :**
श्री तनसिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों का नई दिल्ली में संमेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य विचार प्रकट किये गये तथा क्या निर्णय किये गये?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी की स्थिति को देखतें हुए यह निष्चय किए गए ।

(i) आयातित कच्चे माल के उचित उपयोग के लिए संगठित प्रयास किए जायं तथा जहां सम्भव हो सके उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को मालम किया जाए और आयातित वस्तुओं की सूचि को कमसे कम करने के लिये उसमें कटौती की जाय ।

(ii) कम से कम समय में स्वदेशी क्षमता का विकास करके आयात होने वाले पुर्जों ओर सामान के स्थान पर यथा सम्भव स्वदेशी सामान का निर्माण किया जाय ।

(iii) तैयार माल के अधिकाधिक निर्यात के लिए प्रयत्न किए जायें ।

उत्पादिता वर्ष

*411. **श्री तनसिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उन्होंने भारतीय उत्पादिता वर्ष (1966) के प्रसंग में औद्योगिक शांति की अपील की है;

(ख) इस सम्बन्ध में कर्मचारियों तथा मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसा समझौता कराने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : औद्योगिक शान्ति के लिये मैंने सामान्य रूप से औद्योगिक उत्पादिता वर्ष की राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में दिये गये अपने स्वागत भाषण में अपील की थी । उपर्युक्त अपील के बारे में मालिकों और कर्मचारियों की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक परिषद को नहीं मिली है । इन प्रतिक्रियाओं के सरकार की जानकारी में आते ही उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

*412. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 मई, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची के निर्माण डिवीजन में तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों के फालतू हो जाने के बारे में कोई अन्तिम अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं और बोकारो और अन्य परियोजनाओं में इन में से कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के इन फालतू कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) फालतू केवल असैनिक इंजीनियरिंग कर्मचारी हुए हैं तथा 1-6-65 को स्थिति निम्न प्रकार थी :

क्षेत्रीय इंजीनियर	2
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर	9
सहायक इंजीनियर	45
इंजीनियर सहायक	90
ओवरसियर (असैनिक)	1
समय बीतने पर स्थिति में सुधारणा हो सकती है ।	147

फालतू कर्मचारियों का ब्योरा उन्हें यथासम्भव काम मे लगाये जाने के लिये बोकारों इस्पात संयंत्र, परिवहन मंत्रालय के सड़क विंग तथा अन्य परियोजनाओं को भज दिया गया है। परिणाम की प्रतीक्षा है।

(ग) ट्रकों और कारों के 20 ड्राइवरों को क्रेन चलाने के लिये प्रशिक्षित किया गया है तथा कुछ इंजीनियर सहायकों को विभिन्न विभागों में कार्य प्रभारी के स्थान पर निरीक्षण के काम पर लगा दिया गया है। अन्य लोगों के लिय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार किया जा रहा है। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने विभिन्न श्रेणियों के 105 इंजीनियरिंग कर्मचारियों को अपने यहां ही खपा लिया है।

माल यातायात में वृद्धि तथा डाक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

*413. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अनुमान है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में माल यातायात में 50 प्रतिशत तथा सवारी यातायात में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी;

(ख) क्या कुछ डाक गाड़ियों की रफ्तार 100 और 150 मील प्रति घंटा तक बढ़ाई जानी है; और

(ग) यदि हां, तो इन उपायों को क्रियान्वित करने पर कितना अनुमानित ख होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए अभी इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है कि राष्ट्रीय योजना में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के विस्तृत लक्ष्यों और निर्यात-कार्यक्रम के बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया जाता है। इसलिये यातायात के लक्ष्यों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है। लेकिन वर्तमान अनुमान के अनुसार माल यातायात 50 प्रतिशत बढ़ जाने की संभावना है। आशा है, यात्री यातायात में भी लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि होगी।

(ख) मुख्य मार्गों और उन पर चलने वाले चल-स्टाक को 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार के उपयुक्त बनाने के बारे में एक नीति-विषयक निर्णय किया जा चुका है। अन्ततः इस रफ्तार से गाड़ियां चलाने का लक्ष्य प्राप्त करने के पहले चरण के रूप में अभी, कुछ मुख्य मार्गों के थोड़े से खण्डों और उन पर चलने वाले चल-स्टाक को 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार के उपयुक्त बनाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन खण्डों में से पहला दिल्ली आगरा खंड होगा जिस पर 1-10-1965 से ताज एक्सप्रैस 65 मील प्रति घंटे की अधिकतम खंडीय रफ्तार से चला करेगी।

(ग) माल और यात्री यातायात में उपर्युक्त वृद्धि को सम्हालने के उद्देश्य से रेल-क्षमता जुटाने के लिये लगभग 1990 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अभी से यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ती के लिये अपेक्षित कार्रवाई करने में कितनी रकम खर्च होगी।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

*414. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ०ना० विद्यालंकार :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उद्यमियों ने विदेशी सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण **करने** के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं तथा कितने आशय-पत्र जारी किए गये हैं; और

(ग) स्थापित होने वाले प्रस्तावित कारखाने की कुल उत्पादन-क्षमता क्या है तथा कितनी क्षमता की स्वीकृति दे दी गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है तथा तकनीकी अधिकारियों की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगले पांच वर्षों में टेलिविजन सेटों की आव-श्यकता का अनुमान एक लाख लगाया गया है और किसी भी पार्टी को अभी तक औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

*415. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सोलंकी :
श्री प्र०के० देव :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 26 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के प्रस्तावित विस्तार पर कुल कितना व्यय होगा;

(ख) क्या विस्तार संबंधी कोई विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है;

(ग) क्या उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों से इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो ने चौथी योजना अवधि में राउरकेला का 1.8 मिलियन टन पिण्ड की क्षमता से अधिक विस्तार करने के लिये एक प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया है । प्रस्तावित विस्तार की अनुमानित लागत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार होने पर ही मालूम हो सकेगी ।

(ग) और (घ) : जून, 1965 में पश्चिमी जर्मनी की सरकार के साथ चौथी योजना में राऊरकेला इस्पात कारखाने का और अधिक विस्तार करन की शक्यता पर प्रारंभिक बातचीत की गई थी । इस मामले में प्रस्तावित विस्तार के प्रायोजना प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात् अगली कार्यवाही की जायेगी ।

निर्यातकर्ताओं का संघ

*416. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री महाराज कुमार विजय आनंद :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० ए० रामस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में नियुक्त की गई समिति ने सुझाव दिया है कि निर्यात व्यापार में होड़ समाप्त करने के लिये निर्यातक संघ की स्थापना के लिये सरकार द्वारा वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जानी चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने कार्यकुशल विपणन एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उपयुक्त एकक चुनने के लिये समिति द्वारा सुझाई गई त्रिस्तरीय पद्धति बनाने के लिये समुचित व्यवस्था की है; और

(ग) क्या सभी पंजीबद्ध निर्यातकों की नामिका को संघ सरकार की अनुमति से मूल्य नियंत्रित करने का अधिकार होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4736/65]**

Home Delivery Scheme on Railways

417. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The progress so far made in the introduction of the 'Home Delivery Scheme' on the various Railways;

(b) Whether this scheme is in force in all the big cities in the country; and

(c) If not, the time by which it is likely to be introduced in all big cities?

The Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A list of stations where the 'Home Delivery Scheme' has been introduced is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library.** *See.* **No. 4737/65.]**

(b) No, Sir.

(c) It has not been possible to introduce this scheme in all the big cities due to lack of suitable contractors and/or want of adequate traffic likely to avail of the service. However, this question is examined by Railways from time to time and suitable action taken if and where the traffic anticipated to offer justifies it and suitable contractors are forthcoming. It is not feasible to fix a target date for introduction of the scheme in all the big cities.

नया रेलवे जोन

*418. श्री तन सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तथा उत्तर रेलवे ज़ोनों में से एक नया जोन बनाने का कोई प्रस्ताव है, जिसका मुख्यालय अजमेर में होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलों के कार्यभार और परिचालन कुशलता पर उसके प्रभाव की समीक्षा रेलवे बोर्ड कार्यालय में निरन्तर होती रहती है। समीक्षा के दौरान यह पाये जाने पर कि परिचालनिक कारणों से और कुशलता के निमित्त किसी अन्य क्षेत्र का निर्माण करना जरूरी है, तो गुण-दोष के आधार पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। अभी इस तरह का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बम्बई उपनगरीय गाड़ी की दुर्घटना

1392. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1965 को, बम्बई क्षेत्र में एक बिजली चालित रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले क्रमशः पांच और आठ यात्री बाइकुल्ला स्टेशन के निकट एक पुल से टकरा जाने के कारण मर गये तथा घायल हो गये, और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और दुर्घटना किन कारणों से हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कहा जाता है कि 31-5-1965 की जब नं० 21 डाउन बम्बई-अम्बरनाथ स्थानीय गाड़ी मध्य रेलवे के सैन्डहर्स्ट रोड और भायखला के बीच जा रही थी, तो उसमें बैठे हुए कुछ मुसाफिर नियमों के विरुद्ध गाड़ी से बाहर की ओर झुक पड़े और 3/7 किलोमीटर पर इस्पात के उन खंभों से टकरा गये जिनपर गर्डर की बनी सड़क आधारित है।

बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

दिल्ली-मुगलसराय लाइन को दोहरा करना

1393. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली और मुगलसराय के बीच यातायात बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) उक्त मार्ग पर लाइनों को दोहरा करने सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां। दिल्ली-मुगलसराय मार्ग पर जितना यातायात बढ़ा है, वह नीचे दिखाया गया है :—

खंड का नाम	प्रतिदिन चलायी गयी यात्री/मालगाड़ियों की कुल संख्या		
	1955-56	1960-61	1964-65
मुगलसराय-छिउकी . . .	24	31	40.5
छिउकी-इलाहाबाद . . .	25	34	43.5
इलाहाबाद-कानपुर . . .	14	22	32.0
कानपुर-टूंडला . . .	20	24	31.5
टूंडला-गाजियाबाद . . .	14	15	21.5
गाजियाबाद-दिल्ली . . .	37	43	55.5

(ख) और (ग) : यातायात को सम्हालने के लिये उत्तरोत्तर पूरे रेल पथ में बिजली गाड़ी चलाने और दोहरी पटरी बिछाने का विचार है । मुगलसराय और छिउकी के बीच के हिस्से में बिजली गाड़ी चलाने की व्यवस्था की जा चुकी है । छिउकी कानपुर खंड में भी बिजली-गाड़ी चलाने की व्यवस्था करने का काम प्रगति पर है और आशा है कि 1966 तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

जहां तक रेल पथ में दोहरी पटरी बिछाने का सम्बन्ध है, मुगलसराय और टूंडला के बीच के हिस्से में पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है । टूंडला-गाजियाबाद खंड में भी सिर्फ़ मेहरावल और दादरी के बीच 83 किलोमीटर टुकड़े को छोड़कर, दोहरी पटरी बिछायी जा चुकी है और उसे माल यातायात के लिये खोल दिया गया है । बाकी हिस्से में भी दोहरी पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है ।

छुट्टियों में गाड़ियों में भीड़भाड़

1394. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मी के पिछले महीनों में छूट्टियों में भीड़भाड़ कम करने के लिये उत्तर रेलवे ने क्या प्रबन्ध किये;

(ख) क्या गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा की गयी अग्रिम व्यवस्था पर्याप्त और अच्छी थी; और

(ग) की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) स्पेशल गाड़ियां चलायी गयी थी और कुछ गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढा दी गयी थी

(ख) जी, हां ।

(ग) निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये थे :–

(1) नयी दिल्ली से मद्रास और बम्बई के लिये तथा वाराणसी और लखनऊ से बम्बई वी० टी० के लिये 31 स्पेशल गाड़ियां चलायी गयीं ।

(2) 11 गाड़ियों में यथोचित रूप से और यथासम्भव डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी ।

(3) कनाट प्लैस आरक्षण कार्यालय में 4 अतिरिक्त काउन्टर खोले गये ।

(4) दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर चौबीस घंटे बुकिंग की व्यवस्था की गयी ।

(5) विद्यार्थियों को रियायती टिकट जारी करने के लिये नयी दिल्ली स्टेशन पर एक अतिरिक्त काउन्टर खोला गया ।

(6) 15-4-65 से 31-7-65 तक दूसरे, तीसरे और तीसरे वातानुकूल दर्जों में अग्रिम आरक्षण का समय 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया ।

(7) यातायात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कनाट प्लैस आरक्षण कार्यालय तथा दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाये गये ।

भुवनेश्वर स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना

1395. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जून, 1965 को, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर एक लाइट इंजन दो रेलवे गैंगमैनों के ऊपर से गुजर गया; और परिणामस्वरूप वे दोनों गैंगमैन मर गये, और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 3-6-1965 को एक अप लाइट इंजन मुख्य लाईन के रास्ते भुवनेश्वर स्टेशन से रेतांग जा रहा था। जब यह इंजन किलोमीटर 439/4–5 से शुरु होने वाले कटाव में दाखिल हो रहा था, तो उसके ड्राइवर ने देखा कि रेलपथ पर गैंगमैन काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर ड्राइवर ने सीटी देनी शुरु कर दी। इसी बीच दूसरी तरफ से डाउन धीमी लाइन के रास्ते एक डाउन बाक्स स्पेशल गाड़ी भी वहां आ पहुंची और उसके ड्राइवर ने भी सीटी देनी शुरु कर दी। लाइट इंजन और डाउन बाक्स स्पेशल गाड़ी उस स्थान पर लगभग एक साथ पहुंचे जहां गैंगमैन काम कर रहे थे। रिपोर्ट मिली है कि गैंगमैन अन्तिम समय में लाइन पार करने की कोशिश करते हुए लाइट इंजन से कट गये।

पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र में कोयला धोने का कारखाना

1396. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्रों में तापिन के पास एक कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेल का विस्तार

1397. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना में केरल में रेल के विस्तार के सम्बन्ध में केरल योजना दल, के अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी किसी सिफारिश को स्वीकार किया है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ) : रेलवे की चौथी योजना में शामिल करने के लिये केरल सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं :-

(1) एरणाकुलम-क्विलन-तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना।

(2) कोट्टयम-बोदिनायक्कनूर बरास्ता पीलमेडु और कागली।

(3) तेल्लच्चेरि-मैसूर।

(4) कायनकुलम-एरणाकुलम बरास्ता अल्लेप्पी।

(5) तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी।

(6) कुट्टिपुरम-एरणाकुलम बरास्ता गुरुवय्युर और कंगानूर।

चौथी योजना में नयी लायनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों पर योजना आयोग की सलाह से अभी अन्तिम निर्णय होना शेष है। चौथी योजना में शामिल करने के लिए दूसरी राज्य सरकारों से प्राप्त इसी तरह के प्रस्तावों के साथ-साथ केरल राज्य सरकार के प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जायेगा। अब नयी लाइनों के निर्माण के लिये बहुत ही सीमित मात्रा में रकम उपलब्ध होने की संभावना को देखते हुए, इन प्रस्तावों में से किसी को चौथी योजना में स्थान मिलता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है, कि अन्य प्रस्तावों की तुलना में अग्रता के आधार पर, उन्हें कौनसा स्थान मिलता है।

मद्रास में बौक्साइट के निक्षेप

1398. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कोडाईकनाल, मद्रास में बौक्साइट के बहुत बड़ निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन निक्षेपों को निकालने के लिये क्या पग उठाने का विचार कर रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय।

(ख) फरवरी 1965 से भारतीय भौमिकी विभाग ने पालनी की पहाड़ियों में प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य आरम्भ कर दिये हैं और ये अन्वेषण 1965-66 में जारी रहेंगे। इन अन्वेषणों का परिणाम प्राप्त होने के बाद इन निक्षपों के विदोहन के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

केरल में एक्सप्रेस गाड़ियो के लिये टिकट देने की सुविधायें

1399. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, केरल के कन्नानूर जिले में चेरवत्तूर में, जहां एक्सप्रेस गाड़ियां पानी लेने के लिय खड़ी होती हैं, एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये टिकट देने के बारे में लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जनता से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। लेकिन चूंकि वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियां लोकों के काम से चेरवत्तूर पर ठहरती हैं; इसलिये रेलवे अपनी ओर से इस बात पर विचार कर रही है कि इन गाड़ियों से यात्रियों को आने-जाने की अनुमति दी जाय।

अलवाई रेलवे स्टेशन पर ऊपरिपुल

1400. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अलवाई रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरिपुल का निर्माण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या पग उठाने का विचार करती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : अलुवा स्टेशन के पास ऊपरी सड़क पुल बनाने के बारे में जनता से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। अलुवा स्टेशन के दोनों ओर दो ऊपरी सड़क पुल पहले से बने हुए हैं। अलुवा नगर-पालिका ने पैदल चलने वालों के लिए आलुवा स्टेशन के नज़दीक ऊपरी पैदल पुल बनाने के लिए कहा था, लेकिन धन की कमी के कारण राज्य सरकार ने इसका विचार छोड़ दिया है। पता चला है कि केरल सरकार अब अलुवा में तीसरा ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जैसे ही राज्य सरकार इस योजना को अन्तिम रूप दे देगी और लागत में अपने हिस्से की रकम का विनिधान कर लेगी, वैसे ही रेलवे इस काम को शुरू कर देगी।

राजस्थान में दरीबा तांबा के निक्षेपों का शोषण

1401. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दरीबा राजस्थान में तांबा निक्षेपों का वाणिज्यिक शोषण करने के लिये क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : राष्ट्रिय खनिज विकास निगम से इस तांबा निक्षेप के विदोहन के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कह दिया गया है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस निक्षेप के वाणिज्य विदोहन के विषय में निर्णय लिया जायगा।

बीकानेर दिल्ली के बीच एक और रेलगाड़ी का चलाया जाना

1402. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बीकानेर दिल्ली मेल में यात्रियों की भीड़ समाप्त करने के लिये उत्तर रेलवे में बीकानेर और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह संभवतः कब तक चालू हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1-10-1965 से।

उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1403. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उदयपुर में स्थापित किये गये जस्ता पिघलाने के कारखाने में अब तक उत्पादन आरम्भ न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) यदि इस मामले में कोई बाधाएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि कारखाना शीघ्र चालू हो जाये ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारतीय धातु निगम आर्थिक कठिनाईयों के कारण प्रद्रावक निर्माण कार्य पूरा करने में सफल नहीं हो सकी है।

(ख) सरकार कठिनाईयों को हल करने के लिये सर्वोत्तम उपाय निकालने पर विचार करने में सजग है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों की मरम्मत

1404. **श्री हेम राज** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपनी बनाई घड़ियों की मरम्मत एक वर्ष और आगे की गारन्टी की अवधि में करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनकी मरम्मत की मजदूरी बाजार में मरम्मत की दर की तुलना में बहुत ही अधिक होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मजदूरी को बाजार के दर के अनुरूप करने का सरकार का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Train between Delhi and Rohtak

1405. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that there is no railway train or shuttle service from Delhi to Rohtak between 11.10 and 16.40 hours and that Government have received representations for introducing an additional train or shuttle service during these hours;

(b) Whether it is also a fact that the Divisional Superintendent, Northern Railway Delhi Division had recommended that an additional shuttle service may be introduced from New Delhi to Rohtak at 14.10 hours ; and

(c) If so, the action taken in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, except on Saturdays when 1 DR. Up Delhi Rohtak shuttle leaves Delhi at 15-10 hours.

(b) and (c) : Proposal for an additional train was examined but not found operationally feasible.

भारत-इथोपियाई सहयोग

1406. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इथोपिया में भारत-इथोपियन सहयोग से स्थापित किये गये संयुक्त उपक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं में भारत का अंशदान कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इथोपिया में एक परिष्करण प्लास्टिक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में एक भारतीय कम्पनी के सहयोग की स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसमें भारतीय योग दान कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार ने अभी तक इथोपिया में निजी भारतीय पार्टियों के सहयोग से 5 संयुक्त उपक्रम प्रायोजनाओं की स्थापना के लिये स्वीकृती दी है। इनमें एक कपड़ा मिल, एक रेज़र ब्लेड संयंत्र, एक साबुन का कारखाना, एक ऊनी वस्त्र मिल और एक प्लास्टिक परिष्करण संयंत्र की स्थापना सम्मिलित है।

(ख) इन प्रायोजनाओं में भारतीय अंशदान का कुल योग 56 लाख रु० है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रायोजना भी, भारत-इथोपियायी संयुक्त उपक्रम है और इसमें सम्यक आधार पर कुल 10 लाख रु० का विनियोजन होगा। भारतीय पार्टी द्वारा उसमें लगभग 3 लाख रु० का अंशदान होगा जो भारत से निर्यात किये जाने वाले संयन्त्र और सामग्रियों के रूप में होगा। प्रायोजना की आरम्भिक अवस्था में भारतीय पार्टी इसकी व्यवस्था करेगी।

फालतू भण्डार

1407. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कितने मूल्य के फालतू भण्डार बेचे गये हैं;

(ख) भण्डार के आवश्यकता से अधिक होने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) आवश्यकता के अनुसार खरीद क्यों नहीं की गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) वही मूल्य 20.92 करोड़ रुपये।

( ) भंडारों के आवश्यकता से अधिक घोषित किये जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) द्वितीय विश्व युद्ध के माल का शेष रहना और दक्षिण-पूर्व एशिया में परिचालित यूनिटों के द्वारा वापस किया हुआ उपस्कर जिनकी भारतीय सैनिक यूनिटों को आवश्यकता नहीं पड़ी।

(2) समय समय पर उपस्कर नीति में परिवर्तन तथा परिणाम-स्वरूप कुछ उपकरणों के अप्रचलन तथा नये प्रतिरूपों द्वारा पुराने प्रतिरूप मदों के अधिक्रमण हो जाने की घोषणा।

(3) यूनिटों के कार्यों में परिवर्तन के कारण उपस्करों में परिवर्तन।

(4) 1962 में चीन के आक्रमण के बाद सेना के उपस्कार का आधुनिकीकरण तथा पुनर्सज्जित होना।

(5) सीमित शैल्फ अवधि के उपस्करों का पुराना हो जाना।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता। खरीदें यथावत् रसद-समाचार के समय ज्ञात आवश्यकता के अनुसार तथा माप व निर्धारित रसद कारकों के अनूरूप ही की जाती हैं।

कारखानों में शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण

1408. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अभी हाल में कारखानों में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण के तरीकों का पुनर्विलोकन करने पर जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां, जहां तक शिक्षुता अधिनियम के अधीन प्रशिक्षण का संबंध है।

(ख) शिक्षुता अधिनियम के अधीन और अधिक अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से इस मामले में कार्रवाई करने के लिये कहने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के लिये कच्चे माल का नियतन

1409. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 मई, 1965 को लखनऊ में जस्ता चढ़ा तार बनाने वाले एक कारखाने का उद्घाटन करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि संघ सरकार ने आयातित कच्चे माल के कोटे के नियतन के मामले में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह वक्तव्य कहां तक ठीक है; और

(ग) भदभाव करने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मंत्री ने इस मामले में उद्योग मंत्री से बातचीत कर ली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई आक्सिजन कारपोरेशन लिमिटेड

1410. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई आक्सिजन कारपोरेशन, लि० कब बना था और इसकी प्रस्तावित योजना क्या थी;

(ख) क्या कारपोरेशन सरकार द्वारा अधिकृत मूल योजना के अनुसार काम नहीं कर रही है और निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम्पनियां अधिकृत योजनाओं और कार्यक्रम के अनुसार काम करें, सरकार कम्पनियों पर क्या नियन्त्रण रखती है; और

(घ) कार्यक्रमानुसार काम न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) एक लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत सितम्बर, 1960 में श्री बाबूभाई चिनाय, बम्बई को वृहत्तर बम्बई में "बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लि०" के नाम से निम्न उप्पादन करने के लिये एक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के वास्ते दिया गया था।

आक्सीजन 1,62,000 क्यूबिक मी० प्रति माह।

घुली हुई एसेटिलीन 54,000 क्यूबिक मी० प्रति माह।

कम्पनी का 3 अक्तूबर, 1960 को निगमन हुआ था। उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत फर्म को एक और लाईसैंस मई, 1965 में 25,92,000 क्यूबिक मी० नाइट्रोजन गैस का प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिये दिया गया था।

(ख) जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होता है फर्म अभी तक अपने कारखानों में पूरा पूरा उत्पादन करने में समर्थ नहीं हुई है।

वर्ष	आक्सिजन गैस (हजार क्यूबिक मी० में)	घुली हुई एसे टिलीन (हजार क्यूबिक मी० में)
1963	161	..
1964	674	102.5
1965 (जनवरी से जून तक) . .	378	65.5

(ग) तथा (घ) : लाइसेंस प्राप्त योजनाओं के क्रियान्वन में की गई प्रगति का सरकार द्वारा अध्ययन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं को सरकार के पास उत्पादन का अर्ध वार्षिक ब्यौरा भेजना पड़ता है। प्रायोजनाओं के क्रियान्वन में विलम्ब होने पर विलम्ब के कारणों की जांच की जाती है और उसके लिये समुचित कारणों के न होने की दशा में उचित कार्यवाही की जाती है।

बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लि० के खिलाफ पूरा उत्पादन न करने के लिये कोई कार्यवाही इसलिये नही की गई क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित माल की मांग काफी नही है तथा वह अपने कारखाने को लाइसेंस प्रदत्त क्षमता के अन्दर मांग के अनुसार चल रहे हैं। नाइट्रोजन का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

सीमेंट का मल्य

1411. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में सीमेंट के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 1 जून, 1965 से एफ० ओ० आर० मूल्य में रु० 8.35 पै० प्रति मि० टन वृद्धि कर दी गई है।

(ग) सीमेंट के एफ० ओ० आर० मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत के बढ़ जाने और रेल के भाड़े, बिजली (पावर) तथा ईंधन की कीमतें बढ़ जाने तथा सीमेंट कारखानों में मजदूरों के महंगाई भत्त के बढ़ जाने इत्यादि विभिन्न कारणों से हुई है।

हवाईपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर रेल गाडी की टक्कर

1412. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1965 को अथवा इस के आसपास किसी तारीख को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लुमडिंग-गौहाटी मुख्य लाइन पर हवाईपुर स्टेशन पर दो माल गाड़ियों में टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा कितनी सम्पत्ति को क्षति हुई; और

(ग) दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना 25-5-1965 को हवाईपुर स्टेशन पर हुई।

(ख) इस दुर्घटना के फलस्वरूप 3 रेल-कर्मचारियों को मामूली चोटें पहुंची। रेल सम्पत्ति को लगभग 1,800 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(ग) यह दुर्घटना दोनों गाड़ियों को एक ही लाइन पर लेने के कारण हुई।

पश्चिम रेलवे की एक्सप्रेस गाडीयों में कंडक्टर

1413. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच चलने वाली 3 अप और 4 डाउन पश्चिम रेलवे की एक्सप्रस गाड़ियों में कंडक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर पुन्हा विचार करेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : खर्च मे किफायत करने के उद्देश्य से सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में कंडक्टर गार्डों की व्यवस्था नहीं की गयी है। लेकिन चूंकि कुछ गाड़ियों में जहां कंडक्टर गार्डों की व्यवस्था नहीं थी, कंडक्टर गार्ड रखने की निरन्तर मांग की जा रही थी इसलिये पश्चिम रेल प्रशासन ने इस प्रश्न पर हाल ही में पुनर्विचार किया था। फलस्वरूप अहमदाबाद और पालनपुर के बीच 3 अप और 4 डाउन दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियों में 10-6-1965 से कंडक्टर गार्डों की व्यवस्था कर दी गयी है। पालनपुर और दिल्ली के बीच कंडक्टर गार्डों की व्यवस्था का प्रश्न भी विचाराधीन है।

जामनगर में सैनिक गाड़ी को शन्ट करने से इन्कार करने वाला ड्राईवर

1414. श्री यशपाल सिंह : **श्री कनकसब :**
श्री बागड़ी : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 मई, 1965 को जामनगर में एक रेलवे ड्राइवर ने एक सैनिक गाड़ी को शंट करने के लिये अपना इंजन चलाने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाई की गइ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह सही है कि एक रेलवे इंजन ड्राइवर ने जामनगर स्टेशन पर पहले एक सैनिक विशेष गाड़ी की शन्टिंग करने से इन्कार कर दिया था। लेकिन अन्त में उसे शन्टिंग करने के लिये तैयार कर लिया गया। यह घटना 5-5-1965 को हुई, न कि 14-5-1965 को।

(ख) कारण मालूम नहीं है।

(ग) ड्राइवर को भारत रक्षा नियमों के अधीन 14-5-1965 को गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल में है। परिणामस्वरूप उसे 14-5-1965 से निलम्बित कर दिया गया है।

Jawanwala Shahar-Gular Railway Line

***1415. Shri Bagri :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 690 on the 5th March, 1965 and state :

(a) Whether the second Survey Report regarding laying a railway line between Jawanwala Shahar and Gular stations has since been received;

(b) If so, when it is likely to be completed; and

(c) The expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The Engineering Survey Report and Estimate have just been received in the Railway Board's office. Traffic Survey Report is expected shortly.

(b) and (c). The Project will take four years to complete and is estimated to cost Rs. 4,15,000,00.

दीवा-पनवेल रेलवे लाईन

1416. श्री बागडी : क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीवा-पनवेल रेलवे लाइन को दसगांव रत्नागिरी तक बढ़ाने की वांछनीयता स्वयंशोधिता के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Recovery of Dead body of woman at Pathankot

1417. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 674 on the 5th March, 1965 regarding the recovery of a dead body of a young woman in a third class compartment of Pathankot Express and state :

(a) Whether the assassin has been traced so far; and

(b) If so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhagh Singh) : (a) No.

(b) The matter is still under police investigation.

बेल्लरी-होस्पेट की लौह अयस्क की खानें

1418. **श्री सुबोध हंसदा :** **डा० पु० ना० खाँ :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के बेल्लरी होस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क के लिये मशीन से काम करने वाली खान की स्थापना के लिए किया जा रहा अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां इस प्रकार की मशीन से काम करने वाली लौह अयस्क खान स्थापित करना संभव है; और

(ग) क्या इस प्रकार की किसी अन्य प्रस्थापना का भी अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो कौन से क्षेत्रों में ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। इन खानों की विस्तृत खोजबिन जारी है।

(ख) मशीन से काम करने वाली खान की स्थापना खोजबीन के परिणाम पर निर्भर होगी।

(ग) वांछनीयता प्रतिवेदन/परियोजना प्रतिवेदन का काम भी निम्नलिखित क्षेत्रों में लौह अयस्क खानों के सम्बन्ध में आरम्भ किया गया है :

(1) मलंग टोली क्षेत्र	उड़ीसा राज्य
(2) बाराजम्डा क्षेत्र	
(3) मेघहाटाबुरु क्षेत्र	
(4) बैताडिला क्षेत्र	मध्य प्रदेश

क्षेत्रीय रेशम कीट पालन अनुसन्धान केन्द्र

1419. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्रीमती सावित्री निगम :**
डा० पू० ना० खाँ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेशम कांग्रेस की बेरुत में हुई बैठक के निणय के अनुसार भारत में एक क्षेत्रीय रेशम-कीट-पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग ने अप्रैल 1965 को बेरुत में हुए अपने सम्मेलन में निश्चय किया कि तीन क्षेत्रीय केन्द्र---लेबनान, भारत और जापान---प्रत्येक में एक एक स्थापित किये जाएं। भारत में स्थापित किया जाने वाला केन्द्र चीनी लोक गण राज्य को छोड़ कर दक्षिणी-पूर्वी एशियाई क्षेत्रों की सेवा करेगा। इन केन्द्रों के ठीक ठीक कार्यों और भारत में स्थापित होने वाले प्रस्तावित केन्द्र के वित्तीय अनुमानों का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है, क्योंकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस सम्बन्ध में और अधिक विवरण की प्रतीक्षा कर रहा है।

कोयले के स्थान पर काम आने वाले तेल के प्रयोग सम्बन्धी विश्व बैंक का अध्ययन

1420. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के स्थान पर तेल के प्रयोग के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) । विषय अब भी सरकार के विचाराधीन है।

फरूख नगर (पंजाब) में नमक का उत्पादन

1421. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 26 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़गांव जिला (पंजाब) के फरूख नगर में खारे पानी से नमक तैयार करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

1422. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हिमालय के व्यास बेसिन में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए सहयोग की शर्तें अन्तिम रूप से निश्चित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का निम्न कोटि का कोयला

1423. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 23 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने निम्न कोटि के कोयले के स्टाक को बेचने के विषय मे कुछ प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हां, कुछ उन्नति हुई है जैसा कि इस बात से पता चलेगा कि फरवरी से जून 1965 तक के समस्त प्रेषणों का मासिक औसत 7.36 लाख मीटरी टन हो गया है जबकि उससे पूर्व के 6 महिने के मासिक प्रेषणों का मासिक औसत 6.49 मीटरी टन था।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिये राष्ट्रपति का पुरस्कार

1424. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को राष्ट्रपति का पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में बेहतर तुलनात्मकता आधार बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : मामले पर विचार किया जा रहा है।

Railway Land at Raxaul

1425. Shri Bibhuti Misra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the railway land at Raxual in Champaran District was allowed to be used for purposes other than those for which it had been licensed some time back; and

(b) If so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. There is no such instance where land licensed for one purpose has been used for purposes other than that.

(b) Does not arise.

नया इस्पात संयंत्र

1426. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और बैलज्यिम के प्रतिनिधियों से प्रारम्भिक बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : फ्रांस की कुछ पार्टियों ने इस देश में इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता मालूम करने में अभिरुचि दिखाई है। उनसे कहा गया है कि सहयोग/सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उचित शर्तों पर धन की व्यवस्था की जा सके। इन पार्टियों से अब तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर-पूर्व रेलवे पर खोम्चे के ठेके

1427. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1964 से आज तक उत्तर-पूर्वी रेलवे के स्टेशनों पर खोम्चे के ठेकों के ठीक काम न करने के कारण या ठेके समाप्त करने के कारण ठेके देने की शर्तों में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो वह क्या है;

(ख) जिन पुराने खोंम्चा ठेकेदारों को ठेके फिर से मिले हैं उनकी संख्या क्या है ; असन्तोषजनक कार्यों के लिए या करार समाप्त कर देने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर 1 अप्रैल 1964 से आज तक कितने ठेके रद्द कर दिये गये या उनके स्थान बदले गये, और ये ठेके कौन से स्टेशनों पर थे; और

(ग) नये ठेकेदारों को ये ठेके देने की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) खोम्चों का ठेका देने के लिए नियमों और शर्तों में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया है। इस समय जो नियम लागू हैं उनके अनुसार ठेकेदारों के असन्तोषजनक काम को गम्भीर मामला समझा जाता है और उनके विरुद्ध समुचित कड़ी कार्रवाई की जाती है, जैसे कि उनपर जुर्माना किया जाना या उनके ठेके का रद्द कर दिया जाना।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, जब नये लोगों को ठेका दिया जाता है तो शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें

1428. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में, पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और गोरखपुर के बीच तथा इलाहाबाद जंक्शन और भटनी जंक्शन के बीच के रेलवे स्टेशनों पर, किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इसके लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4738/65 ।]

(ख) सोनपुर और गोरखपुर, तथा इलाहाबाद जंक्शन और भटनी जंक्शन के बीच के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिये 14 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गयी है। इसमें से लगभग 7 लाख रुपया 1965-66 में खर्च करने का विचार है।

पूर्वोत्तर रेलवे के डिब्बों में लाशों का पाया जाना

1429. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1965 तक (अब तक) पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल के डिब्बों से कितनी लाशें बरामद हुई;

(ख) इन लाशों में से कितनी पहचानी गई और कितनी पहचानी नहीं जा सकीं;

(ग) जिन मामलों में अपराधी पकड़े गये उनकी संख्या क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जून, 1965 तक 33।

(ख) 3 लाशों की शिनाख्त हो सकी, बाकी 30 की शिनाख्त नहीं हो सकी।

(ग) केवल एक मामले में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया।

(घ) रेल गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराध की घटनाओं से लोगों की सुरक्षा करने और इस तरह की घटनाओं का पता लगाने का उत्तरदायित्व सरकारी रेलवे पुलिस का है जो राज्य सरकारों के अधीन है। अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल सभी स्तरों पर सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों को पूरा सहयोग प्रदान करता है और जब कभी अपराध की कोई गम्भीर घटना होती है या किसी क्षेत्र या गाड़ी में अपराध बढ़ते दिखायी पड़ते हैं, तो आवश्यक उपाय करने के लिए उनकी ओर सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों का तुरन्त ध्यान दिलाया जाता है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों ने भी अपनी ओर से रोकथाम के कुछ उपाय किये हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में सहकारी ऋण संस्थायें और उपभोक्ता स्टोर

1430. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे मे कितनी सहकारी ऋण संस्थाएं तथा सहकारी उपभोक्ता स्टोर चल रहे हैं; और

(ख) तीसरी योजना की शेष अवधि में तथा चौथी योजनावधि मे क्रमश: कितने कितने ऐसे स्टोर खोलने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) सहकारी ऋण-समितियां . . . 3

सहकारी उपभोक्ता भण्डार . . . 11

(ख) तीसरी योजना की बाकी अवधि में—

सहकारी ऋण-समितियां . . . कोई नहीं।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार . . . 23

चौथी योजना की अवधि में—

सहकारी ऋण-समितियां . . . कोई नहीं।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार . . . तीसरी योजना में जो 23 भण्डार खोले जाने थे उनमें से जिनका संगठन नहीं हो पाया।

रेलवे दुर्घटनायें

1431. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1965 से लेकर आज तक खंडवार, कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई ;

(ख) उनके क्या कारण थे;

(ग) रेलवे की, खंडवार, जन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई; और

(घ) रेलवे ने, खंडवार, क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4739/65।]

(घ) अभी तक कुछ नहीं।

अरब देशों से आयात

1432. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरब देशों से पेट्रोलियम उत्पाद, रांक फास्फेट्स तथा कपास जैसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देने के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य, मोरक्को, ट्यूनिसिया, इराक और जोर्डन से उक्त वस्तुओं तथा अन्यान्य के लिये व्यापार करार/व्यवस्थाएं की हैं। संयुक्त अरब गणराज्य से आयात होने वाली मंजूरशुदा वस्तुओं का भुगतान रुपयों में किया जाता है। राज्य व्यापार निगम ने ट्यूनिसियाई संगठन से एक व्यवस्था की है जिसके अनुसार मंजूरशुदा वस्तुओं के आयात का भुगतान रुपयों में किया जायेगा। अन्य देशों के विषय में, दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि एक सहमत सीमा तक के आयात के लिये सुविधाएं दी जायेंगी।

चाय, पटसन और रूई का निर्यात

1433. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन, जापान और पाकिस्तान ने भारत से निर्यात होने वाली चाय, पटसन और रूई के सम्बन्ध में जो चुनौती दी है, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने कोई योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जहां तक चाय का सम्बन्ध है, भारतीय काली चाय की, चीन, जापान और पाकिस्तान से कोई प्रतियोगिता नहीं है क्योंकि इन देशों से होने वाला काली चाय का निर्यात नगण्य है। केवल उन्हीं देशों में जहां कि हरी चाय उपयोग में लाई जाती है, चीन और जापान को हरी चाय का कुछ परिमाण में आयात किया जाता है। इन बाजारों को भारतीय हरी चाय का निर्यात करने की सम्भावनाओं के विषय में ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है और हरी चायों के उपयुक्त वर्गों का विकास करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। हरी चाय के निर्यात पर कर में 5 प्रतिशत तक की छूट देने के लिये स्वीकृति दे दी गयी है।

यह निश्चय किया गया है कि जूट निर्मित वस्तुओं के निर्यातकों को उनके द्वारा जूट-निर्मित वस्तुओं के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा के 2 प्रतिशत भाग तक के लिये कर में छूट देने की अनुमति दी जाये।

चूंकि केवल बंगाल देशी रुई तथा अन्य प्रकार की कताई के अयोग्य रुई, जैसे झाड़ा, पीलिया और कोमिल्ला किस्मों का निर्यात भारत से करने की अनुमति दी जाती है, अतएव रेशे वाली किस्मों का निर्यात करने वाले देशों से प्रतियोगिता होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात

1434. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपरम्परागत वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाकर निर्यात सम्बन्धी ऊंचा लक्ष्य पूरा करने के लिये कोई योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : केवल अपरम्परागत वस्तुओं के सौदों के बढ़ाने से निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। निर्यात सहायता तथा निर्यात संवर्द्धन के जो विभिन्न उपाय इस समय चालू हैं उनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना है।

निर्यात वस्तुओं के एकक मूल्य को बढ़ा कर अधिक विदेशी विनिमय उपार्जन करने के लिये भी निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। एकक मूल्य बढ़ाने का एक तरीका यह होगा कि निर्यात के माल का और अधिक समापन किया जाय। उदाहरण के लिये निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क की गोलियां तैयार की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार की भारतीय संस्था कुछ विशेष अध्ययन कर रही है। निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा पण्य बोर्डों से भी कहा गया है कि वे निर्यात उत्पादों को और अच्छा समापन करने में जो समस्याएं आड़े आती हैं उनकी ओर विशेषत: ध्यान दें।

एकक मूल्य को बढ़ाने तथा इस प्रकार निर्यात को स्थिर आधार पर निश्चित रूप से स्थापित कर देने का दूसरा ढंग यह है कि निर्यात की वस्तुओं की किस्म सुधारी जाय। इस लिए निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिकाधिक वस्तुओं को ले जाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम अपमे नये इंजीनियरी औ रसायनिक उद्योगों तथा अन्य निर्माण करने वाले उद्योगों के समापित माल का भी निर्यात अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं।

सिगनल-व्यवस्था के आधुनिक तरीके

1435. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में बड़े पैमाने पर रेलों पर सिगनल-व्यवस्था के आधुनिक तरीकों को आरम्भ करने का निश्चय किया है;

(ख) तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी पूंजी लगाने का विचार है; और

(ग) क्या सिगनल-व्यवस्था तथा दूर संचार व्यवस्था में इलेक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन योजनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं :—

बड़े यार्डों में रूट रिले अन्तर्पाश की व्यवस्था;
बड़े विन्यास यार्डों में रिटार्डरों की व्यवस्था और हम्प का यांत्रिकीकरण;
चुने हुए मुख्य मार्गों पर स्वचल गाड़ी नियंत्रण की व्यवस्था;
एकहरी लाइन वाले व्यस्त खण्डों पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण;
दोहरी लाइन वाले व्यस्त खण्डों पर स्वचल सिगनल लगाना;
इकहरी लाइन वाले कुछ खण्डों पर टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था;
प्रमुख केन्द्रों के बीच माइक्रोवेव मल्टीचैनल संचार व्यवस्था;
केवल सिगनल और दूर-संचार सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिये लगभग 55 करोड़ रुपये की रकम लगाने का विचार है।

(ग) जी हां।

Imports

1436. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that imports against free foreign exchange had been banned for two months;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) The particulars of the commodities affected by it?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In view of tight foreign exchange position, the issue of fresh licenses against free foreign exchange for all the commodities had been suspended from 6th May, 1965 upto 30th June, 1965.

पटना के निकट गंगा पर रेल-एवं-सड़क पुल

1437. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के निकट गंगा पर एक रेल-एवं-सड़क पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस पुल के निर्माण से क्या लाभ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : पटना में गंगा पर रेल-सड़क पुल बनाने के सम्बन्ध में अभी तक न तो बिहार सरकार की ओर से और न ही केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से कोई प्रस्ताव आया है। लेकिन रेल परिवहन की दृष्टि से मुकामा के समीप का वर्तमान रेल पुल उस क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझा जाता है।

ढलाई कारखानों को कच्चे लोहे का आवंटन

1438. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ढलाई कारखानों को उन के लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक कच्चा लोहा दिया जा रहा है, और साथ ही कुछ ऐसे ढलाई कारखानों को भी जिन्हें लाइसेंस नहीं दिया है और जो ढले लोहे के स्लीपर तथा रेलवे की अन्य वस्तुएं तैयार करते हैं, कच्चा लोहा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा आवंटन किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो नियमों का ऐसा उल्लंघन करने वाली फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : चूंकि 20 अगस्त, 1965 से कच्चे लोहे और धातुपिण्ड के सांचों पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है, अब कोई भी ढलाई कारखाना बिना कोटा सर्टीफीकेट अथवा अधिकृतिकरण के कच्चा लोहा प्राप्त कर सकता है। विनियंत्रण से पूर्व ढलाई के कारखानों को कच्चे लोहे का नियतन लाइसेंस प्राप्त ढलाई कारखाने के प्रायोजी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता की अधिकतम सीमा के अन्दर किया जाता था जिसकी वह सिफारिश करता था। स्लीपर निर्माताओं को नियतन उस सीमा तक किया जाता था जिसकी रेलवे बोर्ड सिफारिश करता था। किसी भी ढलाई के कारखाने को उसकी निर्धारित क्षमता अथवा नियतन से अधिक दिये गये माल का समायोजन उसकी भावी हकदारी से किया जाता था।

केरल में मेल्लत्तर-फरोक रेलवे लाइन

1439. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने मैल्लत्तूर-फरोक रेलवे लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

विकासोन्मुख देशों के बीच व्यापार के लिये पैकेज प्रोग्राम

1440. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के विशेष कार्यकारी दल की बैठक में विकासोन्मुख राष्ट्रों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये एक पैकेज प्रोग्राम बनाने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव रखे गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं। भारत तथा कुछ अन्य कम विकसित देशों के प्रतिनिधियों द्वारा गाट में हुई वार्ता के समय कुछ प्रयोगात्मक सुझाव रखे गये हैं। इनमें से कुछ प्रस्तावों को विकासोन्मुख देशों के बीच व्यापार वृद्धि करने के कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की सम्भाव्यता की जांच, गाट द्वारा नियुक्त किये गये एक कार्यकारी दल द्वारा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूसी सहायता प्राप्त इस्पात कारखानों में भारतीय तकनीशियनों का प्रशिक्षण

1441. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने रूस की सहायता से चल रहे इस्पात कारखानों में काम कर रहे भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण की योजनाओं के बारे में मास्कों में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने भारत की प्रशिक्षण-योजनाओं की यह आलोचना की थी कि वे संबंधित प्रायोजनाओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं; और

(ग) सरकार की इस विषय में क्या राय है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर बातचीत की गई थी। जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ का पालन किया जा रहा है।

मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास

1442. **श्री दाजी :** **श्री प्रभात कार :**
श्रीमती विमला देवी : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन उद्योगों का विकास करने के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या कार्य सौंपा गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गर-सरकारी क्षेत्रों में मशीन उद्योग की स्थापना के लिये विभिन्न योजनाओं पर विचार हो रहा है। योजना के पूर्ण होते ही इन परियोजनाओं पर निर्णय कर दिया जाएगा।

नंगल बांध रेलवे स्टेशन पर सुविधायें

1443. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल बांध रेलवे स्टेशन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों को प्रस्तावित सुविधायें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : नांगल डैम स्टेशन पर पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में फ्लश वाले शौचालय बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और काम जारी है।

नांगल डैम स्टेशन पर निम्नलिखित निर्माण-कार्य के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं और खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है--

(i) यात्री प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था।

(ii) नहाने की सुविधा सहित साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था।

(iii) अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म की व्यवस्था।

(iv) खाली गाड़ियों की धुलाई के लिए नल की व्यवस्था।

(v) अमानती सामान घर, सामान कार्यालय, प्लेटफार्म पर अधिक बैंचों, किताब की दूकानों और स्टेशन की इमारत के बाहर पोर्च आदि अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था।

(vi) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था।

(vii) माल और पार्सल सम्बन्धी सुविधाएं।

(viii) विश्रामालय की व्यवस्था ।

पंजाब को सीमेन्ट का सम्भरण

1444. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को इस समय कितने सीमेंट की आवश्यकता है; और

(ख) 1964-65 और 1965-66 में अब तक पंजाब को कितना सीमेंट दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : पंजाब की (राज्य कोटा के अन्तर्गत) सीमेंट की मांग और उसको किये गये नियतन बताने वाले आंकड़े निम्नलिखित है :--

वर्ष	मांग (मीट्रिक टनों में)	नियतन
1964-65	11,47,011	4,89,300
1965-66	6,69,846	2,40,000
(अप्रैल-सितम्बर 1965)		

आसाम में चाय के बाग

1445. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के चाय के बागों में से एक चौथाई बाग़ बिल्कुल अलाभप्रद हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको लाभकारी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी अफ्रीका को रेल कारों का संभरण

1446. **श्री हेडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी अफ्रीका को रेल कारों का सम्भरण करने का कोई ठेका मिला है;

(ख) यदि हां, तो कितने वैगनों तथा रेल कारों का संभरण किया जायेगा; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : पूर्वी अफ्रीकी रेलवे और पत्तन संगठन के रेल के 480 डिब्बों का संभरण करने के लिये एक भारतीय फर्म को एक संविदा प्राप्त हुआ है। इस संविदा का कुल मूल्य लगभग 80 लाख रु० होगा।

दक्षिण मे हथकरघे के कपड़े और रेशम का इकट्ठा होना

1447. **श्री सेझियान :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिण में हथकरघे का कपड़ा और हथकरघे की रेशम तथा कृत्रिम रेशम वस्तुयें भारी मात्रा में जमा हो गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी थी; और

(ग) इस जमाव को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास राज्य में मई 1965 में, लगभग 4.45 करोड़ रु० मूल्य का हथकरघे का माल एकत्रित हो गया था जो कि प्राथमिक समितियों द्वारा किये गये तीन महीने के उत्पादन के बराबर तथा शिखर समिति द्वारा की जाने वाली सामान्य निकासी का चार गुना था। आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी इसी प्रकार से माल एकत्रित हो गया था, परन्तु वह इस सीमा तक नहीं था।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक ने मद्रास राज्य शिखर समिति को हथकरघा वस्त्र विपणन के लिये अतिरिक्त ऋण सुविधायें बढ़ा कर 100 लाख रु० की सीमा तक कर दी जबकि पहले यह सीमा 70 लाख रु० थी। मद्रास सरकार ने शिखर समिति को प्राथमिक समितियों से और अधिक खरीद करने के लिये 50 लाख रू० की अग्रिम राशि दी है। राज्य सरकार ने भी सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा वस्त्र की थोक बिक्री पर एक अतिरिक्त छूट की घोषणा की है जो कि 1-6-65 से 2 माह के लिये थी और अब इसे दो महीने के लिये और बढ़ा दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर सुविधायें

1448. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर चम्पारन जिले में से गुजरने वाली गाड़ियों में डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या विभिन्न श्रेणियों में रखे गये स्थानों की संख्या तथा गाड़ियों में भोजन व्यवस्था जैसी सुविधाएं पूर्वी रेलवे पर दी जाने वाली सुविधाओं की अपेक्षा कम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों रेलों पर एक्सप्रेस/डाक सवारी गाड़ियों के किराये एक समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सुविधाओं तथा आराम के अनुसार किराये में परिवर्तन करने का विचार करती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या, विभिन्न दर्जों में उपलब्ध जगह, खान-पान आदि सुविधाओं की व्यवस्था मुख्यत: इस आधार पर की जाती है कि किसी विशेष खण्ड पर कितना और किस तरह का यातायात होता है न कि क्षेत्रीय आधार पर या किसी दूसरी बात को ध्यान में रखकर। दो विभिन्न रेलों के खण्डों की बात तो दूर रही, एक ही रेलवे के एक खण्ड की तुलना में दूसरे खण्ड पर यातायात के स्वरूप और मात्रा में अन्तर होता है। इसलिये पूर्वोत्तर रेलवे के चम्पारन सिविल ज़िले में रेल खण्डों पर उपलब्ध सुविधाओं की तुलना पूर्व रेलवे पर उपलब्ध सुविधाओं से करना मान्य न होगा।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली मे "निर्जल बन्दरगाह" (ड्राई पोर्ट)

1449. श्री दी०चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत प्रादेशिक निर्यात सलाहकार समिति ने निर्यातकों की सुविधा के लिये दिल्ली में निर्जल बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर भारत प्रादेशिक निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति की सिफारिशें नीचे लिखे कारणों से स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है :—

(1) इस समय कारखानों के स्थलों पर ही निर्यात की वस्तुओं की जांच और सीलबन्दी की सुविधाएं समस्त भारत में दी जा रही हैं। जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है, अथवा जिन वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली वस्तुओं पर लिये गये शुल्क की वापसी के दावे किये जाते हैं अथवा कलापूर्ण कारीगरी की कोमल किस्म की वस्तुओं इत्यादि के लिये ये सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका निर्यात के बन्दरगाह पर खोलना और फिर पैक करना खतरनाक अथवा असुविधाजनक होता है।

(2) दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय डाकघर मौजूद है और दिल्ली के दोनों हवाई अड्डे भी सीमाशुल्क वाले हवाई अड्डे घोषित कर दिये गये हैं। इस प्रकार डाक अथवा हवाई जहाजों द्वारा विदेशों को निर्यात को जाने वाली सभी वस्तुओं के लिये दिल्ली में सीमाशुल्क सम्बन्धी पूरी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पटियाला स्टेशन पर पानी की व्यवस्था

1450. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से इस बात की शिकायतें की गई हैं कि बहुत से रेलवे स्टेशनों पर पीने के लिए अस्वच्छ पानी दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटियाला स्टेशन पर पानी ठंडा करने की मशीन से निकाले गए पीने के पानी की डाक्टरी जांच करने से पता चला है कि वह पानी पीने योग्य नहीं था तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक था;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक्टरी जांच होने के बाद भी कई महीनों तक वही पानी सप्लाई किया गया तथा अब तक वही पानी दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही की ओर ध्यान दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Factories in Shahganj Area (Delhi)

1451. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that an officer of the Delhi Administration inspected Shahganj area and found that not even a single factory out of the 12 factories to whom licence/permits for quotas of raw materials have been granted is located in that area;

(b) Whether Government have enquired into this matter;

(c) If so, the names of the persons to whom these licences have been granted; and

(d) The action being taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (d). Out of about 35 units manufacturing utensils in the Shahganj Area of Delhi, 20 units were inspected by the Delhi Administration on 27-3-1965 with a view to checking the utilisation position of the raw materils, *viz.*, copper and zinc, obtained by these units for casting brass utensils. The names and other particulars of these 20 units are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-4740/65.]**

The Delhi Administration found that 8 units at S. Nos. 13-20 of the statement were using raw materials for the manufacture of Metal-glasses, Surmadanies, Huqqas, etc., for which the quotas of copper and zinc had been originally sanctioned to them. Out of the remaining twelve units, eleven units were in existence but were not working and one unit was not in existence at all. The quotas of raw materials in the name of all these 12 units were suspended by the Delhi Administration on 24-5-1965 pending a detailed enquiry.

कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण

1452. श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा बनाने की मशीनों के निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1964 में इनका निर्माण कितना हुआ;

(ग) पिछले दस वर्षों में इनके निर्माण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) इस बारे में देश के आत्मनिर्भर होने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : 1964 में कपड़ा बनाने की मशीनों के स्वदेशी उत्पादन सब से अधिक हुआ जब कि 45 करोड़ रु० के मूल्य की मशीनें (22 करोड़ रु० के मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों और सम्बंधित उपकरणों के समेत) बनाई गई। 1956 में इस प्रकार की मशीनें 2.39 करोड़ रु० के मूल्य की बनाई गई थी जिनमें अतिरिक्त पुर्जे और सम्बंधित उपकरण उनके आंकड़े न मिलने के कारण शामिल नहीं है। अतः पिछले दशक में इनके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1964-65 में स्वदेशी उत्पादन के अलावा 22 करोड़ रु० के मूल्य की कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात किया गया।

रेलवे के लोअर-डिवीजन क्लर्क

1453. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंकड़ों रेलवे कर्मचारी, जो लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में भर्ती होते हैं, उसी पद से रिटायर हो जाते है;

(ख) इस स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या विचार किया है; और

(ग) क्या किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारी भी उसी पद से सेवा निवृत्त होते हैं जिन पर कि वे भर्ती हुए थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। सिर्फ रेलों के लेखा विभाग में काम करने वाले बहुत थोड़े क्लर्कों को छोड़कर जो परिशिष्ट II परीक्षा पास नहीं कर पाते।

(ख) लेखा विभाग में क्लर्क ग्रेड I की कोटि में 25 प्रतिशत खाली जगहें ग्रेड II के क्लर्कों की पदोन्नति के लिए आरक्षित रखी गयी हैं। यह पदोन्नति उनकी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक साधारण लिखित परीक्षा पास करनी होती है।

(ग) जी हां।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रम

1454. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री बागड़ी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सहायक एककों के विकास के हेतु किये जाने वाले विविध कार्यों का ब्यौरा तैयार करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए, एक सुयोग्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) इस पद के लिये क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं तथा पदाधिकारी किस प्रकार चुना जायेगा;

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में सहायक एकक स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) क्या सभी सहायक एकक गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे और यदि हां, तो उपक्रमियों को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के कार्यालय में एक विभाग है जिसका प्रमुख एक निदेशक है। इसका कार्य सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का संगठन और विकास करना है। अतः एक और तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत से सरकारी प्रतिष्ठानों ने उच्च स्तर के तकनीकी अधिकारियों के पद सम्बंधि सहायक उद्योगों के विकास के लिए विस्त्रित योजनाएं तैयार करने के स्वयं ही बना लिए हैं।

(ग) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सहायक उद्योग विभाग द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने अपने सहायक उद्योग स्थापित करने की दिशा में महत्व-पूर्ण प्रगति की है।

(1) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलोर

(2) हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल

(3) भारत इलैक्ट्रोनिक्स, बंगलोर

(4) एंटिबायटिक फैक्ट्री, पूना

(5) एंटिबायटिक प्रायोजना, ऋषिकेश

(6) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची

सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा भी इसी प्रकार का कार्य करने के सम्बंध में बातचीत हो रही है।

(घ) सरकार आशा करती है कि बहुत कुछ अंशों तक सहायक उद्योगों का विकास लघु उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा। छोटे सहायक एककों को जिनका पूंजी विनियोजन 5 लाख रु० से अधिक किन्तु 10 लाख रु० तक है, निम्नलिखित सुविधायें मंजूर की गई हैं :—

(1) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा तकनीकी सहायता।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों का सम्भरण।

(3) औद्योगिक बस्तियों में कारखानों का आवंटन।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी लघु एकक की तरह उन लघु सहायक एककों को, जिनका पूंजी विनियोजन केवल 5 लाख रु० तक है, निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार के खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत सहयोग प्राप्ति ; जमा की जाने वाली जमा-नत के भूगतान से छूट ; सम्भरण तथा निपटान महा-निदेशक द्वारा मांगे गये टेंडरों के लिये बड़े उपक्रमों की अपेक्षा मूल्य में 15 प्रतिशत का अधिमान्य।

(2) राज्य के लघु उद्योग के कोटे में से इस्पात, आयात कोटा इत्यादि का आवंटन किये जाने के लिये हकदार होना।

(3) स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य साधनों से ऋण की सुविधायें।

जगाधरी स्टेशन का पार्सल कार्यालय

1455. **श्री गुलशन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में विशेष पुलिस संस्थान ने जगाधारी रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो वहां क्या चीज़ें पकड़ी गयीं; और

(ग) सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक पार्सल क्लर्क के पास उसके निजी 2 रुपये 13 पैसे पाये गये, जो कि वर्तमान अनुदेशों का उल्लंघन है।

(ग) विशेष पुलिस सिब्बन्दी की रिपोर्ट के आधार पर समर्थ प्राधिकारी ने इस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

केरल में सीमेन्ट कारखाना

1456. श्री मणियंगाडन : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में कोट्टायम के सीमेंट कारखाने में केवल श्वेत सीमेंट तैयार होता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सीमेंट की भारी कमी को पूरा करने के लिए कारखाने में भूरी सीमेंट भी तैयार की जाये; और

(घ) उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1964 में कोट्टायम सीमेंट कारखाने ने लगभग 49,500 मीट्रिक टन पोर्टलैंड भूरा सीमेंट तथा 11,500 मीट्रिक टन श्वेत सीमेंट तैयार किया। 1965 में भूरे सीमेंट का अभी तक कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है और केवल 20,500 मीट्रिक टन के लगभग श्वेत सीमेंट तैयार किया गया है।

(ख) कारखाने को भूरा तथा श्वेत दोनों प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करने की अनुमति है। भूरे सीमेंट का उत्पादन करना अपेक्षाकृत अलाभदायक होता है, इसमें घोंघे के खोल कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं जो झील से निकलते हैं और यह कार्य छोटे पैमाने पर किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जई का आयात

1457. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में भारत में कितनी जई का आयात किया गया;

(ख) आयात की मात्रा में से—

(एक) कितना घोड़ों को दिये जाने वाले दाने के काम आया,

(दो) कितना नाश्ते के रूप में प्रयोग किया गया; और

(ग) क्या आयात लाइसस वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये या ठेकेदारों को ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964–65 में भारत में 1104 मी० टन जई का आयात किया गया।

(ख) और (ग) : लाइसेन्स अवधि 1964-65 तथा 1965-66 (22 मई, 1965 तक) में जई के आयात के लिए दिये गये आयात लाइसेंन्सों का ब्यौरा प्रकट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4741/65]।**

बॉल तथा बेलन (रॉलर) बेयरिंगों का निर्माण

1458. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल तथा बेलन (रौलर) बेयरिंग बनाने वाले विद्यमान कारखाने इन वस्तुओं के बारे में देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ;

(ख) क्या आर्थिक दृष्टि से उन कारखानों के पैर जम गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :(क) जहां तक परिमाण का संबंध है देश का वर्तमान उत्पादन देश की विद्यमान रोलिंग कान्टैक्ट बेयरिंगों की लगभग आधी मांग पूरी कर सकता है। उत्पादन की किस्मों और आकारों के रूप में तथा जहां तक मूल्य का संबंध है, काफी बड़ भाग का अभी आयात किया जाता है।

(ख) और (ग) : अब तक लाइसेंस दिये गये एककों की क्षमता भिन्न-भिन्न है जिसमें और अधिक विस्तार हो जाने की आशा है। विद्यमान कारखानों में उत्पादन और अधिक लाभदायक स्तर पर किये जाने की दृष्टि से सरकार ने नये एककों के लिये और अधिक लाइसेंस दिये जाने के प्रयोजन से इस उद्योग को निषिद्ध सूची में रख दिया है तथा केवल विद्यमान एककों में विविधता लाने या उनकी विस्तार योजनाओं पर ही उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।

कारों और स्कूटरों की खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया

1459. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों तथा स्कूटरों की चोर बाजारी रोकने के लिए उनकी खरीद के लिये नई प्रक्रिया लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 तथा स्कूटर (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश 1960 अभी हाल ही में संशोधित किए गए हैं।

(i) संशोधन आदेश, जो 29 मई, 1965 से लागू हुआ है के अनुसार ग्राहक मोटर कार / स्कूटर के आर्डर केवल उसी इलाके के विक्रेता के पास बुक कर सकते है जहां कि वह रहते हैं।

(ii) बाद के दो संशोधन आदेशों के द्वारा जो 29 जून, 1965 और 26 अगस्त, 1965 को लागू किए गए थे के द्वारा प्रत्येक ग्राहक को मोटर कार / स्कूटर बुक कराते समय अपने पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउन्ट की पास बुक इस बात के प्रमाण के लिए देनी पड़ती है कि उन्होंने पोस्ट आफिस में सिक्यूरिटी डिपाजिट एकाउन्ट जिसकी राशि क्रमशः 2,000। 250 रु० होती है खोल लिया है और उसका अपने विक्रेता को भुगतान करने की प्रतिज्ञा कर दी है। उन व्यक्तियों को भी जिनका आर्डर विक्रेता के रजिस्टरों में 29 जून, 1965 से पहले दर्ज हो चुका था उस तारीख से 90 दिन के अन्दर अपने द्वारा दी गई गारन्टी के स्थान पर एक पोस्ट आफिस सेविंग्ज बैंक पास बुक विक्रेता को देनी होगी।

दक्षिण रेलवे पर यात्री सुविधायें

1460. **श्री बासप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के मैसूर और हुबली खंडों में चालू वर्ष में यात्रियों के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैसूर तथा हुबली डिविजनों में, चालू वर्ष में यात्रियों के लिये जो विभिन्न सुविधा-कार्य किये जा चुके हैं या करने का विचार है, उनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4742/65।]**

Export of Engineering Goods to West Germany

1461. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to increase the export of engineering goods to West Germany;

(b) If so, the names of the articles to be exported; and

(c) The terms thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A tentative list of Engineering products identified as offering possibilities for export from India to West Germany is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library**. *See* **No. LT4743/65**.] The prospects for export of these items to West Germany are being vigorously pursued. The Engineering Export Promotion Council has stationed a technically qualified foreign officer at Dusseldorf for the purpose. This officer is in continuous touch with various West German importers of these products. As a result, some export orders have already been booked in the line of cutting tools, fuel injection equipment etc. In view, however, of the sophisticated nature of the West German market in terms of quality, pricing etc., it is expected that these promotional efforts will take some time to fructify in the shape of large physical exports.

Textile Exports

1462. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Warior :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the Committee appointed by Government to suggest ways to step up textile exports has submitted its report;

(b) if so, the recommendations made by the Committee; and

(c) the action taken thereon by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) to (c). A statement is laid on the table of the House. [**Placed in the Library**. *See* **No. LT-4744/65**.]

ट्रैक्टरों और शक्तिशाली हलों का निर्माण

1463. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री चाण्डक :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्य सरकारों/राज्य औद्योगिक निगमों ने तीसरी योजना की अवधि में ट्रैक्टर और बिजली से चलने वाले हल तैयार करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदनपत्र दिये हैं उनके नाम और संख्या कितनी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन निगमों को ये लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम तथा उनकी संख्या क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : तीसरी योजना में निम्नलिखित राज्य सरकारों/राज्य औद्योगिक निगमों ने ट्रैक्टर और पावर टिलर बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के लिये आवेदन किया था और इन आवेदनों पर किया गया निर्णय प्रत्येक के सामने दिखाया गया है :—

क्रम सं०	सरकारी/राज्य औद्योगिक निगम का नाम	वस्तु जिसके निर्माण के लिये आवेदन किया गया	लाइसेंस मंजूर किया गया अथवा नहीं
1.	इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा, भूवनेश्वर।	पावर टिलर	एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।
2.	डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज, पंजाब	(1) पावर टिलर	शीघ्र ही एक आशय-पत्र जारी किया जाने वाला है।
		(2) ट्रैक्टर	लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया।
3.	यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कानपुर।	पावर टिलर	शीघ्र ही एक आशय-पत्र जारी किया जाने वाला है।
4.	डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज, मध्य प्रदेश	ट्रैक्टर	लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश के लिये औद्योगिक लाइसेंस

1464. श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री चाण्डक :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1965 तक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये गैर सरकारी लोगों से मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश के साथ कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्योरा क्या है;

(ग) ये आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए थे; और

(घ) इन को अन्तिम रूप से निपटाने में संभवत: कितना समय लगेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

झींगों का निर्यात

1465. श्री मुहम्मद कोया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार द्वारा झींगों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण कोचीन बन्दरगाह में झींगे भारी मात्रा में जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सूखे झींगों के लिये वैकल्पिक बाजार ढूंढने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस समय स्थिति ऐसी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के विद्युतीकरण मे लगे हुए मजदूर

1466. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे के विद्युतीकरण की विभिन्न परियोजनाओं में कई वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों की इस मांग पर विचार कर रही है कि उन्हें स्थायी कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

लखनऊ-गौहाटी सेक्शन का विद्युतीकरण

1467. डा० महादेव प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी रेलवे के लखनऊ–गौहाटी सैक्शन के विद्युतीकरण को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब कार्यान्वित होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाभ नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस खण्ड पर जितना यातायात होता है उससे विद्युतीकरण का औचित्य नहीं बनता।

Railway Amenities on N. E. Railway

1468. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 28 on the 11th February, 1964 and state :

(a) the additional amenities provided on the Anand Nagar-Nautanwa Section of the North Eastern Railway since April, 1964; and

(b) whether there are still Railway Stations on the North Eastern Railway where Third Class waiting rooms and drinking water facilities have not yet been provided ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A new halt station named Lok Vidyapith Nagar between Anandnagar and Purandarpur stations, and a tap in the goods shed at Anandnagar have been provided since April, 1964.

(b) Every station on the Anandnagar-Nautanwa section of North-Eastern Railway is provided with waiting accommodation for class III passengers and drinking water facilities.

Platforms at Gorakhpur Station

1469. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that railway trains have often to halt at the outer signal on account of insufficient number of platforms at Gorakhpur station of the North Eastern Railway for the last several years ; and

(b) if so, the action being taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

गुजरात मे माल डिब्बों की कमी

1470. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास, बिनौले, चीनी मिट्टी, तेल तथा नमक के लाने ले जाने के लिये पिछले अप्रैल से गुजरात प्रदेश में पश्चिम जोन में माल डिब्बे प्राप्त करने में व्यापारियों के अत्यधिक कठिनाई अनुभव हो रहो है; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : अमरीका गोदी कर्मचारियों को हड़ताल के फलस्वरूप जहाजों का जमघट हो जाने के कारण अप्रैल, 1965 से कांडला तथा गुजरात के दो अन्य बन्दरगाहों भावनगर और नवलाखी से अमानित अनाज और उर्वरकों की भारी ढुलाई हुई। अप्रैल से जुलाई, 1965 की अवधि में कांडला, भावनगर और नवलाखी में प्रतिदिन औसतन लगभग 334 माल डिब्बों में अनाज और उर्वरक लादे गये, जबकि गतवर्ष इसी अवधि में 198 माल डिब्बों में लादे गये थे अर्थात् इस वर्ष 68.75 प्रतिशत अधिक लदान हुआ। अनाज और उर्वरकों के भारी लदान के साथ-साथ कच्छ में हुई गड़बड़ी का कुछ असर भावनगर और राजकोट डिवीजनों में बिना अग्रता वाले यातायात के परिवहन पर भी पड़ा। लेकिन कपास, बिनौला, चीनी-मिट्टी, आदि जैसी बिना अग्रता वाली वस्तुओं का अधिक मात्रा में लदान करने के बारे में प्रयत्न किये गये हैं। जुलाई, 1965 के पहले 20 दिनों में इन वस्तुओं के कुल 2,146 माल डिब्बे लादे गये जबकि 1964 की इसी अवधि में 1,714 माल डिब्बे लादे गये थे। अधिक लदान का स्तर बराबर कायम है।

इस्पात कारखाने

1471. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री सुधांशु दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने इस्पात कारखाने काम कर रहे हैं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) वर्तमान इस्पात कारखानों के लिए इस्पात उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है क्या उससे इस्पात की आवश्यकता पूरी हो जायेगी, और यदि नहीं, तो और कितने इस्पात का उत्पादन करना होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : इस समय भारत में नरम इस्पात बनाने वाले पांच बड़े सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने हैं जिनमें से तीन का विस्तार किया जा रहा है। यह आशा है कि वर्तमान विस्तार कार्यक्रम पूरा होने पर इन कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन 8.9 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड होगा।

2. यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में इस्पात की मांग 16.5 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड की होगी। वर्तमान इस्पात कारखानों के और अधिक विकास तथा बोकारों इस्पात कारखाने को मिलाकर इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने की संभावना है। शेष के लिए लगभग 1.5 मिलियन टन क्षमता का एक नया इस्पात कारखाना लगाने का विचार है। फिर भी चौथी योजना में समस्त इस्पात-विकास कार्यक्रम पर आजकल पुनर्विचार किया जा रहा है।

टमाटर तथा फलों के रस का निर्यात

1472. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत से टमाटर तथा फलों के रस का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को तथा किन भारतीय फर्मों द्वारा; और

(ग) 1963-64 तथा 1964-65 में इनके निर्यात से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1963-64 और 1964-65 में विभिन्न स्थानों को भेजे गये फलों के रस के निर्यात मूल्य प्रकट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4745/65।]** चूंकि फलों के रसों का निर्यात करने के लिये लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती इस लिये इन का निर्यात करने वाली फर्मों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। टमाटर के रस के निर्यात आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों में इसकी अलग श्रेणी नहीं है।

(ग) 1963-64 में निर्यात किये गये फलों के रस का मूल्य 7.35 लाख रु० था जो 1964-65 में 13.72 लाख हो गया।

बिहार में गुआ-जामदा क्षेत्र में खान मजदूर

1473. **श्री ह० च० सोय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुआ-जामदा क्षेत्र में खान मजदूरों के लिये रोजाना खानों तक जाने तथा घर लौटने के लिये परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें इस के लिये माल गाड़ियों से आना जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

ई० ई० सी० आयोग

1474. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई० ई० सी० आयोग जेनेवा में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के अधीन प्रशुल्क संबंधी केनेडी राउन्ड बातचीत में भाग नहीं ले सका; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह किस रूप में पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) केनेडी राउन्ड प्रशुल्क वार्ता में, औद्योगिक और कृषिजन्य उत्पादों के प्रशुल्क में कमी करने के लिये अलग से जांच की जा रही है। भाग लेने वाले देशों ने जुलाई 1965 में, विकासोन्मुखी देशों की दिलचस्पी के उन औद्योगिक उत्पादों की प्रथम जांच की, जिन्हें वार्त्ता में भाग लेने वाले विकसित देशों ने अपवाद सूची में सम्मिलित किया था। ई० ई० सी० आयोग ने जुलाई में, ई० ई० सी० मंत्री परिषद द्वारा एक वर्ष पूर्व औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में दिये गये एक आदेश के अन्तर्गत, वार्त्ता में भाग लिया।

आयोग को अभी तक, ई० ई० सी० मंत्री परिषद से कृषिजन्य उत्पादों विषयक वार्त्ता में भाग लेने के लिये आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कृषिजन्य उत्पादों के विषय में अपने प्रस्ताव भेजने की तिथि 16 सितम्बर, 1965 निर्धारित की गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सीमेंट की कमी

1475. श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री काजरोलकर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में सीमेंट की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट की कमी के कारण निर्माण कार्य, कुओं तथा मकानों का निर्माण कार्य रुका गया है; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य के लिये सीमेंट की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबूधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे सीमेंट के आवंटित परिमाण का इस्तेमाल प्रत्येक मांग की तुलनात्मक अनिवार्यता और प्राथमिकता के आधार पर करेंगी। इस प्रक्रिया के अनुसार कम प्राथमिकता वाले कुछ निर्माण कार्यों को आवश्यकतानुसार या तो कुछ समय के लिये स्थगित किया जा सकता है अथवा उनके निर्माण की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऐसे मामलों के वास्तविक महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) नये कारखानों की शीघ्र ही स्थापना करके तथा विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करके सीमेंट का संभरण बढ़ाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बम्बई-दिल्ली मार्ग (मध्य रेलवे) पर अधिक भीड़

1476. श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय रेलवे के बम्बई-दिल्ली मार्ग पर गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर यात्रियों के लिये एक जनता गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है ताकि अत्यधिक भीड़भाड़ न रहने पाये ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्यमंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : यह मान लिया गया है कि मध्य रेलवे के रास्ते बम्बई वी० टी० और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। लेकिन इस मार्ग के विभिन्न खंडों पर लाइन-क्षमता की कमी के कारण इस तरह की अतिरिक्त गाड़ी चलाना अभी संभव नहीं है। इस मार्ग पर लाइनक्षमता बढ़ाने के काम प्रगति पर हैं, जिनके पूरा हो जाने पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने पर विचार किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1477. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने चूनापत्थर, तांबा, खनिज नमक, जिप्सम, और कोयले के बड़े निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारतीय भौमिकी विभाग ने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के सर्वेक्षणों से पता लगाया है कि वहां चूना-पत्थर के विस्तृत निक्षेप तथा नमक चट्टान और जिप्सम के कुछ निक्षेप है। तथापि तांबा तथा कोयले की प्राप्ति का कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

(ख) चूना-पत्थर के संचय 400 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है जिससे से आधे से अधिक उच्च श्रेणी के हैं। जिप्सम के संचय 1.3 मिलियन मीटरी टन के स्तर के हैं। वर्तमान उत्पादन की दर पर मंडी में नमक के संचय 10 वर्ष तक चलने का अनुमान है।

इंडोनेशिया भेजा जाने वाला पटसन का माल

1478. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के सामान का एक जहाज जिसके लिये इंडोनेशिया ने आर्डर दिया था, उस देश में नहीं पहुंचा है और इस सम्बन्ध में इंडोनेशिया एक दावा भारत को पेश कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो संविदा के अनुसार वचन पूरा न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : इण्डोनेशिया को पटसन के सामान का लदान अभी पूर्ण नहीं हुआ है । इण्डोनेशिया की ओर से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और वायदा पूरा न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

होस्पेट में इस्पात कारखाना

1479. श्री सोलंकी :
डा० प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री बासप्पा :

क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसूर के मुख्य मंत्री के 6 जुलाई, 1965 के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि शायद अब भी वह राज्य होस्पेट में इस्पात कारखाना स्थापित करें;

(ख) क्या उस राज्य सरकार ने केन्द्र से स्वीकृति मांगी है; और

(ग) क्या स्वीकृति दे दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे कुछ समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा गया है कि मैसूर राज्य भारत सरकार की मंजूरी मिलने पर होस्पेट में एक इस्पात कारखाना स्थापित करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाना

1480. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार पर उस राज्य में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इंडिया कंसार्टियम ने, जिन्हें भारत सरकार ने भारत में नये इस्पात कारखाने (पांचवें) के स्थल के लिय दो उपयुक्त स्थलों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त किया था । बैलाडिला क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है । कंसार्टियम की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

चौथी योजना में कोयले का उत्पादन

1481. **श्री सुधांशु दास** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में कोयला उत्पादन के श्रेणीवार, क्षेत्रवार तथा खण्ड-वार लक्ष्य क्या है;

(ख) कोयले की आवश्यकताओं के अनुमान किस आधार पर बनाये गये हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कोयले का उत्पादन कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है, यद्यपि समस्त अन्वीक्षात्मक लक्ष्य 120 मिलियन मीटरी टन का है ।

(ख) चौथी योजना में उद्योगानुसार कोयले की आवश्यकता का अनुमान पुरस्कर्ता अधिकारियों तथा प्रयोक्ता विभागों के परामर्श से लगाया जा चुका है । अगले पांच वर्षों में ऐसे उद्योगों के सम्भावित विकास को ध्यान में रखा गया है ।

(ग) कोकिंग तथा ब्लैंडबल कोयले के जो और प्रस्ताव सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों से आये हैं उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है । नानकोकिंग कोयले के लिये, दक्षिणी कोयला खानों की मांग को पूरा करने के लिये सिंगरेनी कोयला कम्पनी द्वारा लगभग 3 मिलियन मीटरी टन तथा समीपी सतपुरा विद्युत केन्द्र की मांग को पूरा करने के लिये पाथरखेरा में राष्ट्रिय खनिज विकास निगम द्वारा लगभग 0.5 मिलियन मीटरी टन को छोड़कर तीसरी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं या योजनाओं से कोई-अधिक उत्पादन करने का विचार नहीं है ।

भिलाई की छठी धमन-भट्टी के लिये तकनीकी सहायता

1482. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि भारतीय तकनीशनों ने इस्पात कारखाने के विषय में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है क्या भिलाई में छठी धमन-भट्टी स्थापित करने के लिये तकनीकी सहायता लेना अपरिहार्य नहीं समझा जाता है; और

(ख) क्या कारण हैं कि इस प्रयोजन के लिये सरकार तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : छठी धमन भट्टी का निर्माण भारतीय तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ उपकरण सोवियत संघ से प्राप्त किए जाएंगे, निर्माण के पर्यवेक्षण के लिये कुछ सोवियत विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।

छठी धमन भट्टी के लिये पुर्जों का आयात

1483. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में छठी धमन-भट्टी स्थापित करने के लिये आवश्यक कुछ पुर्जे आयात करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें रांची के भारी मशीन निर्माण कारखाने में तैयार करना सम्भव तथा लाभप्रद नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वावलम्बी बनने की दृष्टि से इन पुर्जों का रांची में कब तक निर्माण किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : रांची के भारी-मशीन निर्माण कारखाने तथा अन्य देशीय स्त्रोतों से प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों तथा सोवियत संघ से आयात किये जाने वाले उपकरणों की सविस्तर सूचियां भारी-मशीन कारखाने के साथ अच्छी तरह सलाह करके बनाई गई थीं अतः प्रायोजना को निर्माण-अनुसूची के सम्बन्ध में भारी मशीन निर्माण कारखाने की उत्पादन क्षमता को पूरी तरह ध्यान में रखा गया था भारी-मशीन निर्माण कारखाने के संभरण क्षेत्र में सम्मिलित उपकरणों के लिए, भारी-मशीन निर्माण कारखाने ने सोवियत संघ से कुछ संघटक और अर्द्ध तैयार पुर्जे आयात करने की योजना बनाई है।

(ग) सोवियत संघ से कुछ साज़-सामान, संघटक और अर्द्ध-तैयार पुर्जे आयात करने आवश्यक हो गए हैं क्योंकि रांची स्थित भारी-मशीन निर्माण कारखाने में इन वस्तुओं विशेषतः फाउंड्री फार्ज संयंत्र का निर्माण करने की पूरी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जैसे जैसे रांची के भारी-मशीन निर्माण कारखाने में निर्माण सुविधाओं का क्षेत्र बढ़ता जायगा, आयात में उत्तरोत्तर कमी होती जायगी। ऐसी आशा है कि 1967-68 तक धमन भट्टियों के लिए आवश्यक उपकरणों में से बहुत से उपकरणों का निर्माण यहीं होने लगेगा।

झरंढल्ली खानें

1484. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झरंढल्ली में अर्द्ध-यंत्रचालित खानों के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) विकास योजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) खानों में बैंच लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और हाथ से खनिज लोहा निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। खान की ओर खुदाई का काम उन उपकरणों की सहायता से किया जाएगा जो अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं और जिनके भिलाई के 2.5 मिलियन टन विस्तार सम्बन्धी निर्माण-कार्य से उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) विकास योजना के 1968-69 के पूर्वार्द्ध में पूरी होने की आशा है।

(ग) मंजूर किया गया पूंजीगत व्यय 21.9 मि० रुपए है लेकिन वास्तविक लागत कम हो सकती है क्योंकि ऐसा विचार है कि उपकरणों का इस खान में उपयोग करने के पश्चात् कुछ दूसरी खानों का विकास करने के लिये उपयोग किया जाएगा।

किस्म नियंत्रण

1485. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात की जाने वाली विविध वस्तुओं के मामले में अनिवार्यतः किस्म नियंत्रण पद्धति लागू होने के बाद से अब तक क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : विभिन्न निर्यात-योग्य वस्तुओं के लिये अनिवार्य किस्म नियंत्रण लागू किये जाने के पश्चात् प्राप्त हुए परिणामों का मूल्यांकन इन से किया जा सकता है :—

(1) निर्यात परिमाण में वृद्धि होना,

(2) प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि होना,

(3) शिकायतों की संख्या में कमी होना, समुद्रपारीय बाजारों में विश्वास की वृद्धि और आर्डरों की पुनः प्राप्ति,

(4) नये बाजारों का विकास, और

(5) अपराम्परागत वस्तुओं का निर्यात।

अभी तक हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से 60 प्रतिशत से अधिक को (चाय छोड़ कर) अनिवार्य किस्म नियंत्रण और लदानपूर्व जांच के अन्तर्गत लाया जा चुका है और जिन महत्वपूर्ण कारणों से हमारे निर्यात में विशेषकर पिछले दो वर्षों में जो क्रमिक वृद्धि हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण इसे अनिवार्य रूप में लागू करना भी है। विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात परिमाण में वृद्धि होने, इकाई मूल्य में वृद्धि, नये बाजारों में प्रवेश और अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात का आरम्भ होने सम्बन्धी ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप काजू की गिरी है जिसके लिये अनिवार्य योजना अप्रैल 1963 में लागू हुई थी और उस समय इसका निर्यात लगभग 18 करोड़ रु० तथा प्रति इकाई मूल्य 4.19 रु० था। योजना लागू होने के पश्चात् काजू की गिरी से होने वाले उपार्जन में वृद्धि हो कर यह 1964-65 में 29 करोड़ रु० तथा इसका प्रति इकाई मूल्य 5.39 रु० हो गया। नमक के सम्बन्ध में यह योजना अगस्त 1963 से लागू हुई थी और उस समय इस के द्वारा लगभग 30 लाख रु० मूल्य का निर्यात होता था और इसका प्रति इकाई मूल्य 17.29 रु० था। 1964-65 के वर्ष में निर्यात बढ़कर 67 लाख रु० हो गया और इसका इकाई मूल्य 23.62 रु० पर पहुंच गया। अभ्रक के बारे में यह योजना अगस्त 1964 में लागू की गयी और इसका इकाई मूल्य 3.03 रु० से बढ़ कर 3.12 रु० हो गया। काली मिर्च और इलायची द्वारा भी जहां अनिवार्य योजना लागू होने के पूर्व क्रमशः 3.73 रु० और 15 रु० प्रति किलो ग्राम का अर्जन होता था, वहां योजना लागू होने के पश्चात् क्रमशः 3.92 रु० और 16.11 रु० प्रति किलोग्राम के मूल्य प्राप्त हुए हैं।

चूंकि अधिकाधिक वस्तुओं को अनिवार्य योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है, अतएव इन वस्तुओं की किस्म के विषय में आनेवाली शिकायतें एकदम घट गयी हैं। वास्तव में कुछ प्रशस्तियां, सीधी भारत सरकार को तथा कुछ हमारे विदेश-स्थित कार्यालयों में प्राप्त हुई हैं, जो खरीदारों द्वारा हमारी वस्तुओं की किस्म के प्रति क्रमिक विश्वास जमने के सम्बन्ध में है।

निर्यात के लिये प्रचार

1486. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि निर्यात की जाने वाली अच्छी किस्म की उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तथा ब्यौरे की दृष्टि से प्रतियोगिता में अच्छी ठहरती हैं, प्रचार करने की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो प्रचार विभाग को सुधारने तथा मजबूत बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : उपलब्ध साधनों की सहायता से विदेशी बाजारों में भारत के निर्यात उत्पादों का प्रचार करने के भरपूर प्रयत्न किये जा रहे हैं। सुधार करने की दृष्टि से प्रचार की विधियों और उपायों का बराबर पुनरीक्षण होता रहता है।

2. हमारी वस्तुओं का प्रचार करने के लिये समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। विदेशों में हमारे प्रदर्शन कक्षों और व्यापार केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनकी व्यवस्था सुधारी जा रही है। भारत से अच्छी किस्म की जिन वस्तुओं का निर्यात होता है उनके वृत्तचित्र दिखाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रचार करने के लिये विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदें और पण्य बोर्ड भी अपने पत्र, पुस्तिकाएं, फोल्डर, ब्रोचर, सूचीपत्र आदि प्रकाशित करते हैं।

3. विदेशों में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियां करने और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने से भारतीय उत्पादों का प्रचार करने में कारगर सहायता मिलती है।

4. वाणिज्य मन्त्रालय का वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय विदेशी ग्राहकों के लिये एक नया त्रैमासिक पत्र आरम्भ कर रहा है। विदेशों के उपभोक्ता संगठनों को जिनमें विभागीय भण्डार भी सम्मिलित है, इसकी प्रतियां निःशुल्क रूप से बांटी जायेंगी। आकाशवाणी के विदेशी प्रचार प्रभाव की मार्फत होने वाला प्रचार भी बढ़ाया जा रहा है। निर्यात उत्पादों के विषय में नियमित रूप से वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं जिनमें किस्म अच्छी रखने पर जोर दिया जाता है। भारतीय वस्तुओं के प्रचार के लिये विदेशी भाषाओं में अधिकाधिक साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है।

5. हमारे निर्यात उत्पादों को किस्म की दृष्टि से अच्छे मानकों के रखने का भार निर्यात निरीक्षण परिषद पर है। इसने केवल किस्म के मानकों का प्रचार करने के लिये ही एक उपसमिति विशेषतः बनाई है।

6. विदेशों में प्रचार करने के लिये निर्माताओं तथा निर्यातकों के लिये विपणन विकास कोष से वित्तीय सहायता उपलब्ध रहती है। निर्यात संवर्द्धन परिषदों और पण्य बोर्डों द्वारा विदेशों में खोले गये कार्यालय भी इस देश की अच्छी वस्तुओं का प्रचार करने में सहायता देते हैं।

7. पिछले पैरों से प्रकट होता है कि निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रचार के प्रयत्न बढ़ते जा रहे हैं और उनमें निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रचार की किस्म भी बराबर सुधर रही है। हमारे अनुरोध पर फोर्ड फाउण्डेशन निर्यात सम्बन्धी जो अन्तर्राष्ट्रीय दल भेज रहा है वह अन्य बातों के साथ हमारे वाणिज्यिक प्रचार के बारे में भी अपने सुझाव देगा।

8. सदन यह अनुभव करेगा कि सीमित साधनों द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमों का यथासम्भव अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

कच्चा लोहा

1487. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रतिवर्ष कच्चे लोहे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये छोटी भट्टियों में अकोकर कोयला प्रयोग करने के लिय क्या पग उठाये गये हैं; और

(ग) कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिये यदि कोई प्रोत्साहन दिया गया है तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों का कच्चे लोहे का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	टन
1962	5,796,309
1963	6,603,263
1964	6,593,142

(ख) कच्चे लोहे का उत्पादन धमन भट्टियों से किया जा रहा है जो कोयले अथवा कोक का प्रयोग करती है। यह विद्युत भट्टियों में भी बनाया जा रहा है। अकोकर कोयला प्रयोग करने वाली छोटी भट्टियों से कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

(ग) 20 अगस्त, 1965 से कच्चे लोहे पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है। सरकार लोहे और इस्पात उद्योग के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र में और अधिक धमन भट्टियों लगाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के अलावा निजी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने में भी प्रोत्साहन देती है।

आन्ध्र प्रदेश में खनिज निक्षेप

1488. श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खनिज निक्षेप उपलब्ध हैं जिन्हें अभी तक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से निकाला नहीं गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विस्तृत सर्वेक्षण करने और खनिज निक्षेपों का पूरा अनुमान लगाने का विचार है; और

(ग) क्या खनिजों के उपयोग के लिये सरकारी क्षेत्र में किसी उद्योग को चालू करने का सरकार का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा किये गये अन्वेषणों के फलस्वरूप, जो अब भी जारी है, इस क्षेत्र में आर्थिक महत्व वाले विभिन्न खनिज पाये गये हैं । एसबैसटस, बेराइट, केलसाइट क्ले, कच्चा लोहा, चुना-पत्थर, ओचर, सलेटों, तथा स्टीएटाइट के अतिरिक्त, जिनका विदोहन शीघ्रता से किया जा रहा है, हीरे, कोरण्डम, अबरक, सोना, पाइराइटिस, सरपैनटाइन, वरमीक्यूलेट, सिक्का-जस्ता, तांबा, मैंगनीज, मैगनासाइट, फैलस्पर, नमक उत्फुल्लन (एफ्लोरेस) प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली स्टेशन के माल/पार्सल क्लर्क

1489. **श्री ओंकार लाल बैरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से 15 जुलाई 1965 तक दिल्ली क्षेत्र के उन माल क्लर्कों और पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कितने मुकदमे दर्ज किये गये, जिनके पास ड्यूटी के समय अघोषित निजी नकदी अथवा ढाई रुपये से अधिक निजी नकदी पाई गई थी; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है तथा कितने संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-1-1965 से 15-7-1965 तक की अवधि में विशेष पुलिस सिब्बंदी ने दिल्ली क्षेत्र के माल बाबुओं तथा पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध 6 मामले दर्ज किये, जो 11 कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

(ख) इन छहों मामलों में विशेष पुलिस सिब्बंदी ने अपनी छान-बीन पूरी कर ली है और उसकी रिपोर्टों के आधार पर समर्थ प्राधिकारी ने सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरु कर दी है।

पुस्तकों का आयात

1490. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
डा० रानेन सेन :
श्री तन सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों का आयात कम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं कि सांस्कृतिक तथा अनुसन्धान अध्ययन की प्रगति में रुकावट न पड़े?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल 1965 से मार्च 1966 तक की अवधि के लिये पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों का आयात करने की जो नीति घोषित की गई है उस का पुनरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो हेरफेर करने की कोई सिफारिश करने के लिये श्री वाई० डी० गुणदेविया की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है। इस समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है और उस पर सरकार द्वारा यथोचित विचार किया जायगा।

Manuals and Forms in Hindi used on Railways

1491. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of manuals and forms translated into Hindi during 1964 by Railway and the Railway Board ;

(b) the number of manuals and the forms out of those translated into Hindi which were got printed in the diglot edition by each Railway and the Railway each Board separately;

(c) the targets fixed by each Railway and the Railway Board separately for the translation of manuals and the forms for the year 1965 ; and

(d) whether Government are satisfied with the progress made in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library.** *See* **No. LT-4746/65.**]

(d) Action is being taken to step up progress in the Hindi rendering and printing of manuals etc. in the bilingual form.

आसाम मेल में डाइनिंग कार

1492. श्री जो० ना० हजारिका : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली आसाम मेल में डाईनिंग कार की व्यवस्था न होने के कारण उस गाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भोजन की बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) आसाम मेल में डाइनिंग कार कब तक जोड़ने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। बरौनी और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली 3 अप/4 डाउन आसाम डाक गाड़ियों में बरौनी और मरियानी के बीच भोजन-यान की व्यवस्था है। मरियानी जं० और डिब्रूगढ़ के बीच भोजन-यान की व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी इस खण्ड से रात में गुजरती है। जहां तक दिल्ली और बरौनी के बीच चलने वाली 85 अप/86 डाउन आसाम डाक गाड़ियों का सम्बन्ध है, इसके लिये रास्ते में पड़ने वाले उपयुक्त स्टेशनों पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

1493. श्री बसुमतारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जून 1965 में बिना टिकट यात्रा करने कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां, थोड़ी सी

(ख) यह वृद्धि मुख्यतः यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है

(ग) 23,911।

त्रुटिहीन सूती कपड़े का उत्पादन

1494. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार की जाने वाली लम्बाई का बहुत बढ़िया किस्म के धागे के त्रुटिहीन सूती कपड़े का उत्पादन नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ग) इन कामों में कारीगरों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4747/65।**]

पलाई ऐश सीमेंट

1495. श्री काजरोलकर: क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई ऐश सीमेंट उतना ही उपयोगी है जितना सीमेंट;

(ख) यदि हां, तो उसे बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सीमेंट निगम का पलाई ऐश सीमेंट का उत्पादन आरम्भ करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) रतवाव (गुजरात), राजगंगपुर (उड़ीसा), डालमियापुरम (मद्रास) और शंकरनगर (मद्रास) के सीमेंट कारखानों में पलाई-ऐश और/अथवा पोजोलान सामग्री का इस्तेमाल करके पोजोलान सीमेंट का निर्माण करने के लिये योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के पावर 'सी' स्टेशन के पलाई-ऐश का इस्तेमाल करके दिल्ली में पोजोलान सीमेंट बनाने के लिये एक प्राइवेट पार्टी का एक आशय-पत्र भी स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) जी, हां।

Allotment of Raw Materials to Bihar

1496. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the type and quantity of industrial raw materials allotted to Bihar from April, 1962 to March, 1965 and the quantity of each material actually supplied;

(b) whether it is a fact that these raw materials are not given at appropriate time and in an appropriate manner; and

(c) if so, the steps being taken to improve the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) It is presumed that the Honourable Member is referring to supply of raw materials to small scale industrial units. The following types of raw materials are allocated to various State Governments by the Centre :—

(i) Steel items;

(ii) Non-ferrous Metals, such as Copper, Zinc, Lead etc.

(iii) Some chemical items, such as Caustic Soda and Mutton Tallow.

As regards particulars of allotments to Bihar from April, 1962 to March, 1965, information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course. As regards actual supplies, the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the results to be achieved.

(b) and (c). The allocations for each six-monthly or annual period as the case may be are made to the different States as soon as the over-all quantities available for the samll scale sector are intimated to the Ministry of Industry and Supply. Actual releases are made as soon as the raw materials are received by the distributing authorities concerned.

बिहार के लिये निकल का नियतन

1497. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1962 से बिहार के लिये निकल का नियतन बिल्कुल नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य राज्यों के लिये इस धातु का नियतन किस आधार पर किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : अप्रैल-सितम्बर, 1963 की अवधि से पहले मैसर्स ग्रीव्ज़ काटन एण्ड कं० द्वारा निकल का एकट्ठा आयात किया जाता था, जो संबंधित राज्य के उद्योग निदेशकों की सिफारिश पर लघु एककों को उसका संभरण किया करती थी । राज्यों में वितरण करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को निकल का आवंटन सर्वप्रथम अप्रैल-सितम्बर, 1963 की अवधि में किया गया था । बाद को यह तय किया गया था कि राज्यों के उद्योग निदेशकों को निकल का उतना ही आवंटन किया जाना चाहिये जितना आवंटन मेसर्स ग्रीव्ज़ काटन एण्ड कं० द्वारा 1962 और 1963 में राज्यों के लघु एककों को किया गया था और राज्यवार कोटा उसी के अनुसार आवंटित किया गया था चूंकि केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार के किसी भी एकक को मैसर्स ग्रीव्ज काटन एण्ड क० के द्वारा 1962 और 1963 में निकल का कुछ भी कोटा नहीं दिया गया था, इसलिये बिहार को कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया । तबसे यह निश्चय किया गया है कि आगे आने वाली अवधि के लिये आवंटन करते समय बिहार की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

रांची के पास तातीसिलवाई में बिजली के सामान का कारखाना

1498. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1963 में रांची के पास तातीसिलवाई में बिजली के सामान का एक कारखाना स्थापित करने के लिये बिहार राजकीय औद्योगिक निगम को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निगम को अपेक्षित विदेशी मुद्रा आवंटित कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : मैसर्स बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट कारपोरेशन लि० पटना को औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत मार्च 1963 से जुलाई, 1963 तक रांची के पास तातीसिलवाई में ट्रांस्फार्मर, मोटरें, स्विचगियर तथा कन्ट्रोल गियर बनाने के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के वास्ते तीन लाइसेंस दिए गए थे। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए युनाइटिड किंगडम से 14.96 लाख रु० के मूल्य का पूंजीगत माल आयात करने के लिये उनके सुझाव को अन्तिम रूप से स्वीकृती दे दी गई और 3 जुलाई, 1965 को उन्हें सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा का नियतन कर दिया गया।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक एकक

1499. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक एककों को चम्बल से दी जाने वाली बिजली की मात्रा में 20 प्रतिशत कटौती करने के परिणामस्वरूप इन्दोर तथा राज्य के अन्य शहरों में हजारों सूती कपड़ा मजदूर बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से पूरी बिजली दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सहायता देने तथा बेकार हो गये मजदूर को दूसरे कामों पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) बिजली में कटौती करने के कारण 7526 मजदूरों पर प्रभाव पड़ने का समाचार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मन्त्री ने 12-4-1965 को राज्य सरकार और बिजली बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक बैठक की जिसमें अमरकण्टक की बिजली को जबलपुर से इटारसी तक बढ़ा कर उपभोक्ताओं को राहत देने की सम्भावना पर विचार किया गया। पता चला है कि इस प्रकार बकार हुए बुनाई उद्योग के मजदूरों को जहां कहीं भी बेकारी हरजाना मिल सकता है, दिया जा रहा है।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन

1500. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग संगठन, भारतीय आर्थिक सेवा के व्यक्तियों को निदेशक (दूसरी श्रेणी) के पद पर पदोन्तत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सामान्य संवर्ग में खपाना चाहता है, जिससे कि सांविधिक भर्ती-नियमों का उल्लंघन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा के कुछ अधिकारियों को केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सामान्य प्रशासकीय डिवीजन में लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये अधिकारी भारतीय आर्थिक सेवा में नियुक्त किये जाने से पहले उसी संगठन में काम कर रहे थे। भर्ती के संविहित नियमों का उल्लंघन करके इन अधिकारियों की और ऊंचे पदों पर पदोन्नति करने का कोई भी विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन

1501. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन की सामान्य पदाली में श्रेणी दो के निदेशकों को दो पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं और उन पर तदर्थ नियुक्ति भी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सामान्य प्रशासकीय डिवीजन में निदेशक (ग्रेड 2) को दो पद क्रमशः 3 जनवरी, 1965 तथा 1 जून, 1965 से खाली पड़े हैं। इन खाली स्थानों को अभी नहीं भरा गया है।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा के कुछ अधिकारियों को लघु उद्योग संगठन के सामान्य प्रशासकीय डिवीजन में लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारतीय आर्थिक सेवा में नियुक्त किये जाने से पहले ये अधिकारी उसी संगठन में काम कर रहे थे। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ये अधिकारी भी निदेशक (ग्रेड 2) के पद पर पदोन्नति के हकदार हो सकते हैं। इस प्रस्ताव पर जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक सरकार इन खाली स्थानों को भरना वांछनीय नहीं समझती है।

मैसूर में रेशम उद्योग

1502. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में पेलसीन नाम का एक भीषण रोग रेशम के कीड़ों को लग गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर रेशम उद्योग पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) क्या इस रोग के उन्मूलन के लिये उपचारीय उपाय करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर सरकार के रेशम उत्पादन के उपमंत्री को भेजे गए अभ्यावेदन की एक प्रति केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राप्त हुई थी।

(ग) अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष ने तत्काल ही मैसूर के रेशम उत्पादन मंत्री को रोग फैलने और राज्य के रेशम उत्पादन विभाग द्वारा अपनाए गए रोग दूर करने के उपायों की वास्तविक स्थिति जानने के लिये एक तार भेजा। इसके साथ ही बोर्ड के बंगलौर स्थित एक अधिकारी को राज्य के बीज वाले तथा बीज रहित क्षेत्रों में पेबरीन रोग फैलने की स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्य इक्कठा करने के लिये नियुक्त किया गया।

अधिकारी ने बीज वाले क्षेत्र में बिदाड़ी तथा कूनीगल और कोलार जिले का दौरा करने के बाद यह बताया है कि :–

(1) दिसम्बर 1964—जनवरी 1965 में बिलिदेवालय (कूनीगल) के बेसिक सीड कोकून क्षेत्र में पहले पहल पेबरीन रोग दिखाई दिया और बीज वाले क्षेत्र में उस रोग का उन्मूलन तथा नियंत्रण करने के लिये शीघ्र ही उपयुक्त उपाय प्रारम्भ कर दिये गए।

(2) राज्य के रेशम उत्पादन विभाग ने इस सम्बन्ध में कारगर उपाय किए हैं, जैसे कि बीज वाले बीज रहित क्षेत्रों के कीट पालन-गृहों में तीव्रता से रोगाणुनाशन, सभी राज्यों में रेशम के कीड़ों की सूक्ष्म जांच, पालकों को केवल रोग रहित बीजों का सम्भरण करने के लिये, लाइसेंस-शुदा बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीज की कड़ी देख रेख करना।

(3) रोग पर काबू पा लिया गया था।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिव ने भी अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में बंगलौर का दौरा किया और रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिये अपनाए गए उपायों के बारे में राज्य के अधिकारियों से बात चीत की।

श्रीनगर में रेलवे का हालीडे होम (अवकाश गृह)

1503. **श्री विश्राम साद** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा देय राशि की अदायगी न किये जाने के कारण होलीडे होम (अवकाश गृह) : श्रीनगर में, पानी और बिजली का सम्भरण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी निर्धारित किया गया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति न होने पाये इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।
(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते।

Mettur Aluminium Factory

1504. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have approved a scheme to double the production in the Mettur Aluminium factory;

(b) if so, the amount of total expenditure and foreign exchange to be incurred thereon ; and

(c) the countries from which assistance will be sought for the extension scheme ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) A 'letter of intent' has been granted to the Madras Aluminium Company to expand the capacity of their aluminium smelter at Mettur to 20,000 tonnes per annum, which will be double the present capacity.

(b) The total cost of the expansion (smelter & fabrication facilities) is estimated at Rs. 12 crores. The imported plant and machinery is estimated to cost Rs. 5 crores.

(c) The present collaborators *viz.* M/s. Monticatinis of Italy, have promised assistance for the expansion.

Boycott of Indian Films in Indonesia

1506. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an organised boycott of Indian films is going on in Indonesia; and

(b) if so, whether Government have sent any note to the Indonesian Government in this connection?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No. The Djkarta Association of Movie Houses consisting of some members of the Association of Indonesian Film Importers, however, threatened a boycott some time ago.

(b) The question of sending any note to the Government of Indonesia does not arise as 13 films have already been exported to Indonesia against a total of about 20 to be sent this year.

व्यापार सम्बन्धी जानकारी

1507. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में व्यापार सम्बन्धी जानकारी तथा प्रचार कार्य का अभिनवीकरण करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का विस्थापन और स्थानान्तरण होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : व्यापार सम्बन्धी जानकारी तथा प्रचार कार्य का अभिनवीकरण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका विवरण तैयार किया जा रहा है। महा निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी के कार्यालय को कलकत्ते से बाहर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है, तथा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा अवस्थाओं को भी उनके लिये विपरीत प्रभावकारी बनाने का कोई विचार नहीं है।

Training in Hindi Typewriting on Railways

1508. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees, zone-wise, who have been imparted training in Hindi Typewriting and Shorthand during the period 1960-64; and

(b) the number of such employees among them who have started doing their work in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT-4748/65.]**

Railway Reports

1509. Shri Raj Deo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that except the Annual Report of the General Manager, no other report is published in Hindi by the Railways;

(b) if so, the particulars of reports published by the Railways in English and not in Hindi; and

(c) the reasons for the publication of reports in English only and not in Hindi.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Section I of the General Manager's Report which is in narrative form is published in Hindi in addition to the English version.

(b) Sections II to IV of the General Manager's Report presenting the accounts and statistical data in international numerals, with heading in English, and other statistical reports are issued only in English.

(c) Instructions have recently been issued that statistical reports issued by Railway offices located in Hindi-speaking areas should bear bilingual headings in Hindi and English with figures in the international form of numerals.

Translations of Manual of Rules and Orders

1510. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Officers have not been appointed in the Headquarters of the zonal Railways so far;

(b) if so, the authorities responsible for giving a final shape to the translation of Manuals of Rules and Procedural Orders; and

(c) the arrangements existing in Railway Board for the revision of such translation work?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Hindi Superintendents in the authorised scale of Rs. 450-575 have already been provided for attending to translation work at the Headquarters offices of all zonal Railways.

(b) The translation is finalised by the Hindi Superintendents in consultation with the departments concerned.

(c) Since the Railways have their own arrangements for translating their manuals etc., no translations are normally referred to the Railway Board for approval. The translation of rule-books, manuals etc. issued by the Railway Board for use on all Railways is undertaken by the Hindi Branch in their office.

Circulars Issued By Railways in English

1511. Shri Rajdeo Singh : Will the Ministry of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of procedural orders, administrative instructions and circulars issued in English by the Railway Board, Western Railway, Northern Railway and North Eastern Railway, separately, during the later half of 1964 and first half of 1965;

(b) the number of circulars out of those referred to above which were required to be issued both in Hindi and English; and

(c) the number of circulars which were actually issued in both the languages?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

माड़ी का उत्पादन

1512. श्री जसवन्त मेहता :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ वर्तमान माड़ी उत्पादन तथा माड़ी के उत्पादन के लिये मक्का के अतिरिक्त अन्य देशी कच्चे माल के उपयोग के उपायों के बारे में सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की है :

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने मक्का के उत्पादक तथा मक्की की माड़ी का उपयोग करने वाले नहीं लिए गए हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां, लेकिन मक्का उगाने वालों और मक्का के स्टार्च के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपने विचार रखने का अवसर दिया जा रहा है।

Second Cable Factory

1513. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2133 on the 9th April, 1965 and state :

(a) whether any decision has been taken regarding the setting up of the second cable factory; and

(b) if so, the name of the place and the State where this factory is to be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Yes, Sir, during the Fourth Plan Period.

(b) The question of location of the Second Cable factory is still under consideration.

मलयेशिया से रबड़ पौद का आयात

1514. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में मलयेशिया से रबड़ पौद तथा अन्य सामान का आयात करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) क्या इस राशि में कटौती करने का कोई विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी) : (क) रबड़ उद्योग की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिये रबड़ बोर्ड ने 1965-66 में मलयेशिया से अच्छे उत्पादन वाली पालीक्लोन पी० वी० आई० जी० (प्रांग बेसर आइसोलेशन गार्डन) रबड़ की 16 लाख पौदों का आयात लाइसेंस देने के लिये सरकार को आवेदन पत्र भेजा है।

(ख) 16 लाख पी० वी० आई० जी० रबड़ पौदों का आयात करने के लिये लागत बीमा भाड़ा सहित 800,000 रु० मूल्य के बराबर की विदेशी मुद्रा चाहिये।

(ग) यह लाइसेंस दिया जा रहा है।

सरकारी डाक्टरों को स्कूटर तथा कारों का अलाट किया जाना

1515. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी डाक्टरों को दो पहिये वाले स्कूटरों तथा मोटरकारों के अलाट करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या उन्हें इस विषय में कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे चिकित्सा पदाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के कोटे में से स्कूटरों तथा मोटरकारों को अलाट करने में प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक तिमाही में चिकित्सकों को अलाट करने के लिये एक अलग कोटा निश्चित कर दिया जाता है।

Heavy Machine Building Project, Ranchi

1516. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of the Heavy Machine Building Project at Ranchi; and

(b) when the construction work will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Civil work and work relating to the erection of structures are nearing completion. Even while the erection of equipment was in progress, the machines already installed were commissioned and as such initial production commenced in certain sections of the plant in November, 1963. Erection of plant and equipment has progressed to about 48 %.

(b) Erection of plant and equipment will be completed by the end of 1966-67 although the bulk of the equipment will be installed by the end of 1965.

उत्तर-पूर्व फ्रन्टियर रेलवे के गाड़ी-चालकों के लिये क्वार्टर

1517. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर-पूर्व फ्रन्टियर रेलवे के गाड़ी-चालकों को दिये गये क्वार्टर जीर्णावस्था में हैं तथा रहने के योग्य नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ड्राइवरों को दिये गये क्वार्टर जीर्णावस्था में नहीं हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उद्योगों का विकास

1518. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश का ठीक प्रकार संतुलित व समन्वित ढांचा बनाने के हेतु उद्योगों के आयोजन तथा विकास के लिये 1964-65 में तकनीकी विकास के महानिदेशक ने क्या सहायता दी?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय म संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरमैया) : सदन की मेज पर विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी.—4749/65।]**

नई गाड़ियां

1519. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों पर 1 अक्तूबर, 1965 से कौन सी नई गाड़ियां चलाई जायेंगी; और

(ख) क्या पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश की जनता की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने के लिये नांगल डैम दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी को बढ़ाना भी शामिल है?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-10-65 से लागू होने वाली समय-सारणी में 23 जोड़ी गाड़ियां नयी चलाने/गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने का विचार है। इन का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4750/65।]**

(ख) संभवत : माननीय सदस्य का आशय नांगल बांध-अम्बाला एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र दिल्ली तक बढ़ाने से है, जिसके लिये यातायात की दृष्टि से अभी कोई औचित्य नहीं है और न अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव में ऐसा करना व्यावहारिक ही है। इसलिये 1-10-65 से जो नयी गाड़ियां चलायी जायेंगी या जिनका चालन क्षेत्र बढ़ाया जायेगा, उनमें ये गाड़ियां शामिल नहीं हैं।

इस्पात उद्योग का लागत ढांचा

1520. श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की नियुक्ति और इसके निर्देश-पद सम्बन्धी सरकार के संकल्प की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी.–4751/65 ।]**

कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन

1521. श्री बैं० ना० कुरील : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में लछमनपुर और ऊंचाहार स्टेशनों के बीच कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) जमीन हासिल कर ली गयी है और इस काम पर होने वाले खर्च का अनुमान तैयार किया जा रहा है ।

सूरत में कृत्रिम रेशम के कारखाने

1522. श्री जसवन्त मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूरत में कृत्रिम रेशम के कारखाने बन्द हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृत्रिम रेशम उद्योग में संकट उत्पन्न होने के कारणों की जांच की है; और

(ग) सरकार ने संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : अभी हाल ही में सरकार को कृत्रिम रेशम के बुनाई कारखानों को उचित मूल्य पर कृत्रिम रेशमी धागा मिलने में कठिनाई होने के कारण उनके बन्द हो जाने की आशंका सम्बन्धी जो अभिवेदन मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है ।

Food Served on Railways

1523. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the responsibility regarding any harm done to passengers by food served to them on different Railways is fixed on the Railway Administration concerned ; and

(b) if so, efforts being made by the Railways to discharge their responsibility effectively?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Railways are alive to the importance of serving to the travelling public clean and wholesome food. Arrangements made for the cooking and service of food, both in departmental catering establishments and by contractors, are frequently inspected by Inspectors and Officers of the Railway. They are also inspected by members of the Catering Supervisory Committees, which function at different levels, from individual stations to the Zonal Railway. The catering establishments are also inspected sometimes by members of Divisional and Zonal Railway Users' Consultative Committees and by members of the National Railway Users' Consultative Council.

2. Railway Medical Officers/Sanitary Inspectors are appointed Inspectors of Food under the Prevention of Food Adulteration Act. They take samples of food served in railway premises and have them analysed. Suitable action is taken against railway staff or contractors offering for sale food which is not fresh and wholesome.

3. Passengers travelling on the railway do sometimes fall ill but no cases have come to notice in which the illness could be ascribed directly and positively to the food served to them on the railway.

चाय वित्त समिति

1524. **श्रीमती अकम्मा देवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे चाय उत्पादकों द्वारा तैयार की गई चाय पर दिये जाने वाले उत्पादन शुल्क को घटाने की दृष्टि से उनके लिये एक ज़ोन (मंडल) स्थापित करने के बारे में चाय वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार अपना निश्चय कब तक घोषित करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : नीलगिरि में खरीदी हुई पत्ती के कारखानों के लिये एक पृथक उत्पादन शुल्क मंडल की स्थापना सम्बन्धी चाय वित्त समिति की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। इसके विषय में शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :–

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 24 दिसम्बर, 1964 को पास किये गये स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक, 1964 को राज्य-सभा ने अपनी 31 अगस्त, 1965 की बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पास कर दिया और विधेयक को इस निवेदन के साथ लौटा दिया कि इन संशोधनों के बारे में लोक-सभा की सहमति राज्य-सभा को सूचित की जाये।

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'पन्द्रहवां' (fifteenth) शब्द के स्थान पर "सोलहवां" (Sixteenth) शब्द रखा जाये।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।

(दो) कि राज्य-सभा ने अपनी 1 सितम्बर, 1965 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक 1964 को दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें राज्य सभा के 10 सदस्य अर्थात्

(1) श्री एम० एम० धारिया
(2) डा० श्रीमती फूलरेनु गुहा
(3) श्री पी० के० कुमारन्
(4) प्रो० मुकुट बिहारी लाल
(5) मिस मेरी नायडू
(6) श्री गोपाल स्वरूप पाठक
(7) श्री सादिक अली
(8) श्री एम० सत्यनारायण
(9) श्री सुन्दरमणि पटेल
(10) श्री मु० क० चागला

और लोकसभा के 20 सदस्य हों और यह सिफारिश की कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि 6 सितम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(2) अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश, 1965 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर जिसकी सूचना श्री मी० रु० मसानी तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई है चर्चा।

(3) अधिलाभांश की अदायगी विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना।

(4) निम्न मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

वर्ष 1962-63 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)।

वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे)।

(5) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना:-

दिल्ली मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1965।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1965।

मुद्रण यंत्र तथा पुस्तक रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, 1664, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण-कार्य (संशोधन) विधेयक, 1965।

कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक, 1965।

(6) तेल सम्बन्धी नीति के बारे में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री के वक्तव्य पर जो कि 16 अगस्त, 1965 को सभा को पटल पर रक्खा गया था, श्री हरिश चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर गुरुवार 9 सितम्बर को 3 बजे म० प० चर्चा।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या एक सप्ताह में इन सब मदों पर विचार किया जाना सम्भव है?

श्री सत्यनारायण सिंह : मेरे माननीय मित्र को इस सूची से चिन्तित नहीं होना चाहिये। कार्य मंत्रणा समिति ने इन मदों के लिये समय का आवंटन किया है। यदि कुछ मदों पर विचार नहीं होगा तो उनपर अगले सप्ताह विचार किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : यह अब स्पष्ट है कि अधिलाभांश की अदायगी विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा होगी। हम इस सभा में कहते रहे हैं कि क्योंकि यह विधेयक एक विवादास्पद विधेयक है, इस लिये श्रम मंत्री को विभिन्न सम्बद्ध दलों के प्रतिनिधियों से इस के बारे में बातचीत करके कोई समझौता करना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना नहीं चाहती। अन्यथा उससे हमारी समस्या हल हो जाती।

क्या मैं आपके द्वारा संसद-कार्य मंत्री तथा श्रम मंत्री से, जो सौभाग्य से यहां उपस्थित हैं, निवेदन कर सकता हूं कि इस विधेयक पर एक सप्ताह के बाद चर्चा हो और इस दौरान वह इससे सम्बद्ध विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से ठीक प्रकार चर्चा करें? श्री मी० रू० मसानी ने इस अध्यादेश का अनुमोदन करने के लिये पहले ही एक प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री मी० रू० मसानी देश में एक विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह इस विधेयक का विरोध करते हैं। श्री नारायण दांडेकर के विमति टिप्पण से पहले ही कर्मकरो में सन्देह पैदा हो गया है।

मैं यह निवेदन करूंगा की इस विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा करने तथा इसे प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी संशोधन को अस्वीकार करने के बदले विभिन्न दलो से बातचीत की जानी चाहिये और श्रम मंत्री को एक सम्मेलन बुलाना चाहिये ताकि इस विधेयक को अधिकतम समर्थन प्राप्त हो।

मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरणों की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी दूसरी बात यह है। क्योंकि आप काश्मीर से सम्बन्धित सभी विषयों पर, चाहे वे ऊ थांट द्वारा किये गये प्रयास हो अथवा जनरल निम्मो का प्रतिवेदन आदि हो, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को अस्वीकार कर रहे हैं, इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप हमें काश्मीर की स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करने की अनुमति दें। मैं आपसे सहमत हूं....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही कहा है कि चर्चा होनी चाहिये। इस समय इसके लिये कोई और स्पष्टीकरणों की आवश्यकता नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय]

मैंने पहले ही माननीय सदस्यों से कई बार निवेदन किया है कि जब माननीय मंत्री आगामी सप्ताह के लिये कार्य की घोषणा करें तो संक्षेप में कुछ सुझाव दिये जा सकत हैं कि अगल सप्ताह के दौरान अमुक मदों पर भी चर्चा की जाये। जिस मद को लिया जाना हो उसके बारे में संक्षप में कहा जाना चाहिये और उसे ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा नहीं दोहराया जाना चाहिये जो सुझाव दे रहा हो।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, आप कृपा करके मेरी बात सुनें। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता अथवा न ही ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सरकार को संकट में डाले। परन्तु कुछ बातें ऐसी होती है जिनपर यहां चर्चा करने का हमें अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह पहले ही कहा है तथा मैंने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है और अब माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, you had given an assurance and the hon. Minister had also given an assurance that the food situation of the country which has taken a serious turn would also be discussed soon. But no discussion has taken place so far. The food problem has become serious as a result of some flow somewhere. Firing and lathicharge are taking place at different places due to this problem. At this time, the food problem must be discussed here and some measures adopted to improve it.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : It is apparent that we are passing through critical time. At this time threats of hunger-strike and self-immolation being given in Punjab must be discussed next week. This is my request to you.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमें आज यह ठीक-ठीक पता लग जाना चाहिये कि यह सत्र कब तक चलेगा। आप अब सरकार से परामर्श करके कोई दिन अवश्य निश्चित करें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : सत्र को बढ़ाने के बारे में हमे आज सूचना देने का उन्होंने वचन दिया था।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं श्री बनर्जी द्वारा अधिलाभांश विधेयक पर विचार स्थगित करने वाले सुझाव का विरोध करता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में पहले ही विलम्ब हो चुका है। सभी दलों से परामर्श किया जा चुका है और इसे अधिक समय तक स्थगित करने से इसमें अधिक विलम्ब हो जायेगा। इसे इस सत्र के दौरान पारित किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है मैंने यह कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद मैं इसपर विचार करूंगा। उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान खाद्य पर काफी चर्चा हुई। इसलिये उसपर तत्काल ही एक और चर्चा रखना ठीक नहीं होगा। कुछ समय बीत जाने के पश्चात् मैं इस मामले पर फिर विचार करूंगा कि चर्चा रखी जानी आवश्यक है अथवा नहीं।

श्री सत्यनारायण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक खाद्य स्थिति पर चर्चा का सम्बन्ध है आपने उसका उत्तर दे दिया है। मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। आप इसपर सहमत हैं कि यदि इसकी आवश्यकता हुई तो सत्र के समाप्त होने के निकट इसपर चर्चा की जायगी।

जहां तक अधिलाभांश विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे सहयोगी यह कहते हैं कि इसपर काफी चर्चा हो चुकी है और आगे और चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : इसे प्रवर समिति को क्यों नहीं सौंपा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : वह उस समय इस बारे में प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : पंजाब के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री सोमवार को एक वक्तव्य देंगे। उस समय, यदि सदस्य चाहें, तो अधिक जानकारी मांग सकते हैं। उसके बाद आप यह निर्णय देंगे कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिये।

जहां तक काश्मीर का प्रश्न है, मरे विचार में सभा की यह राय हैं कि उस पर इस समय चर्चा नहीं होनी चाहिये।

जहां तक सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रश्न है.....

श्री रंगा : हम यह चाहते है कि माननीय मंत्री प्रति दिन कोई वक्तव्य अथवा समाचार दें।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई महत्वपूर्ण मामला होगा प्रतिरक्षा मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री सत्यनारायण सिंह : यह बात मान ली गई है और इसे कार्यान्वित भी किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने श्री ऊ थांट द्वारा रखे गये प्रस्ताव तथा जनरल निम्मो के प्रतिवेदन के बारे में कहा था। उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा केवल सैनिक घटनाओं के बारे में ही नहीं परन्तु राजनैतिक घटनाओं के बारे में भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इसी बात के सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। हम सैनिक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेंगे और न ही हम प्रतिरक्षा के बारे में कठिन प्रश्न पूछेंगे। परन्तु राजनैतिक घटनाओं तथा काश्मीर की स्थिति से सम्बन्धित जितनी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें हम भेजते हैं, वे सब अस्वीकार की जा रही हैं। इसलिये, मेरे विचार में, हमें यह अधिकार है कि यदि उस प्रकार की कोई घटना हो तो हम उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Bagri : Mr. Speaker, I would also like to submit something in this connection. Latest news are broadcast to the nation six times a day. Lok Sabha should also be apprised of the latest news and they should be based on facts also. For example, in so far as the planes are concerned, it has been stated in the news broadcast in English that two have been destroyed and the other two are missing, but in the other news it has been stated that all the four have been destroyed. This should not be there as it leads to lack of confidence in the people. There should be true propaganda.

Take the question of Pakistan leaving aside the Kashmir problem, there is concentration of Pakistani forces on the border of Tripura and Rajasthan. Calling attention notice in connection with these situations should be admitted.

Shri Bade (Khargone) : We are realised the difficulty of the Government and we do not want to ask question regarding defence. We also do not want the Government to make any commitment. But the atmosphere in the country is spoilt as a result of news broadcast from radio and published in newspapers. We should be given a chance to seek clarifications regarding these news. We will not put embarrassing questions.

श्री कर्णी सिंहजी : हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि सीमाओं पर यदि यह लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही तब सभा का सत्र उस समय तक चलता रहेगा जबतक कि आपात कालीन स्थिति समाप्त नहीं हो जाती। क्योंकि चीनी आक्रमण के दौरान भी सभा का सत्र दो सप्ताह बढ़ा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अभी भी आपातकालीन स्थिति है।

श्री कर्णी सिंहजी : मैं संकट के समय के बारे में कह रहा था।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जब हम यह कहते हैं कि कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की जाये तो हमारा मतलब सैनिक स्थिति अथवा किसी अन्य प्रकार की स्थिति से नहीं होता परन्तु हम यह चाहते हैं कि राष्ट्र संघ के महासचिव के व्यवहार के बारे में हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाये। हम ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध, जिसने कि भ्रामक कार्यवाही की है, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश, जो स्वयं को हमारा मित्र बताते हैं, किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और काश्मीर के मामले में हमें नीचा दिखा रहे हैं। इसलिये इस सभा को यदि काश्मीर में प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही पर नही तो कम से कम इन मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात तक पर सहमत नहीं हूं कि मैं इसकी अनुमति दुं कि सरकार यह कहे कि आज हमें अमुक व्यक्ति का पत्र मिला है, वह ऊ थांट हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति, और वे उसका अमुक उत्तर दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हम यह कहना चाहते हैं कि वह पाकिस्तानी आक्रमण की निन्दा नहीं करते परन्तु वह प्रधान मंत्री को सलाह देना चाहते हैं। हम अपनी प्रतिरक्षा कर रहे हैं। इसलिये हम इसपर चर्चा करना चाहते हैं। यह कोई छोटा मामला नहीं है जैसाकि आप कह रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हम इसपर चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी दिनों में हम यह नहीं कर सकते।

श्री भागवत झा आजाद : सभी दिनों से आपका क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : जो मरा मतलब है, वह मैंने कह दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : हमारी समझ में यह नहीं आता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न तथा अल्प-सूचना प्रश्न तक भी स्वीकार नहीं किये जाते।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : राष्ट्र संघ पर्यवेक्षक दल का प्रतिवेदन सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया है। यह हमारे पक्ष में है। यह अत्यन्त रहस्यमय कायवाही क्यों की जा रही है?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : यदि हम इसपर चर्चा न करें तो क्या लाभ है; निस्संदेह इससे सरकार को लाभ पहुंचता है। परन्तु हम भी सरकार को झंझट में नही डालना चाहते। हमारे विचार में हम कोई गलत कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वे यह क्यों सोचते हैं कि हम सब राष्ट्र-विरोधी हैं।

श्री वासुदेवन नायर : बिल्कुल चुप रहने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : क्या मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों के बारे में कुछ कह सकता हूं। जब ऐसे मामले पैदा होते हैं, हम उनपर विचार करते हैं। यदि कोई ऐसा विशेष मामला हो, जिसके बारे में सरकार को आज तक की गई कार्यवाही से भिन्न रवैया अपनाना हो अथवा भिन्न नीति पर चलना हो, तो निश्चय ही मैं सभा के समक्ष कह

मामले लाउंगा। परन्तु इसके अतिरिक्त यदि कोई बात हो, तो यह सम्भव हो सकता है कि हम उसे तत्काल न बतायें। परन्तु जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, जब आवश्यक होगा हम निश्चय ही तथ्यपूर्ण वक्तव्य देंगे।

श्री के० दे० मालवीय : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आप श्री भागवत झा आजाद द्वारा दिये गये सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें क्योंकि वह इस विषय से काफी सम्बन्ध है।

श्री सत्यनारायण सिंह : सत्र की अवधि बढ़ाने के बारे में मैंने पिछली बार यह कहा था कि शायद मैं उसके बारे में आज घोषणा कर सकुं, परन्तु पिछले दो दिनों की परिस्थिति को देखते हुये मैं निश्चय से आज कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मेरा विचार है कि सत्र के समाप्त होने से 15 दिन पूर्व मैं सभा को बता सकुंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह हमें दोपहर बाद बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सत्र के समाप्त होने से 15 दिन पूर्व हमें बतायेंगे। इसका अर्थ यह है कि वह हमें अगले सप्ताह बतायेंगे।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : सोमवार को क्यों नहीं बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें इस बारे में कुछ पता लगना चाहिये कि सत्र की अवधि एक सप्ताह दस दिन अथवा तीन दिन बढ़ाई जायगी।

श्री सत्यनारायण सिंह : यह सत्र 24 को समाप्त होगा और मैं 15 दिन पहले सभा को बता दूंगा मैं यह बता दूं इस सत्र की अवधि बढ़ाई गई तो यह एक या दो दिनों से अधिक नहीं होगी।

मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ALLEGATIONS AGAINST MINISTER

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2 सितम्बर, 1965 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मुझ पर यह भीषण आरोप लगाया था कि मैं जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिन्द तथा इसकी कार्यकारी समिति का सदस्य हूं। जमीयत सराहनीय सेवा करती रही है और इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिये बलिदान दिये हैं तथा प्रसिद्ध व्यक्ति इसके सदस्य हैं। अतः इसका सदस्य होना कोई गलत बात नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि मैं जमीयत अथवा इसकी समितियों का न अब सदस्य हूं और न ही पहले कभी था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह भी कहा है कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का विरोध किया है हालांकि मैं मंत्रीमण्डल का एक सदस्य हुं। मैं प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने तत्काल इस आरोप का खण्डन किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह भी कहा है कि मैंने केन्द्रीय वक्फ परिषद के सभापति के रूप में इस विधेयक के विरुद्ध इस आन्दोलन में सहायता देने के लिये वक्फ के धन का उपयोग करने की अनुमति दी। यह आरोप बिल्कुल झूठा है। स्पष्ट है कि शास्त्री जी को वक्फ बोर्ड के गठन तथा इनके कार्यों के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। केन्द्रीय वक्फ परिषद का वक्फ विशेष अथवा राज्य वक्फ बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है।

[श्री हुमायुन् कबीर]

संसद में दिये गये वक्तव्य विशेषाधिकार वाले होते हैं तथा इससे वक्तव्य देने वाले सदस्य पर बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। इसलिये मैं आधारहीन सूचना के आधार पर एक सदस्य को बदनाम करने के प्रयत्नों के विरूद्ध आपका संरक्षण चाहता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, kindly permit me to say something in this connection. You are aware of the Parliamentary tradition, that whenever an hon. Member is to be nominated by you or by any Government Department to any Committee, the consent of the hon. Member concerned is obtained in advance. How far you agree to it. When that Member has given his consent then only it is declared that the Member has been nominated on the Committee on behalf of the Speaker or the Department concerned. Yesterday, when the Prime Minister refuted this fact that Shri Humayun Kabir is a member of the Governing body of the Jamiat Ulema, I invited the attention of the Prime Minister to the fact that the news had appeared in the Al-Jamiat' dated the 21st July, the Chief organ of Jamiat Ul-Ulema, through which the policies and the views of the Jamiat-Ul-Ulema are made known to the people that.....

Mr. Speaker : You said it yesterday and read it.

Shri Prakash Vir Shastri : I had submitted it on this ground that a responsible man and a senior Minister like Shri Humayun Kabir, who has his own Information Officer, could refute this news which was displayed so prominently in that paper. Since that Organisation and that paper were carrying on a campaign against Shri Chagla, he could have repudiated it one or two months ago instead of doing so now so that this misunderstanding could have been avoided.

Secondly, so far as Waqf Board is concerned, you asked me whether I was saying that with a sense of responsibility. I had sumbitted at that time that I had got a copy of that Memorandum which had been sent to the Prime Minister and the Home Minister by the leader of the United Muslim Front, Shri Asra-ul-Haq. If you would allow me, I would lay it on the Table of the House, so that the Members could be acquainted with the factual position. In it he has clearly written not only that the funds of Waqf Board were spent on the campaign against Shri Chagla, but also that the person, who went to file the writ petition in the Supreme Court, also spent the Waqf funds.

I do not want to go into the details. You are fully aware that a news item had appeared on the front page of a leading daily newspaper of Delhi that one of two persons was present at the meeting of Jamiat where the resolution regarding Aligarh was passed. You may see that newspaper. In spite of all those things the Prime Minister is trying to conceal those facts. I wish it were wrong but if it is a fact then the right of such persons to be in Cabinet.....

Mr. Speaker : With due respect I would like to impress on all the Members that the mere fact that something has been published in any newspaper does not give them the privilege to make observations here on that basis.

I agree that the usual source of information of the Members can be newspapers only, but when they level criticism against any Minister, member or another dignitary, that basis is not sufficient and it is necessary to make further enquiries. The fact that since something has appeared in a newspaper, does not entitle any Member to refer to somebody by name. The first thing that the Minister

has said in this connection is that he is not a member of that organisation. If Shri Shastri further says that enquiries should be made in that regard, I am prepared to do so but the consequences would be that whosoever is found to be wrong, will have to apologise to the House. If you insist, I am prepared to hold the enquiry.

He has said that the Minister was nominated. It is possible that the Minister might have been nominated by them but he might have refused it. In that case it is not proper to say that he is a member. It is not proper to say so only because of newspaper reports because even if it is found wrong it affects the reputation of the person against whom it has been said. He could have enquired from him by writing to him, he could talk to him personally or he could ring up and satisfy himself.

An Hon. Member : It has not been contradicted.

Mr. Speaker : It is not necessary that each and every thing should be contradicted. Many things do not even come to notice, and moreover, is it difficult to contradict everything.

The Second thing which you stated was that the Head of the Waqf had written that the funds of the Waqf had been utilised for this purpose. But the Waqf might be working in accordance with some statute. If you like and stick to it, I can enquire into that also. If you are sure that.....

Shri Prakash Vir Shastri : You can find from the Debate the words I used. I had stated that the veracity of the facts stated in the memorandum submitted to the Prime Minister should be verified and if they are found to be correct, then such person had no right to contiune in the Cabinet.

Mr. Speaker : In the first instance you make an allegation and then want it to be verified. It would be going to the extreme if a charge is levelled against a person without satisfiying oneself and without evidence therefor, and then it is said that if it was wrong it might be corrected. He must ascertain the facts with full sense of responsibility and satisfy himself before making such a statement. We can command respect only by doing so and the people will have faith that we say everything with a sense of responsibility.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : सभा में ऐसे स्पष्टीकरण प्राय: दिये जाते हैं। मेरे विचार में इस मामले को कसौटी माना जाना चाहिये। श्री प्रकाशवीर शास्त्री को इन आरोपों को सिद्ध करना चाहिये तथा सम्बन्धित मंत्री को तथ्य आप के समक्ष रखने चाहिये और आपको इस बारे में निर्णय करना चाहिये जिससे ऐसी बातें सदा के लिये समाप्त हो जायें। यह तभी हो सकता है जब आप निष्पक्ष रूप से इस मामले का निर्णय करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों।

Shri Bade (Khargone) : It was said in the speech made by Shri Prakash Vir Shastri yesterday that the name of Shri Humayun Kabir has been mentioned in that Memorandum.....

Mr. Speaker : He said that it has been mentioned; I have followed it. Do the House and Shri Prakash Vir Shastri want that this should be enquired into? I feel that it would be going to the extreme if it is made a test case. We are sorry for this affair, but perhaps it will not be desirable to enquire about it. The matter should be dropped here. But if it is the desire of the House that it should be enquired into, I am bound by it. Does Shri Shastri want that it should be enquired into?

Shri Prakash Vir Shastri : I want it to be enquired into whether the news item appeared in the newspaper and whether the Front submitted a Memorandum or not.

Mr. Speaker : If you want, I will take it up. Does the Hon. Minister also want it?

श्री हुमायूं कबिर : जांच अवश्य की जानी चाहिए । मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं की इस मामले में ब्रिटेन में जो संसदीय प्रक्रिया है इसे अपनाया जाना चाहिये । जिसकी बात गलत सिद्ध हो, उसे संसद की सदस्यता छोड़ देनी चाहिये । यदि यह सिद्ध हो जाता है कि जो कुछ उन्होने कहा है वह गलत है तो उन्हे शेष अवधि के लिए इस सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहिये । मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

Mr. Speaker : No such condition should be imposed for conducting the affairs of the House. But if both the parties desire, the enquiry would be conducted. Of course, the House would express some punishment for the person found to be wrong. But there can be no condition. The House will see whether it is such a falsehood that it is necessary to go to the extreme. But this condition cannot be imposed. The House would take a decision in regard to punishment in the circumstances which would be brought to its notice. But as it is being challenged from both sides, I shall enquire into it and place the findings before the House.

Shri Muzaffar Husain : In connection with the allegation made by Shri Prakash Vir Shastri against Shri Humayun Kabir that the Waqf funds are being utilized, I want to submit that I am the Secretary of the Jamiat of which he is the President. Mr. Chagla was contacted through a trunk call from Kotah, Rajasthan in my presence and Shri Chagla was told that in case he was made a member of the Court and appointed the director of the Mughal Lines, then.....

Mr. Speaker : Order, Order. I have heard whatever you had said yesterday. You said this in your speach. I heard it. When you have already said it, there is no need of repeating it.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

AL'GARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

खण्ड 2—(धारा 23 का संशोधन)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कोया (काजीकोड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : श्रीमान् मैं केवल यह चाहता हूं कि इस बात को सिद्धांत रुप से मान लिया जाना चाहिये कि कोर्ट एक सर्वोच्च प्रशासी निकाय है । जहां मैं ने इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए एक संशोधन प्रस्तुत मैंने उसके परन्तुक में यह भी व्यवस्था करने का सुझाव दिया है कि कोर्ट (संसद) विधिवत्

की पूर्व-सम्मति प्राप्त किये बिना किसी परिनियम में संशोधन नहीं कर सकेगी। मैं ऐसा इस लिये करना चाहता हूं ताकि मंत्री महोदय तथा सभा इस विश्वविद्यालय में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार को मान्यता देवें। मंत्री महोदय ने तर्क दिया है कि उनका इस में न कोई अधिकार है और नही कोई हित है। परन्तु मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की यह धारणा सर्वथा गलत है क्योंकि यदि इस धारणा को मान लिया जाये तो आंग्ल-भारतीयों, ईसाइयों तथा सिखों आदि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों तथा कालेजों का अस्तित्व ही नष्ट हो जायेगा। जहां उन्होने इस बात से इन्कार किया है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय को कोई मूलभूत अधिकार प्राप्त है तथा कि मुसलमानों ने इसको स्थापित किया था और कि इस का प्रबंध मुसलमान करते रहे हैं, वहां उन्होंने यह भी कहा कि "परन्तु हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके व्यक्तित्व और स्वरुप को बनाये रखा जाय।" क्या यह दोनों बाते परस्पर विरोधी नहीं हैं? यदि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की थी और कि इसका प्रबन्ध भी मुसलमान नहीं करते रहे हैं तो उनका यह कहना, कि इसके स्वरुप को बनाये रखा जायेगा, एक अवैध तथा अनैतिक बात है। मुस्लिम व्यक्तित्व तथा स्वरूप के अतिरिक्त इसका और क्या व्यक्तित्व तथा स्वरूप हो सकता है? हम इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारी संस्कृति एकवादी है। हमारा समाज बहुवादी है अतः हमारी संस्कृति में सभी समुदायों ने अपना अपना योग देना है। जब चागला जी इसके व्यक्तित्व तथा स्वरुप का उल्लेख करते हैं तो वह मुस्लिम व्यक्तित्व तथा स्वरुप है। यदि ऐसा है तो इस पर मुस्लिम समुदाय का ही अधिकार है और यह अधिकार एक मूलभूत अधिकार है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों ने नही की थी परन्तु इस की स्थापना विधान मंडल द्वारा की गई थी। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय का पुनर्जनन करने के लिये ब्रिटिश सरकार की सद्भावना से की गई थी। इसकी सारी चल तथा अचल सम्पति मुसलमानों की थी। चूंकि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिये वैधानिक मंजूरी ली थी इसलिये उनका इसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार ही नहो रहा है यह सर्वथा अस्वीकार्य बात है। क्योंकि यदि इस बात को मान लिया जाये तो सिखों की कोई भी संस्था नहीं बच सकेगी क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समूदायों की शैक्षणिक संस्थाओं से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती हैं। कल को कुछ राज्य सरकारें कहेंगी कि किसी स्कूल अथवा कालेज खोलने से पूर्व वैधानिक मंजूरी ली जाये तो उनको इस बात से कौन रोक सकता है। ऐसा भी होने लगेगा।

श्री मु० क० चागला : मैं ने यह कभी भी नही कहा है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय किसी संस्था को नही खोल सकता है अथवा कि ऐसा करने के लिए उसे पहले वैधानिक मंजूरी लेनी चाहिये। अन्य समुदायों को इस प्रकार की अपील करने का कोई लाभ नहीं है। कोई भी समुदाय एक संस्था की स्थापना कर सकता है तथा उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। ऐसा करने का उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मैंने केवल यह कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना विधान मंडल ने की थी।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं कहता हूं कि आज तो वैधानिक मंजूरी लिये बिना किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नही की जा सकती है और कल को कुछ राज्य सरकारें जोकि अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध हैं, ऐसा कह सकती है कि किसी स्कूल अथवा कालेज खोलने से पूर्व वैधानिक मंजूरी ली जाय तो उनको ऐसा करने से रोकने के लिये क्या व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चागला ने कहा था कि विश्वविद्यालय खोलने के लिये तो अधिनियम की आवश्यकता है। यह बात केवल इस विश्वविद्यालय पर ही लागू होती है क्योंकि यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। जहां तक स्कूलों का सम्बन्ध है उनको खोलने के लिये किसी अधिनियम की कोई आवश्यकता नही है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : परन्तु प्रश्न यह है कि केवल वैज्ञानिक मान्यता देने का अर्थ यह तो नही है कि इसको विधान मंडल ने ही स्थापित किया है। कल को अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित किये गये स्कूलों तथा कालेजों के बारे में भी ऐसी मान्यता लेने के लिये कह दिया जायेगा और फिर यह कह दिया जायेगा कि इनकी स्थापना तो विधान मंडल द्वारा की गई थी। अत: हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि वैधानिक मान्यता देने का अर्थ उनकी स्थापना करना है। यदि इसको मान लिया जायेगा तो उन संस्थाओं की सम्पत्ति वैधानिक संस्थान के अधीन आ जायेगी और उनपर उस अल्पसंख्यक समुदाय का कोई अधिकार नही रहेगा जिसने उनकी स्थापना की थी। अत: अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने ही की थी न कि विधान मंडल ने।

इसके अतिरिक्त श्री चागला ने यह कहा है कि मुसलमान इसका प्रबन्ध नही करते रहे हैं। परन्तु यह भी गलत है क्योंकि 1920 के अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि सर्वोच्च प्रशासी निकाय के केवल मुसलमान ही सदस्य बन सकते हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि यह एक अच्छी बात थी। परन्तु इस व्यवस्था के होत हुए वह कैसे कह सकते है कि मुसलमान इसका प्रबन्ध नही करते रहे हैं। यहीं नही, कार्यकारीणी परिषद में भी केवल मुसलमान ही होते थे। उपकुलपति तथा सह-उपकुलपति का निर्वाचन कोर्ट द्वारा ही किया जाता था जिसके सदस्य केवल मुसलमान ही होते थे। 30 में से 20 सदस्यों का निर्वाचन भी कोर्ट ही करती थी और अन्य 10 सदस्य भी केवल मुसलमान ही बन सकते थे। इन सभी बातों के होते हुए वह कैसे कह सकते है कि इसका प्रबन्ध मुसलमानों द्वारा नहीं किया जाता रहा है।

श्री चागला ने कहा कि 1951 में जब परन्तुक 23(1) को हटाया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोर्ट के केवल मुसलमान ही सदस्य बन सकेंगे, तब मुसलमान न्यायालय में क्यों नहीं गये। मैं उनको इसका कारण बताना चाहता हूं वह यह है कि जब कोई संस्था सरकार से सहायता लेती है तो सरकार के हाथ में कुछ नियामक शक्तियां आ जाती हैं। चूंकि यह एक युक्ति संगत बात है इसलिए मुसलमान न्यायालय में नहीं गये थे और इसके अतिरिक्त 1951 के अधिनियम के पारित होने के पश्चात् भी यह व्यवस्था थी कि कम-से-कम 80 से 90 प्रतिशत सदस्य मुसलमान होंगे। श्री चागला ने इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 15 का भी उल्लख किया है जिसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह अवश्य मानता हूं कि अनुच्छेद 28(1) तथा 29 (2) के अन्तर्गत सहायता लेने वाली संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा देने तथा किसी समुदाय के विद्यार्थी को जाति अथवा धर्म के आधार पर संस्था से निकालने से मनाई है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह इन संस्थाओं का प्रबन्ध ही नहीं करते हैं।

फिर श्री चागला ने कहा कि सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न है। मैं कहता हूं कि यह भी गलत है क्योंकि यहां तो सभी संविधान के अधीन है। अल्पसंख्यक समुदाय के मूलभूत अधिकार को सभा नहीं छीन सकती है। अत: मैं चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के इस अधिकार को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार के पास नियामक शक्तियां न हों। सरकार यह कह सकती है कि इस विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा न दी जायें, इसमें 40 प्रतिशत विद्यार्थी गैर-मुसलमान होने चाहिये क्योंकि सरकार उन्हें सहायता देती है परन्तु प्रबन्ध की अन्य सभी बातें उन्हीं को सौंप दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा था कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि विधान मंडल में जल्दी ही एक और विधेयक लाया जायेगा तथा कि कोर्ट में मुसलमानों की बहुसंख्या होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक उनके अधिकार को स्वीकार नहीं किया जायेगा तब तक कोर्ट में उनकी बहुसंख्या कैसे होगी ? जो कुछ प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है उसको यहां कानूनी रूप दिया जाना चाहिये। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये जिसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना है कि कोर्ट को, जोकि एक नामानिदशित तथा सलाहकार निकाय होगा विश्वविद्यालय में मुस्लीम विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने तथा इस विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर कुछ अधिकार होना चाहियें क्योंकि यह सारी सम्पत्ति एम० ए० ओ० कालेज की थी जोकि इस

विश्वविद्यालय को मिली थी। हमें विधेयक के इस खण्ड पर आपत्ति है और अपनी इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये मुझे इस विश्वविद्यालय की पृष्टभूमि पर कुछ प्रकाश डालना पड़ेगा कि हमें इस खण्ड पर क्यों आपत्ति है।

वर्ष 1857 के लगभग अथवा इसके पहले मुसलमान बहुत पिछड़ गये थे क्योंकि वे लोग पश्चिमी संस्कृति तथा शिक्षा को नहीं अपनाना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि इन की दशा बड़ी दयनीय हो गई। उनकी इस दयनीय दशा पर सर सैयद अहमद खाँ ने विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनकी दशा सुधारणे के लिये आधुनिक शिक्षा की शरण ली जाय। उस समय यह भी एक आन्दोलन चल रहा था कि बिना धार्मिक शिक्षा के कोई भी शिक्षा किसी व्यक्ति के लिये सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती है। अतः सर सैयद अहमद खां ने पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा को मिलाना चाहा जिससे मुसलमान शिक्षा ग्रहण करके अपने पिछड़ेपन से ऊपर उठ सक। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1875 में एक हाईस्कूल खोला गया और तत्पश्चात् 1877 मे० एम० ए० ओ० कालेज की स्थापना हुई। सर सयैद अहमद ने तब कहा था कि यह संस्था मुस्लिम समुदाय के प्रयत्नों का फल है और यह समूचे मुस्लिम समुदाय की है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों में सहनशीलता, उदारता तथा नैतिकता की भावना जगाना था। यह कहना गलत है कि यह केवल मुसलमानों के लिय ही थी। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों का विचार है फिर भी इसमें मुस्लिम समुदाय की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी थी जिसके सदस्य राजनैतिक अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण विशेषकर से पिछड़े हुए थे।

50 वर्षों के प्रयत्नों के पश्चात् इस कालेज को 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया और इसका प्रबन्ध और इस की सारी सम्पत्ति मुसलमानों के नियंत्रण में थी। वहां पर मिश्रित् दशा में वैज्ञानिक तथा धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने के कारण इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध पर मुसलमानों के नियंत्रण होने की सचाई तथा आवश्यकता इस विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अभिलेखों में स्पष्ट रूप से बताई गई है। जिस विधेयक के अन्तर्गत इसकी स्थापना की गई थी वह विधेयक सभी समुदायों की सहमति से पारित किया गया था। इस विधेयक के उदेश्यों तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह विश्वविद्यालय एम० ए० ओ० कालेज से बना है जिसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी और जिसका प्रबन्ध मुसलमानों के ही हाथों में था। एम० ए० ओ० कालेज का सारी सम्पत्ति तथा उस कालेज में कार्य कर रही सभी समितियो की सारी सम्पत्ति इस विश्वविद्यालय के अधिकार में दी जानी है। इस सम्पत्ति के अतिरिक्त और कितना ही दान इकट्ठा किया गया था जिसके फलस्वरुप इस की स्थापना हुई थी। अतः यह हमेशा माना जाता रहा है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की एक संस्था है और इसकी स्थापना विशेष रूप से भारत के मुसलमानों के हित के लिये की गई थी।

जहां तक 25 अप्रैल को हुई घटना का सम्बन्ध है उसकी सभी ने निन्दा की है चाहे इस का कारण कुछ भी क्यों न हो। हमें उपकुलपति से पूरी सहानुभूति हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें तथा दीर्घ आयु पावें। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति से देश में पहले ही विद्यमान सामान्य कानूनों के अन्तर्गत नहीं निपटा जा सकता है? क्या देश में और जो इतने बड़ बड़े षडयंत्र किये जाते हैं उनसे निपटने के लिये अध्यादेश जारी किये जाते हैं; और यदि नही किये जाते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी।

"स्थापना करना" तथा 'प्रबन्ध' करना शब्दों के बारे में 'स्थापना करना' शब्दावलि पर अधिक बल दिया जा रहा है। हमने सरकार को कहा था कि इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था के रूप में मान्यता दे। यह दो पक्षों के बीच एक समझौता था। इस का यह अर्थ नहीं था कि इसकी स्थापना सरकार ने हो की थी। हम तो केवल सरकार के पास कुछ अपने अधिकारों तथा विशषाधिकारो के लिए गये थे जिससे यहाँ की उपाधियों को मान्यता प्राप्त होने के साथ साथ

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

सहायता भी मिल सके सहायता लेने अथवा मान्यता प्राप्त करने का यह तो अर्थ नही है कि इस पर अब हमारा कोई अधिकार ही नही रहा है। अतः यह अल्पसंख्यक समुदाय की एक संस्था है और इसको भारतीय संविधान के कई अनुच्छदों के अन्तर्गत पूरा संरक्षण प्राप्त है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं नहीं समझता कि किसी संस्था के अल्पसंख्यक समुदाय अथवा बहुसंख्यक समुदाय की संस्था होने का कोई प्रश्न ही उठता है। मैं पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला का सदस्य हूं। वहां मैंने कभी किसी से यह कहते नहीं सुना है कि यह सिखों के लिये बनाई गई तथा सिखों द्वारा चलाई जाने वाली अल्पसंख्यक संस्था है, यह एक अंतर्गत प्रस्थापना है। यदि ऐसा हो तो श्री खाडिलकर, जो कि महाराष्ट्र के हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य कैसे रह सकते हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्र के हैं और वे हमारे सब के हैं।

कुछ माननीय सदस्य अलीगढ़ विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में चिन्तातुर हैं। उन में से अधिकांश यह नहीं जानते कि विश्वविद्यालय क्या होता है। स्कूल विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जा सकते हैं परन्तु विश्वविद्यालयों में अन्तर है।

पाठ्यक्रम से कोर्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही उसका सम्बन्ध कार्यपालिका परिषद् से है। उसका सम्बन्ध विद्या सम्बन्धी परिषद् से है। विद्या सम्बन्धी परिषद् के गठन में कोई रूपभेद करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। इसको बिलकुल छेड़ा नहीं गया है। इसलिये इसके सम्बन्ध में कोई भय निराधार है।

सर सय्यद अहमद ईस देश में राष्ट्रीयता के अग्रगामी व्यक्तियों में से एक थे और वह विशाल हृदय सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता के समर्थक थे। क्या हम अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय तथा बहुसंख्यक विश्वविद्यालय की बातें कर के उन के द्वारा चलाये गये पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में कोर्ट के दायित्वों में अन्तर है। कुछ विश्वविद्यालयों में उसका काम बिल्कुल कुछ नहीं होता है और कुछ में वह सर्वोपरि होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सम्पत्ति जो एम० ए० ओ० कालेज से ली गई थी और जिसमें पिछले वर्षों में वृद्धि की गई है, इस विश्वविद्यालय के पास ही रहेगी। इस विधेयक से किसी के मूल अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमे कोई शंका नहीं है कि इस विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के सदस्यों में मुसलमानों की ही बहुसंख्या रहेगी। कार्यपालिका परिषद् तथा विद्या सम्बन्धी परिषद के सदस्य वे लोग होंगे जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की समस्याओं तथा आदर्शों को समझते हों।

इस गलत धारना को नहीं उठाया जाना चाहिये कि यह विश्वविद्यालय मुसलमानों की सम्पत्ति है क्योंकि बहुत से हिन्दुओं ने भी इसके लिये अंशदान दिया है। यह सम्पत्ति विश्वविद्यालय की है और हम सब के लिये है।

यह कहा गया है कि इस अध्यादेश से मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप और पृथक अस्तित्व विकृत होगा। परन्तु मैं यह कह सकता है कि श्री अली यावर जंग की उपकुलपति के रूप में नियुक्ति इस विश्वविद्यालय के इतिहास की एक युग-प्रवर्तक घटना होगी।

सभी विधियां अच्छी होती है। यह कानून बुरा नहीं है। इस कानून का उलटा अर्थ इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और यह बात बुरी है। यह विधेयक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिये, मुस्लिम मित्रों के लिये, भारत राष्ट्र के लिये तथा सभी लोगों के लिये बहुत अच्छा कार्य करेगा और देश के वैभव में वृद्धि करेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बरैकपुर) : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं विश्वविद्यालय के गठन सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने के विरूद्ध नहीं हूं क्योंकि वहां कुछ बहुत ही खेदजनक घटनायें हुई है परन्तु इस विश्वविद्यालय के साथ जिस व्यवहार की सिफारिश की गई है, वह बहुत कड़ा है और इस से अच्छा परिणाम निकलने की बजाय अधिक हानिकर परिणाम निकलेगा।

कोर्ट एक महत्वपूर्ण निकाय है। उसके महान कृत्य हैं और विज़िटर को व्यापक शक्तियां देना उचित नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं विज़िटर को समूची शक्तियां देने तथा कोर्ट को केवल एक सलाहकार समिति बनाने के बिल्कुल विरूद्ध हूं। हम एक बार इसका समर्थन करेंगे तो ऐसा किसी अन्य विश्वविद्यालय के लिये भी किया जायेगा। हमें एसी स्थितियों का सामना करना है परन्तु मलभूत सिद्धान्तो के विरूद्ध जा कर नही। इस कारण, मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकती।

श्री पालीवाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 30 विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं पर भी लागू होता है। यह हैरानी की बात है कि श्री एन्थनी स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अन्तर को समझा नहीं पाये हैं। विश्वविद्यालय केवल शिक्षा संस्थायें ही नहीं हैं, कानून के अन्तर्गत उन्हें डिप्लोमा और डिग्री देने का अधिकार भी है। जिससे लोगों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थायों में दाखिल होने का अधिकार हो जाता है और वे कुछ सार्वजनिक पदों पर काम कर सकते हैं। स्कूलों और कालिजों में तथा विश्वविद्यालयों में यही अन्तर है। स्कूल तथा कालिज अपने संस्थाओं तथा प्रबन्धकों की इच्छा के अनुसार शिक्षा देने के लिये स्वतन्त्र हैं परन्तु उन्हें विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार चलना होता है। इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वे अपनी शिक्षा देने के लिये स्वतंत्र होते हैं।

अलीगढ़ में मुस्लिम धन से पहले स्कूल बना और बाद में वह कालिज में परिवर्तित किया गया। जब उसे विश्वविद्यालय बनाने का प्रश्न खड़ा हुआ तो जनता से धन इकट्ठा किया गया। परन्तु विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न विधान-मण्डल के हाथ में है। विधान मण्डल के एक अधिनियम द्वारा यह विश्वविद्यालय खोला गया। अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग स्कूल खोल सकते हैं और उनका प्रबन्ध कर सकते हैं परन्तु अल्पसंख्याक वर्ग तथा बहुसंख्याक वर्ग विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में श्री एन्थनी का यह भ्रम ठीक नहीं है कि यदि इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था नहीं माना गया और राष्ट्रीय संस्था माना गया तो उनकी संस्थाओं के सम्बन्ध में भी ऐसा माना जा सकता है कि वे उस विशेष समुदाय की संस्थायें नहीं है।

श्री मु० क० चागला : श्री एन्थनी को सभ्रण रखना चाहिये कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का संविधान है जिसमें सभी नागरिकों को एक समान बुनियादी अधिकार प्राप्त है, अल्पसंख्याकों के लिये सब से बड़ी सुरक्षा स्वयं संविधान है जो कि सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्य कों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थायें खोल सके। मैं यह अधिकार वापिस नहीं ले रहा हूं। कोई भी समुदाय स्कूल कालिज अथवा कोई शिक्षा संस्था स्थापित कर सकता है परन्तु विश्वविद्यालय का अपना स्वरूप होता है। इसका निगमन किया जाना आवश्यक है जोकि केवल विधान सभा अथवा संसद द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिये कोई समुदाय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर सकता है।

कार्यकारिणी परिषद् के सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि 1920 के अधिनियम में ऐसी कोई गारंटी रखी गयी थी कि यह परिषद् केवल मुसलमानों द्वारा ही गठित होगी। व्यवहार में आज भी कार्य कारिणी परिषद् में बहुसंख्या मुसलमानों की है।

हम धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि अनुच्छेद 28 (ड) के अधीन यदि हम उस संस्था को कोई अनुदान दे तो हम धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं कर सकते। यह विचित्र बात है कि विद्या सम्बन्धी स्वतंत्रता म विश्वास रखने वाले लोग यह कहें कि धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई निदेश होने चाहिये।

श्री मुहम्मद इस्माइल : यह ठीक है कि संविधान के अनुसार किसी नागरिक को अनिवार्यतः धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती परन्तु यदि विद्यार्थी अथवा उनके माता पिता धार्मिक शिक्षा चाहत हों तो क्या शिक्षा संस्थायें ऐसी शिक्षा देने से इन्कार कर सकती हैं।

श्री मु० क० चागला : शिक्षा सम्बन्धी परिषद् इस्लामी दर्शन तथा धर्म की शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। परन्तु यह अनिवार्य नहीं की जा सकती।

कोर्ट को सर्वोच्च निकाय बनाने के श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट एक बहुत बड़ा निकाय है और तत्समय इस का संचालन 'विज़िटर' द्वारा किया जाना है। जब हम सारभूत विधान बनायेंगे तो कोर्ट को आवश्यक अधिकार देंगे।

श्री अल्वारेस : मंत्री महोदय ने अनुच्छेद 30 का बार बार उल्लेख किया है। क्या इसका अर्थ यह है कि अल्प जाति समुदाय विश्वविद्यालय से कम महत्ववाली शिक्षा संस्थायें स्थापित कर सकते हैं परन्तु विश्वविद्यालय केवल सरकार ही स्थापित कर सकती है।

श्री मु० क० चागला : जी, हां। केवल संसद या राज्य विधान मण्डल ही विश्वविद्यालय को स्थापित कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 7 तथा 21 सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 तथा 7 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुये। /*The Amendment Nos. 21 and 7 were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 2 was added to the Bill.*

खण्ड 3 (धारा 28 का संशोधन)

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य कोर्ट को कुछ अधिक शक्तियां देना है। कोर्ट, जो कि पहले सर्वोच्च प्रशासी निकाय था, लगभग प्रभावहीन निकाय बना दिया गया है। इसे कम से कम यह मालूम होना चाहिये कि कार्यकारिणी परिषद तथा विज़िटर के बीच क्या मामला चल रहा है। इसलिए प्रत्येक नई संविधि तथा उनमे कुछ जोडे जानेका प्रश्न और संशोधन या अपीलें पहले कोर्ट के सामने रखी जानी चाहियें और उन पर उसकी राय प्राप्त की जानी चाहिये और फिर अन्तिम स्वीकृति के लिये कोर्ट की राय के साथ विज़िटर को भेजी जानी चाहिये।

मु० क० चागला : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इस विधेयक का समूचा आधार यह है कि कोर्ट एक परामर्शदाता निकाय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*The Amendment No. 8 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 3 was added to the Bill.*

खण्ड 4 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 4 to 8 were added to the Bill.*

खण्ड 9 (संविधियों का संशोधन)

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं संशोधन संख्या 24 तथा 25 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बदरुद्दजा : संशोधन संख्या 9 का उद्देश्य यह व्यवस्था करना है कि सदस्यों की कुछ संख्या के 60 प्रतिशत से कम मुसलमान नहीं होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मुस्लिम संस्था है और इसका प्रबन्ध मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि कोई ऐसा विधान बनाया जा सकता है कि कोई शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य संस्था अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती।

संविधान के अनुच्छेद 30 में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक जातियों भाषाई तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक जातियों को कोई संस्था स्थापित करने और उसका प्रबन्ध करने का अधिकार है। मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य मस्लिम होने चाहिये। यह सरल संशोधन है और आशा है कि शिक्षा मंत्री यह संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : श्रीमान, मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों का बहुमत हो। मैं प्रत्यक्ष युक्ति संगत बात का समर्थन करता हूं। हमें इस विश्वविद्यालय की मूल अवस्था और स्थिति को नहीं भूलना है। यह मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र है। यह अल्पसंख्यकों की संस्था है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात को स्वीकार करे और विधेयक में इसकी पुष्टि की जाय। माननीय प्रधान मंत्री ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा की जायेगी। ऐसी आशा है कि आप उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देंगे परन्तु इस के बारे में विधेयक में भी उपबन्ध होना चाहिये।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं। इन संशोधनों का आशय मुसलमानों का कार्यकारिणी परिषद में बहुमत बनाये रखने से है। हमें संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलना है। अनुच्छेद 25 देश में विभिन्न धर्मों को मान्यता देता है। अनुच्छद 28(1) के अन्तर्गत उन को कुछ अधिकार भी मिले हुए है। इस विधेयक में हम उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह कहा जाता है कि हमारे देश में संस्कृति एक है और लोग एक है। परन्तु संविधान में विभिन्न धर्मो की बात को मान्यता दी गई है। संविधान के लागू होने से पहले भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। यह विदेशी सरकार ने किया था। अब हमारे संविधान में भी उन की पुष्टि कर दी गई है। इन्हीं के आधार पर मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बरैकपुर) : यह खेद की बात है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विभाग अध्यक्षों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस बारे में चटर्जी समिति की सिफारिशों से लाभ उठाना चाहिये। उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में भी उन्होंने सुझाव दिये है। मैं श्री चागला से कहना चाहती हूं कि उन सिफारिशों का अनुसरण किया जाये।

इस सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि दान देने वाले कोर्ट के सदस्य हों। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह एक अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था है। चटर्जी समिति ने भी यह बात मानी है। बहुसंख्यक समुदाय को उदार होना चाहिये और कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की बहुसंख्या होनी चाहिये।

श्री मु० क० चागला : चटर्जी समिति ने स्थायी विधान के लिये सिफारिशें दी थी और अध्यादेश के बारे में नहीं थी। मैं चाहता हूं कि श्रीमती चक्रवर्ती प्रवर समिति में हो और अपने रचनात्मक सुझाव दे। इससे बहुत लाभ होगा। हमारे संविधान के अनुसार सभी धर्म समान है। इसी लिये 1951 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और एक समुदाय के प्रभत्व को समाप्त कर दिया गया था। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के बारे में भी यही किया गया था। यह कभी नहीं हो सकता कि अमुक संस्था में उस समुदाय का बहुमत हो। इस बात का कानून द्वारा उपबन्ध नहीं किया जा सकता। यह सब चुनाव करने वालों पर निर्भर करता है। यदि वे चाहें तो किसी भी समुदाय वालों को चुन सकते ह। विज़िटर को भी 20 सदस्यों को नामनिर्देशित करना है।

श्री बदरूद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं अपने संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*The Amendment No. 9 was by leave withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10, 11, 12 और 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*Amendments Nos.* 10, 11, 12 *and* 13 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 15; विपक्ष में 94/Ayes 15; *Noes* 94.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । /*The Motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया, तथा अस्वीकृत हुआ ।/*Amendment No.* 25 *was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The Motion was adopted.*

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 9 *was added to the Bill.*

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses* 10 *and* 11 *were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause* 1, *the Enacting Formula and the title were added to the Bill.*

मु० क० चागला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ?"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के तृतीय वाचन (थर्ड रीडिंग) को हम सोमवार को लेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

उनहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 1 सितम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 1 सितम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

शिख गुरुद्वारा विधेयक–(जारी)

SIKH GURDWARA BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री अमर सिंह सहगल द्वारा 19 अगस्त, 1965 को सिख गरुद्वारा विधेयक को एक संयुक्त समिति को सोंपने सम्बंधी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । जैसा कि इस में उल्लिखित है गुरुद्वारों के धन को समाज के कल्याण के लिये प्रयोग में लाना चाहिये । गरुओं की शिक्षा के प्रचार के लिये इन धर्मस्थानों का उपयोग किया जाये । गरु नानक ने भाईचारे और प्रेम का सबक दिया है । जब गरुद्वारों को राजनीति का केन्द्र बना लिया जाता है तो इससे बहुत हानि होती है । इस से विभिन्न समुदायों में घृणा और वैमनस्य की भावना फैलती है । ऐसी प्रवृत्ति से हमें बचना है । गुरुद्वारों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग म नहीं लाना चाहिये । गरुद्वारों के आन्तरिक मामलों से सरकार को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । परन्तु इस प्रकार य स्थान गुन्डों आदि की शरण का स्थान बन जायेंगें । यह बात उचित नहीं है ।

इस लिये हमें किसी भी धर्मस्थान को राजनोति का केन्द्र नहीं बनाना चाहिये । नहीं तो सरकार को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होना चाहिये ।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मेरे सामने एक मूलभूत मश्किल है । संविधान के अनुच्छद 371(1) के अन्तर्गत पंजाब क्षत्रीय समिति आदेश 1957 मे जारी किया गया था । उसके अन्तर्गत सभी अनुसूचित मामलों पर पहले क्षत्रीय समिति में विचार होना चाहिये । उस के बाद ही ऐसा कानून बनाया जा सकता है । माननीय प्रस्तावक ने उस समिति ने क्षत्रीय समिति में इस पर विचार नहीं कराया है । इस विधेयक में सिख गरुद्वारा अधिनियम, 1925 के निरसन करने की व्यवस्था है । यह पंजाब क्षेत्रीय समिति आदेश के प्रतिकूल है । इस लिये इस 1925 के अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल देना चाहिये । ऐसा करने से इस का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । ऐसा ही विधेयक वर्तमान प्रस्तावक ने 1958 में प्रस्तुत किया और उसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया था । परन्तु कुछ समय बाद दूसरी लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया । ऐसा प्रतीत होता है कि—लोकमत इस विधेयक के विरोध में है । अब भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे लोकमत जानने के लिये परिचालित कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि सिख गरुद्वारा विधेयक को 28 फरवरी, 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

श्री अ० सिं० सहगल : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिख गुरुद्वारा विधेयक को 28 फरवरी, 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1963

(धारा 14 का संशोधन)

THE DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL, 1963

(*Amendment of Section* 14)

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

मेरे विधेयक का आशय किरायेदारों को निष्कासन से सुरक्षित करना है। मूल विधेयक की जिन धाराओं का मैं संशोधन चाहता हूं मैं उन का पहले उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो धारा 14 है। इस में मालिक मकान को अधिक अधिकार दिये गये हैं। वह किरायेदार के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चला सकता है। मैं चाहता हुं कि किरायदार को संरक्षण मिलना चाहिये। दिल्ली में मकानों की बहुत कमी है। और यहां पर जन संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है।

प्रतिवेदन में आगे चल कर कहा गया है कि दिल्ली में औसत तौर पर प्रति वर्ष 99,000 व्यक्तियों के लिये जो कि दिल्ली में बाहर से आ रहे हैं आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। सरकार जब अपने कर्मचारियों के लिये ही आवास की व्यवस्था नहीं कर सकती फिर क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि वह 1 लाख लोगों के लिये प्रतिवर्ष मकान दे देगी। जो लोग अन्य प्रदेशों से दिल्ली में आये हैं उन्होंने अपने रहने के लिये कोई न कोई व्यवस्था कर ली है। मैं समझता हूं कि अब मुदाखलत करना और कठिनाइयां पैदा करना उचित नहीं है। इस लिये मैं समझता हूं कि मैं ने जो संशोधन पश किया है वह स्वीकार कर लिया जाये।

इस संशोधन को पेश करने का दूसरा कारण यह है कि आगे किराये पर देने की व्यवस्था हो या न हो इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि किराये दार को जो किराया मिले उसमें मालिक मकान का हिस्सा कानूनी रूप से निर्धारित कर दिया जाना चाहिये। आजकल देखने में आता है कि कई मामलों में किरायेदार मालिक मकानों से भी अधिक किराया वसूल करते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस फालतू आमदनी में मालिक मकान का हिस्सा भी निर्धारित कर दिया जाये।

दिल्ली में 1959-62 में मकान खाली कराने के 13,698 मुकदमें आये। इस समस्या को ध्यान में रखत हुए मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और लोग जिस प्रकार भी रहने का प्रबन्ध करते हैं उन्हें करने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वारियर (त्रिचुर) : दिल्ली में मकानों के संबंध में स्थिति यह है कि सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों को मकान नहीं दे सक रही है। बहुत से कर्मचारी किरायदारों के किरायेदार बन कर रह रहे हैं। यदि सरकार इस व्यवस्था को भंग करना चाहती है तो ये कर्मचारी कचरियों के ही चक्कर काटते रहेंगे। ने केवल सरकारी कर्मचारी हो अपितु गैर सरकारी फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी भी भारी संख्या में इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

[श्री वारियर]

इस विधेयक में दनिक मजूरी पर काम करने वाले उन असंख्य मजदूरों का उल्लेख नहीं किया गया है जो झूग्गी और झोंपड़ियों में रहते हैं। यह विधेयक मुख्यत: दरमयाने तबके के लोगों पर लागू होता है। हम देखते हैं कि शरणार्थियों को बहुत मकान मिले हुए हैं क्योंकि विभाजन के पश्चात् उनको स्वभावत : सब से अधिक महत्व दिया गया था। रोज़गार के लिये लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में आ रहे हैं। इन सब के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये या तो सरकार कोई व्यापक योजना बनाये अथवा लोगों को स्वयं प्रबन्ध करने की इजाज़त दे। कभी कभी इन लोगों को इतना अधिक किराया देना पड़ता है कि वह उस किराये के बराबर होता है जो पहला किरायेदार मकानदार को देता है जब कि दूसरे किराये दार को सारे मकान का केवल बहुत छोटा सा भाग किराया पर दिया जाता है।

मुझे बताया गया है कि अब तक लगभग 53 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 42 प्रतिशत कर्मचारी किराये दारों के किरायेदार बन कर रह रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Balmiki (Khurja) : I rise to support the Amending Bill introduced by Shri N. R. Laskar.

The population of Delhi 33 years ago when I came to this city was 5 lakhs and now it has risen to 27 lakhs. The housing problem in Delhi has taken a grievous form. The low-income group people have to face the greatest difficulty in this regard.

When the Delhi Rent Control Bill was passed, I thought that it will foster better relations between the tenants and the landlords. But it has rather deteriorated the relations. The landlords are adopting daily new tactics for evicting the tenants. The Rent Control Act does not give any shelter to the tenants.

The other day it was stated that we want to bring socialism in the country and therefore want to fix a ceiling on the residential and agricultural holdings in the villages. The million aires share have shown their lands in the name of their minor children and relatives. That law has thus become a dead letter.

If we want to bring socialism then in big cities like Delhi Government takes control of big houses and land and enforce its rationing so that even a poor man can get a place to live in.

This Bill will be a long way in removing the difficulties of tenants and sub-tenants.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : यद्यपि दिल्ली एक बड़ा नगर है फिर यहां पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की तरह कोई उचित किराया नियन्त्रण कानून नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में किरायेदारों और मालिक मकानों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये माननीय मंत्री बम्बई किराया नियन्त्रण अधिनियम पर विचार करें और उसे यहां पर लागू करें। विभाजन से वर्ष पूर्व दिल्ली एक छोटा सा शहर था। बाद में अनेक सिविल और सैनिक अधिकारियों ने यहां मकान बनाये। सैनिक अधिकारी अपने सेवाकाल में विभिन्न स्थानों पर जाते रहे। अब सवा से मुक्त होने के बाद वे आपने रहने के लिये भी मकान खाली नहीं करा सकते है। उनकी हालत बहुत खराब है। बम्बई में स्थिति यह नहीं है, वहां यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि आपको मकान अपने लिये चाहिये और आपके पास और कोई मकान नहीं है तो आपका मकान खाली कराया जा सकता है।

मैं ने देखा है यहां पर लोग सरकार से और सरकारी समितियों से ऋण लेकर मकान बना लेते हैं और किराये पर चढ़ा देते हैं और स्वयं अलाट किये गये क्वार्टरों में रहते हैं और इस प्रकार दो तरीके से फायदा उठाते हैं।

दिल्ली में 250 या 300 रु० से कम में मकान नहीं मिलता। और जिस व्यक्ति को मिलते ही 250–300 रु० हों वह अपना सारा वतन किराये के लिये कैसे दे सकता है? इसलिये मेरा अनुरोध है कि बम्बई किराया नियन्त्रण अधिनियम के तरीके पर दिल्ली के लिये कानून बनाया जाये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं भी किरायेदारों और किरायेदारों के पक्ष में हूं परन्तु मालिकों और उपमालिकों के पक्ष में नहीं। यदि मालिक मकान अधिक किराया लेता है तो उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु ऐसे उपमालिकों तो मालिकों से अधिक खराब हैं जो 24 रुपये महीना पर मकान लेकर उसका एक छोटा सा भाग 250 रु० महीने पर किराया पर चढ़ाते हैं।

दिल्ली में मकानों की कमी है, इसलिये सरकार को मकान बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिये। और किरायादारी कानून को सख्ती से लागू करना चाहिये।

मैं शहरी मकानों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के पक्ष में भी हूं। इससे रहने की जगह का अच्छा वितरण हो सकता है। मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यदि यह विधेयक पास हो गया तो बड़े किरायेदार उपमालिक मकानों का रूप धारण कर लेंगे और समस्या और कठिन हो जायेगी।

श्री क० ना० तिवारी (बगदा): सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है..... अब गण पूर्ति है।

Shri Hukum Chand Kacchhavaiya (Dewas) : Sir, I rise to support the Bill. I hold the Government responsible for the conflict that continues between the landbords and the tenants in Delhi. The landlords do not give rent receipts to the tenants and as such the latter have no proof that he is the tenant of that landlord and can be evicted any time.The Government has not been able to provide accommodation to all its employees.

The landlords harass the old tenants in a number of ways to get the house evicted. They cut the water and the power connection. The Government has not taken proper steps to solve the housing problem. I hope the hon. Minister will have no objection in accepting this Bill, which is very simple. Government should take proper steps to provide housing accommodation to the Government employees. I know many Government employees living in jhuggies and jhouppries. Some of them are owners of many jhuggies and have let out them on rent. They cannot do so unless they have the backing of some one from the above.

I want to give one suggestion for solving the housing problem in the capital and that is that more and more multistoreyed houses should be constructed instead of single storeyed houses.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : निर्माण और आवास मंत्री ने कल इस सभा में बताया था कि दिल्ली में 2 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष आ रहे हैं। दिल्ली के प्रत्येक कोने में झग्गियां और झौंपड़ियां खड़ी हो रही हैं। सरकार अभी तक केवल 33,000 कर्म-

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

चारियों के लिये आवास की व्यवस्था कर पाई है और अभी 66,000 सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था की जानी बाकी है। जब सरकार अपने कर्मचारियों को ही मकान नहीं दे सकती तो इतने व्यक्ति जो प्रतिवर्ष यहां आ रहे हैं उनके लिये सरकार मकानों का प्रबन्ध कैसे कर सकती है ?

वर्तमान कानून के अनुसार यदि कोई किरायेदार अपने मकान का कोई हिस्सा अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या किसी और को देना चाहे तो इसके लिये उसे मालिक मकान की अनुमति लेना आवश्यक है। मालिक मकान अनुमति क्यों देने लगा। वह कहता है मुझे कुछ पगड़ी दो और मैं अनुमति दे दूंगा। बाहर जो आदमी आया है उसे मकान तो लेना ही है चाहे जैसे भी मिले। वह पगड़ी के कुछ रुपये दे देता है तो मकान मिल जाता है। इस बुराई को दूर करने के लिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास कर दिया जाना चाहिये।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : I support the Bill. But my apprehension is that unless proper atmosphere is established no legislation will work. After all why the people sublet their houses? Because they want to charge more rent. The giving of pagree is a common practice now a days, although it is against the law. People are charging more rent in the shape of pagrees. Therefore, while this legislation is brought, these defects should also be removed side by side.

In Delhi there are many single storeyed houses. There is already great shortage of space. Therefore, I suggest that multi-storeyed houses should be built in their place so that more people can be given accommodation. The suggestion given by Shri Vidyalankar regarding the fixing of ceiling on the housing accommodation in Delhi seem to be impracticable.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I congratulate Shri Naskar for bringing this Delhi Rent Control (Amendment) Bill. There is no other way to solve the housing problem of the people of Delhi. Just as we raised the slogan "Land must go to the tiller", in the same way we should raise the slogan. 'The man who resides in the house should be considered its owner'. If this is practised the housing problem can be solved within two months. Today we see that as many as 50 bungalows of a single person are lying vacant. They are in the name of his relatives. The Government should take over these houses and distribute them among the common people for residing purposes.

In many cases the money recovered by the landlords in the form of rent has far exceeded the cost of construction of the house. In such cases no further rent should be paid and the property should be transferred to the tenant. The larger or smaller accommodation should be given to the M.P.'s on the basis of their voting strength. More rent should be charged from persons with a monthly income of over Rs. 2,000 and the poor people should be exempted from the payment of rent. The rents of middle class people should be reduced.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The population of Delhi is progressively increasing while the shortage of housing accommodation is already there. Because of the shortage of housing accommodation people want to reside in the portion of the first tenant as sub-tenants. The first tenants are charging exorbitant rents from the sub-tenants which is not a proper thing. In a socialistic country

it is the duty of the Government to ensure that only reasonable rent is charged. Such provision should be made in this bill as would preclude the landlords from evicting the tenants and from harassing them for nothing. More facilities should be provided to the present tenants. I welcome this bill and I also suggest that Government should bring comprehensive Bill in this regard as early as possible.

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि दिल्ली में मकानों की बढ़ी समस्या है। इस नगर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और पिछले 20 वर्षों में इसकी आबादी 5 लाख से बढ़ कर 30 लाख पहुंच गई है। आबादी बढ़ने के साथ साथ इतने मकान यहां नहीं बन पाये हैं। हम गैर सरकारी क्षेत्र में मकानों के बनाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नई नई बस्तियां बसाई जा रही हैं परन्तु इसके बावजूद भी मकानों की कमी है।

परन्तु मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के पास करने से समस्या हल हो जायेगी ? इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य उपकिरायेदारी को कानूनी रूप देना है।

यह भी तर्क दिया गया है कि मकान मालिक बहुत बुरे आदमी हैं और किराये दारों को तंग करते हैं। परन्तु सभी मकान मालिक बुरे नहीं हैं। मेरा अपना तजर्बा है और मैंने देखा है बहुत से मालिक मकान गरीब बेकाए और यतीम बच्चे हैं। उनके पति अथवा माता पिता ने मकान 4-5 रु० महीना की दर से किराया पर चढ़ाया था। आज व किराया बढ़ाने के लिये दारक्वास्त करते हैं परन्तु कोई किरायेदार उनकी बात को नहीं सुनता और किरायेदारों ने वह मकान सौ सौ दो दो सौ रु० पर किराये पर दिये हुए हैं। यदि इस विधेयक का उद्देश्य केवल उपकिरायेदारी को कानूनी घोषित करना है तो यह एक अवांछनीय बात होगी।

माननीय सदस्य के विधेयक का केवलमात्र उद्देश्य 1962 तक आगे किराये पर दिये गये मकानों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। 1958 में हमने एक विधान बनाकर 1952 तक आगे किराये पर दिय गये मकानों को मान्यता दे दी थी। मकानों को आगे किराये पर देने के बहुत बुरे परिणाम होते हैं और मैं समझता हूं कि किसी गैरकानूनी काम को मान्यता देना उचित नहीं होगा। 1957 में दिल्ली में किराया नियन्त्रण कानून में संशोधन करने से पहले सभी सम्बन्धित व्यक्तियों किरायेदारों व मकानदारों दोनों के प्रतिनिधियों तथा मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया था ताकि ठीक प्रकार का कानून बनाया जा सके। इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि मकानदार को मकानों को ठीक हालत में रखने के लिये प्रोत्साहन भी मिल सके और किरायेदारों को मकानदार जब चाहे निकाल भी न सके व उनसे अनुचित लाभ न उठा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहले अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किये गये थे।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य किरायेदारों को निकालने से बचाना है। मैं तो समझता हूं कि इससे केवल ऐसे लोगों को लाभ होगा जिन्होंने अपने मकानों को जानबुझकर 9 जून, 1952 से लागू कानूनों का उल्लंघन करके आगे किराये पर दे दिया है।

9 जून, 1952 से पहले मकान आगे किराये पर देने के लिये मकान-मालिक अनुमति लेनी आवश्यक थी परन्तु इसके लिखत में होना जरूरी नहीं था। दिल्ली किराया नियन्त्रण विधेयक, 1958 पर चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि कुछ मकानदार 1952 के अधिनियम का अनुचित प्रयोग करके किरायेदारों को निकाल देते हैं क्योंकि आगे

[श्री ल० ना० मिश्र]

किराये पर देने के लिये उन्होंने लिखत में अनुमति नहीं दी होती है इसलिय वे इससे इन्कार कर देते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिये 1958 के अधिनियम में 9 जून 1952 से पहले आगे किराये पर दिये गये मकानों को मान्यता दे दी गई और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बिना अनुमति लिय मकान आगे किराया पर देना अधिनियम का उल्लंघन करार दिया गया।

इस विधेयक द्वारा 9 जून, 1952 को तिथि को बदलकर 9 जून, 1962 करने का सुझाव है ताकि 9 जून, 1962 तक आगे किराये पर दिये गये मकानों को मान्यता मिल जाये। इस कानन के पास होने के बाद इसका उल्लंघन करने वाले अनेक व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। इस प्रकार निकाले गये किरायेदारों को इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। 9 जून, 1962 की मनमानी तारीख लेना अन्याय होगा। साथ ही इसके कारण संविधान के अनुच्छेद 14 तक के विरुद्ध अनुचित वर्गीकरण करना होगा। दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14 की उपधारा (2), एवं धारा 17 और 18 के अन्तर्गत मकान आगे किराये पर लेने वाले व्यक्तियों को मकानों से निकाले जाने के विरुद्ध के पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करुंगा कि वे विधयक वापिस ले लें।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या उनका विचार एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का है।

श्री ल० ना० मिश्र : हम समस्या पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली मे एक नया ढांचा बनने वाला है, इस मामले में हम उनकी राय जानना चाहेंगे।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज): दिल्ली की जन संख्या मे प्रति वर्ष 1 लाख की वृद्धि हो रही है। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जायेगा। क्योंकि उन्होंने इस विषय पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वाशन दिया है मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।/*Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक के प्रस्तावकों की विधेयक वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मुझे आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The Motion was negatived.*

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक

(धारा 24 का संशोधन)

MOTOR VEHICLES AMENDMENT BILL

(*Amendment of Section* 24)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Mr. Deputy Speaker, Sir, seventeen years have passed since we attained independence but still there is no provision for the use of our mother tongue on the number plates of motor vehicles. Recently our Government had stated that at the time of our exhibition in Germany, the Germans had said that the sign-boards should be in German language or Hindi only. We must use Hindi in our day to day work. I will go even to the extent of saying that the people should have a right to use even regional languages on the number plates. A private member's Bill is not going to serve the purpose. Therefore, I will urge upon the hon'ble Minister to bring forth a Bill in the matter. It is a pity that they are country people who hate Hindi. I remember that Burma and Ceylon had shifted to Burmese and Sinhalese at the dead of the right on attaining freedom. It is the misfortune of the country that this is yet to be done in our country. I want an assurance that slackness hitherto shown in the matter will no more be in evidence. At least ministers, M.Ps. and the people who claim themselves to be constructive workers, will give a lead in the matter.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपूर) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 30 दिसम्बर, 1965 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा परिचालन प्रस्ताव, दोनों सभा के सामने हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह एक बहुत मामूली सा विधेयक है। जब भी कोई गैर-सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है तो नहीं कहना मंत्रियों की आदत बन गई है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लिये "नहीं" नहीं कहां जायेगा। यह कहना कि यह छोटा सा विधेयक है, कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करें मंत्री महोदय स्वयं एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे, बहुत दुर्भाग्य की बात है।

[**डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

ये आश्वासन कभी पूरे नहीं किये जाते हैं। ये व्यापक विधेयक कभी प्रस्तुत नहीं किये जाते। हो सकता है कि यह विधेयक उस समय प्रस्तुत कर दिये जायें जब कि गैर-सरकारी सदस्य परलोक सभा में होंगे।

श्री यशपाल सिंह केवल इतना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची म दी गई किसी अन्य भाषा में होनी चाहिये, मैंने देखा कि कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके लिये केन्द्रीय सरकार को विनियम

[श्री दी० चं० शर्मा]

अथवा आदेश होना चाहिये। हिन्दी एवं अन्य भाषाओं का भविष्य उज्जवल है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सभी 14 भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अन्य मामलों में भी ऐसा किया गया है। फिर मोटरगाड़ियों की नम्बर प्लेटों के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता।

श्री यशपाल सिंह जी ने अभी पश्चिमी जर्मनी की एक घटना बताई। मैं आपको एक और घटना बताता हूं। जब हमारे एक मनोनीत राजदूत ने एक देश के प्रधान को अपने परिचय पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किये तो उसने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और कहा कि ये हमारी अपनी भाषा में होने चाहिये।

श्री रंगा: फिर आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा: मैं इसलिये अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि मैं अपनी भाषा नहीं जानता हूं और ऐसी भाषा में बोल रहा हूं जो आप, मंत्री महोदय और श्री बाल्मीकी समझ सकते हैं। श्री यशपाल सिंह ने एक अच्छा विचार रखा है जिसे श्री राज बहादुर को मान लेना चाहिये। मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य चाहते की मोटरगाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नम्बर हिन्दी में होने चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वे आगे कहते हैं कि संविधान की आठवी सूची में दी गई भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि नम्बर तामिल, मलयालम अथवा बंगाली में लिखा हो, तो मैं समझता हूं कि दुर्घटना होने पर दिल्ली में पुलिस का सिपाही नम्बर नोट कर सकेगा। इससे इस प्रकार अनेक गड़बड़ी पैदा होंगी। यदि कोई चाहता है तो अपना नम्बर हिन्दी में भी लिख सके। हमें ऐसे प्रस्ताव नहीं रखने चाहिये जिससे हमारे अधिनियम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मूर्खतापूर्ण समझे जायें। अन्य भाषाओं में नम्बर लिखने से बहुत गड़बड़ होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिये।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Mr. Chairman, the Bill moved by Shri Yashpal Singh does not propose to ban English. All that he wants is that it shall not be an offence, if the owner of a vehicle desires to display the registration mark in Hindi or Hindi and any other language enumerated in the Eighth Schedule of the Constitution of India. The plea that the Delhi Police does not know the regional languages does not sound well. The proposed amendment will help in popularising Hindi and regional languages. Therefore, I support this Bill.

Shri Balmiki (Khurga) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill moved by Shri Yashpal Singh. In view of our circumstances it is not proper to waste our time and energy on the language controversy. It does not look nice if our Republic should lack behind for want of its own language. It will be more dignified and enhance the prestige of the country if our ambassador-designate present their credentials to the Heads of Governments in foreign countries in Hindi. Hindi has achieved a constitutional status. It is a pity that still there are people in this House as well as outside who say use of English is a sign of wisdom. English has flourished in this country because of foreign influence and domination and I think is a sign of our slavery. Hindi is the language of the common man so it must progress and prosper and in it lies the interest and good of the country. We have adopted all the 14 languages mentioned in 8 Schedule of the Constitution as medium of examination at the U.P.S.C. level. Hindi is a fully developed language.

Now the registration marks are to be written in English on all the vehicles. The amendment seeks to allow these marks to be written in Hindi or any other regional languge. There should be no objection to it. It will help Hindi achieve its due place in the international sphere. Hindi has originated from Sanskrit and so is the case with other Indian languages. Hindi is indisputably one of the richest languages of the world. The use of Hindi is not going to create any confusion. Some people think so because they are accustomed to use English words and numericals. It is not only essential but desirable that Hindi should be used in all spheres and the registration marks on vehicles should be written in Hindi. It is a minor amendment and I think the hon'ble Minister will not hesitate in accepting it. With these words I fully support this Bill.

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana) : Mr. Chariman, Sir, I rise to support this Bill with heart and soul. It is a blot on ourselves as long as we do not use Hindi in all spheres. Hindi is a scientific, flawless, simple and poignant language and is easy to learn. Devanagri script is also very simple and beautiful. But here it is a question of use of numericals only. This is no argument that a policeman cannot read it. In fact a person, who does not know the script and language of his country does not deserve to be a policeman. It is a disqualification.

Another objection was raised that the number plates in devanagri script will be followed in foreign countries. If we go by that argument we have to write these numbers in all the languages of the world since English is not followed in all the countries. So this plea does not hold good. Moreover, Hindi enjoys the support of the Constitution. Therefore, this measure should rather be welcomed by the Government. I will request the hon'ble Minister to advise the Government to accept this amendment.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : हिन्दी के प्रश्न के लिये समर्थन या किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है । संविधान के अनुच्छद 351 के अन्तर्गत संघ का यह दायित्व है कि वह हिन्दी भाषा को इस प्रकार विकसीत करे कि यह राष्ट्रीय भाषा का रुप ग्रहण कर सके तथा सारा देश इसे स्वीकार कर सके । ऐसा तब ही हो सकता है, जब संघ के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधान मण्डल तथा न्यायपालिका द्वारा हिन्दी का प्रयोग हो । अनुच्छेद 351 के बारे में कोई तर्क-वितर्क नहीं होना चाहिये । इसे देश की जनता संविधान सभा के ज़रिय स्वीकार कर चुकी है । अब तो कार्यपालिका, विधान मण्डलों तथा न्यायपालिका के प्रत्यक सदस्य का कर्त्तव्य है कि इसका पालन करें । मालुम होता है कि सरकार इस बात को भुला बैठी है जिसके कारण श्री यशपाल सिंह जी को यह विधेयक पेश करना पड़ा । मैं तो केवल सरकार का ध्यान इस अनुच्छेद की ओर आकर्षित करूंगा ताकि वे उसका पालन कर सके ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I support this Bill and request the Government to accept it. The Government has been treating Hindi with apathy. Why the number plates of all the vehicles are in English ? Government should in fact issue an order to implement it and those failing to do so should be punished. The name boards, milestones put up by the municipalities, state Governments or Central Government are still to be found in English. I fail to understand any reason for Government's apathy towards Hindi. I am pained to say that the anti-Hindi agitation in the South were inspired by Government. In actual practice Hindi is very well understood and followed in the South.

This is a very ordinary matter that the name boards of roads, number plates of vehicles and bus tickets etc. should be Hindi and regional languages. Why should there be any objection to the Government ? I know it that the hon'ble

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

Minister will request to withdraw the Bill. But the people are looking to the Government anxiously to take immediate action in this direction. It will restore confidence in them that Government is looking to their convenience. It is unfortunate that our policemen are not adequately qualified. Government use only such a language which is followed by the masses.

Shri Bade (Khargone) : The hon. Minister should immediately accept this Bill because of its importance. Though my mother tongue is Marathi, still I feel that Hindi should be our national language.

It has become a fashion to teach small children English words such as mummy, ta ta etc. I fail to understand why they are not taught Hindi words as "Mataji", "namaste".

When I joined this House, the proceedings used to be in the English language. Later on with the efforts of Swami Rameshwaranand, Shri Prakash Vir Shastri, Dr. Ram Manohar Lohia, Shri Vajpayee and Shri Yashpal Singh Hindi also became popular.

These days if the plates of the vehicles do not bear English words, then the owner of the vehicle is liable to be challaned. The owner of a vehicle in Madhya Pradesh was challaned merely because the number plate of his vehicle was bearing Hindi letters. I would therefore like that this clause should be removed from the law and people should be allowed to have number plates in Hindi. I have been to Madras, Cochin and Visakhapatnam. There, I have seen that the boards are in both the languages English as well as Hindi. The regional language is also used. I would, therefore, like that Hindi and the regional languages should be used in the case of number plates also.

I congratulate Shri Yashpal Singh for having brought forward this Bill and would wish that the hon. Minister should accept it.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I feel that it was the duty of Government itself to bring the amending Bill. In Article 343 we have accepted that Hindi is our official language. In article 351 we have also accepted that —

> "It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment....."

Shri Yashpal Singh has asked to add the following proviso in the Bill :—

> "Provides that it shall not be an offence if the owner of the vehicles so desires, to display the registration mark in Hindi or Hindi and any other language enumerated in the Eighth Schedule of the Constitution of India."

It is very sad that in case we display the registration mark of our vehicle in the national language, then it becomes an offence. People have been punished for displaying their registration marks in Hindi. I would, therefore, request the hon. Minister to accept this amending Bill in order to give due recognition to the language accepted in the Constitution.

Dr. M. S. Aney (Nagpur) : I support this Bill. It would have been better had this Bill been brought earlier. In this connection I am reminded of an old happening. In 1940 I was travelling from Simla to Bombay. Some Japanese was sitting by my side in the same compartment. I was writing something in my

diary. He asked me the language in which I was writing in the diary. I told him that I am using the English language. Then he asked me why don't you use your mother tongue. At that time I told him that it has became my habit to write in the English language. He was astonished to see that a diary is being written in some foreign language. I too felt it very much and since then I have resolved to use my mother tongue Marathi for purposes of diary.

Whenever the question of putting an end to the English language arises everybody opposes it. It is a matter of shame that Hindi has not yet taken the place of English though the period prescribed in the Constitution for the English language has already lapsed. We don't want to impose Hindi on anyone. All that we want is that the plates should be displayed in Hindi, Marathi, Tamil etc. You can at the same time say that the associate language English can also be used.

Hindi has become the national language of the country. Hence we must make use of this language. Now one is not permitted to display the registration number of his vehicle either in Hindi or in any other regional language. These can only be displayed in English. Now the time has come when we must adopt the Hindi language and discard the English language.

With these words, I support this Bill.

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : I want to make it clear that we are not discussing here today the language problem. All that has been asked in this Bill is that the number plates of the vehicles should be displayed in "Devanagari" script, in Hindi and regional languages. In this connection we should see as to what the purpose is of displaying the registration number. The main aim is not the language but the administrative convenience. Now if we want to move our vehicle from Kashmir to Kanya-Kumari or from Kutch to Kamrup then in that case we will have to display our registration number in all the regional languages which is very difficult to do. Now you can see how inconvenient it will be in case this Bill is accepted. All that we are doing about the vehicles is acceptable to all the States. Now in case a vehicle from say Rajasthan or Madhya Pradesh has gone in Madras, will it be possible for a constable there to read the number plate of the vehicle displayed in the regional language. I would, therefore, request Thakur Sahib to see the implications of this Bill. As far as the question of language is concerned that we are not going to solve at this time. Here we cannot solve the language problem as Burma or Ceylon have solved overnight. It could have been possible had there been only Hindi speaking people here in India.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

There is no doubt that we should develop Hindi. We have to follow our national policy in this respect or it will have very bad results. We should not impose Hindi. It is alleged that Ministers always adopt negative attitude and they were compared with women. It is not a good argument. We cannot run administration on such considerations. The language question is a separate question. That Number plates should be in Devanagri script has no relation with this question at present. This will be solved along with broad question of language. We should decide things keeping in view the prevalent situation in the country. I express my inability to accept this Bill.

Shri Yashpal Singh : I am sorry that I cannot argree with Shri Raj Bahadur. It is a pity that we have not been able to settle this small question during these last 17 years. It is a small question. It is not difficult to understand alphabets of a language or numerals. The cause of backwardness is that we are using foreign language. If hon. Minister gives an assurance that he will bring a bill about this, I am prepared to withdraw this Bill. About eighty percent Members of this House in favour of my Bill, I want that Congress party should not issue whip for this Bill. It is not good that a person who has a number plate in Hindi should be prosecuted. I am your benefactor. I want this simple thing to be accepted. I press my Amending Bill for voting.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन, सभी की अनुमती से, वापिस लिया गया ।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939, में अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 9; विपक्ष में 44 ।/Ayes 9 ; Noes 44.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, आदि का संशोधन)

(*Amendment of Articles* 1, 2, 3, 4, *etc.*)

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.

The Congress party had promised that Indian states would be reorganised on the basis of language. This has been done, but its results are very dangerous. In order to overcome this danger the scheme of zonal council was evolved. The country has been divided in five zones. The powers of these councils.....

Mr. Deputy Speaker : It is past 5 O' clock. Hon. Member may continue his speech on next day.

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 सितम्बर, 1965/15, भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the September 6, 1965/ *Bhadra* 15, 1887 (*Saka*).

GIPN—S6—27 Lok Sabha/65—6-5-66—600.